लोक-सभा वाद-विवाद

बुधवार,
२३ नवंबर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

vation Unit
Fumigated
Parliament Library

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रूपकुण्ड में मानवीय अवशेष

*९८. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूपकुंड झील के निकट पाये गये मानवीय अवशेषों के सम्बन्ध में कोई अधिकृत सूचना मिली है ;

(ख) वहां पाये गये मानवीय अवशेषों तथा अन्य वस्तुओं की जांच करने के पश्चात् कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ;

(ग) इन मानवीय अवशेषों का अन्वेषण तथा जांच करने वाले पदाधिकारी कौन हैं और आजकल वे अवशेष कहां रखे गये हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अब भी खोज हो रही है; यदि हां तो वह किस प्रकार की है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यह मालूम हुआ है कि केवल कुछ ढांचे के अवशेष जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक अधिकारी ने इकट्ठे किये थे अब लखनऊ विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग में हैं और उनका अध्ययन हो रहा है । भारत सरकार के मानव विज्ञान विभाग के संचालक ने भी रूपकुण्ड जिला गढ़वाल के मानवीय अवशेषों के बारे में कुछ जांच की है और कुछ स्थानीय जानकारी इकट्ठी की है जो रूपकुण्ड के मामले पर प्रकाश डालेगी ।

(घ) अभी जांच पड़ताल जारी है । ढांचे के अवशेषों का अभी और अध्ययन करना पड़ेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक जो विशेषज्ञों ने इन ढांचों के सम्बन्ध में राय दी है उसका सरकार को पता है ? अगर पता है तो क्या है ?

डा० एम० एम० दास : हमने अपने नरतत्वीय निदेशक से एक प्रतिवेदन मांगा था और उन्होंने हमारे पास एक प्रतिवेदन भेजा है । प्रतिवेदन से हमें पता लगता है कि नरतत्वीय निदेशक इस निश्चय पर पहुंचे हैं—यह एक प्रयोगात्मक निश्चय है—कि यह मानवीय अवशेष तीर्थयात्रियों के एक दल के हैं । मानव विज्ञान के निदेशक अग्रेतर जांच के लिए एक और निकाय भेजना चाहते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो जांच करायी जा रही है यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करायी जा रही है या भारत सरकार की तरफ से या दोनों की तरफ से ?

डा० एम० एम० दास : दोनों की तरफ से हो रही है ।

नाइलन के रस्से

*९९. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना ने नौसेना के जहाजों के लिये इस्पात और नारियल की जटा के अतिरिक्त नाइलन के रस्सों को इस्तेमाल करने के प्रश्न पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नाइलन के रस्सों की नौसेना के जहाजों के लिये लाभदायक ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) अभी परीक्षण चल रहा है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या नाइलन के रस्सों के इस्तेमाल करने से कोई आर्थिक बचत होगी ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बताया कि अभी परीक्षण किया जा रहा है । पर मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि १।। इंच परिधि वाले नाइलन के रस्सों के १२० फैदम की चरखी का मूल्य लगभग ५६० रुपये है जब कि इतने में लम्बे मनीला रस्से, जो कि भारत में बनाये जाते हैं, का मूल्य लगभग ७० रुपये है । अतः दोनों में बहुत अन्तर है यद्यपि नाइलन के रस्सों का संधारण व्यय उससे बहुत कम होता है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या किसी अन्य देश में भी नौसेना के कामों के लिये नाइलन के रस्सों का प्रयोग किया गया है या केवल हमने ही इनका प्रयोग शुरू किया है ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, अन्य देशों में भी इनका परीक्षण किया जा रहा है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : चूंकि नाइलन एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, इस लिये इस सम्बन्ध में क्या सावधानियां बरती जायेंगी ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षण किया जा रहा है और इस बात पर भी उचित ध्यान दिया जायेगा ।

भारत इराक सांस्कृतिक क़रार

*१००. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इराक सांस्कृतिक क़रार के अनुसरण में, विद्यार्थियों का आदान प्रदान, दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के यहां सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना तथा पारस्परिक खेलों की प्रतियोगिता जैसी १९५५ में की गई कार्यवाहियों का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कितना व्यय किया ; और

(ग) आगामी वर्ष का क्या कार्यक्रम है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) मार्च अप्रैल १९५५ में भारत में एक इराकी कला प्रदर्शनी आई थी और अरब भारत सोसाइटी, बम्बई, को अनुदान दिया गया था ।

(ख) केवल ८,००० रुपये ।

(ग) अभी नहीं बनाया गया है ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जो सांस्कृतिक इकरारनामा हुआ था उस पर, अभी जो इराक और तुर्की के साथ सैनिक सन्धि हुई है, उसका कोई असर पड़ा है, और अगर असर पड़ा है तो किस रूप में ?

डा० एम० एम० दास : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

खेल-कूद

*१०१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९४७ से

निम्न पर कोई राशि व्यय की है :

(१) व्यायामशालाओं के बनवाने के लिए ,

(२) क्रीड़ास्थलों के बनवाने के लिए, और

(३) खेल कूद के मैदान बनवाने के लिए ; और

(ख) यदि हां, तो १ जुलाई १९५५ तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(ख) ७८९६७ रुपये ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारत सरकार ने व्यायामशालाओं का क्रीड़ास्थलों के बनवाने के लिये उन विश्वविद्यालयों के द्वारा जिन्हें केन्द्रीय सरकार से अनुदान दिये जाते हैं या भाग 'ग' राज्यों के द्वारा जिनका प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के उत्तरदायित्व पर होता है, कोई राशि विशेष रूप से खर्च की है ?

डा० एम० एम० दास : भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के नवयुवक कल्याण योजना के अन्तर्गत कैम्पस निर्माण परियोजना नाम की एक प्रसिद्ध योजना है । उस योजना के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को व्यायामशालाओं, तैरने के तालाबों, खुली नाट्यशालाओं, दौड़ के मैदानों और सिण्डर-रास्तों (दौड़ने के वे रास्ते जिन पर जले हुये कोयले की राख बिछाई जाती है) आदि के बनवाने के लिए अनुदान दिये जाते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस समय क्रीड़ास्थलों, क्रीड़ा-क्षेत्रों, व्यायामशालाओं तथा तैरने के तालाबों की कमी के कारण नियमित खेल कूद के लिए कोई सुविधायें नहीं हैं, क्या भारत सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत आगामी पंचवर्षीय योजना म छोटे छोटे बच्चों के नियमित व्यायाम के लिए बहुत अधिक संख्या में इनकी व्यवस्था की जाये और यदि हां, तो क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस मद में किये जाने वाले खर्चे की कोई सीमा निश्चित की गयी है ?

डा० एम० एम० दास : खेल कूद राज्यों के विषय है । अतः मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें इस मामले पर विचार करेंगी ।

जनसंख्या के आंकड़े

*१०२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २५ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनसंख्या आंकड़े की सुधार योजना के उस भाग का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है जिस पर प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किये ;

(ग) क्या योजना की अन्य बातों के सम्बन्ध में अग्रेतर प्रयोग किये जाने वाले हैं; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां, भारत में मृत्युओं और जन्मों के नमूना जनगणना के प्रतिवेदन १९५५ के भारत जन-गणना पत्र संख्या १ और २ में प्रकाशित कर दिये गये हैं ।

(ख) से (घ) प्रतिवेदन सरकार सामने विचाराधीन है और जनसंख्या आंकड़े की सुधार योजना की अग्रेतर प्रगति सम्बन्ध में शीघ्र ही निश्चय किया जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : किन राज्यों में इस योजना का प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया था ?

श्री दातार : जनगणना सर्वेक्षण लगभग बीस राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में किया गया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : सरकार कब तक निश्चय कर लेगी ।

श्री दातार: बहुत शीघ्र ही ।

राज्य पुनर्गठन आयोग

*१०३. **श्री बोगावत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की राज्यों पर जो प्रतिक्रिया हुई है क्या उसके विवरण प्राप्त हो चुके हैं ;

(ख) कितने राज्य राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन से सहमत नहीं हैं ; और

(ग) राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : आपकी अनुमति से मैं प्रश्न के सभी भागों को एक साथ लूंगा ।

२. राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये २२,२३ अक्टूबर, १९५५ को राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था । इस सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों ने आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने ऐसे प्रारम्भिक विचार पेश किये जिनसे उनके राज्यों पर प्रभाव पड़ता था और निश्चयों को लागू करने के सम्बन्ध में कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्नों पर भी विचार किया गया । आशा की जाती है कि राज्य सरकारें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपने विचार भारत सरकार के पास इस महीने के अन्त तक भेज देगी । संविधान के अनुच्छेद ३ (जैसा कि वह इस समय है या जैसा कि बाद में उसका संशोधन हो जाय) के अनुसार राज्य विधान सभाओं से भी राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक के उपबन्धों पर परामर्श लिया जायेगा ।

३. प्रतिवेदन को चर्चा के लिये इसी सत्र में इस सभा में उन दिनों में, जो दिन इसके लिये माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निश्चित किये जायेंगे, रखा जायेगा ।

४. भारत सरकार इस बात को आवश्यकता को भली भांति समझती है कि प्रतिवेदन के सम्बन्ध में शीघ्र से शीघ्र निश्चय कर लिया जाय ताकि यदि सम्भव हो तो १९५७ में होने वाले सामान्य चुनाव से पूर्व पुनर्गठित राज्य बना दिये जायें । प्रतिवेदन पर किये जाने वाले निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये संसद् के अनुमोदनाधीन एक प्रयोगात्मक समय सारणी ली गई है और यह विचार है कि पुनर्गठन की योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक विधान संसद् द्वारा मई १९५६ के अन्त तक पारित कर लिया जाये । तभी १ अक्टूबर, १९५६ तक या उसके लगभग नये एकक स्थापित करना सम्भव होगा ।

श्री बोगावत : क्या सरकार के नेता कार्यकारिणी समिति के निश्चयों को स्वीकार कर लेंगे या किसी क्षेत्र की जनता की इच्छानुसार कुछ परिवर्तन भी किये जायेंगे ?

पंडित जी० बी० पंत : संसद् निश्चय करेगी और सरकार उनका पालन करेगी ।

श्री बोगावत : क्या सरकार को पता है कि बम्बई को मिला कर संयुक्त महाराष्ट्र के सम्बन्ध में जनता में बड़ी जोरदार सरगरमी है और क्या कार्यकारिणी समिति और संसद द्वारा जनता की इच्छायें पूरी की जायेंगी ?

पंडित जी० बी० पंत : सरकार इस सम्बन्ध में विभिन्न मतों को प्राप्त कर चुकी है और अन्तिम निश्चय संसद् करेगी ।

श्री रघुरामैया : जैसा कि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने बताया कि अक्टूबर १९५६ में नये राज्यों के बनाने का विचार है और सामान्य चुनाव १९५७ में होंगे, क्या ऐसे कुछ राज्यों में जिनकी सीमाओं पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा यद्यपि उनमें अभी लग-भग एक वर्ष पूर्व ही चुनाव हुए थे, नये आम चुनाव होने आवश्यक होंगे ? क्या इस प्रश्न पर विचार कर लिया है या विचाराधीन है ?

पंडित जी० बी० पंत : सरकार निश्चय ही इस प्रश्न पर विचार करेगी, पर इस सम्बन्ध में भी अन्तिम निश्चय संसद् ही करेगी ।

श्री बी० के० दास : क्या राज्य विधान सभाओं से किसी विशेष तिथि तक उनके विचार मांगे गये हैं ?

पंडित जी० बी० पंत : राज्य सरकारों से कहा गया था कि वह नवम्बर के अन्त तक अपने मत केन्द्रीय सरकार के पास भेज दें और उन्हें स्वतन्त्रता थी कि वे अपना मत भेजने के पूर्व अपनी विधान सभाओं से परामर्श कर लें ।

श्री कासली वाल : क्या सीमा आयोग १ अक्तूबर, १९५६ के पूर्व नियुक्त किया जायेगा या इसके बाद ?

पंडित जी० बी० पंत : मैंने सीमा आयोग के बारे में कुछ भी नहीं कहा है पर इस बात पर विचार किया जायेगा कि किस प्रकार सीमायें निश्चित की जायें । इस प्रयोजन के लिए एक से अधिक समिति या विशेष पदाधि-धिकारी नियुक्त करना आवश्यक होगा । पर अभी कोई अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है ।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या कांग्रेस की कार्य-कारिणी समिति या उसके तत्वावधान में नियुक्त उपसमिति ने, जिसके प्रधान मंत्री और गृह कार्य मंत्री भी सदस्य हैं, आयोग की सिफारिशों पर कोई निश्चय किये हैं और, यदि हां, तो क्या वही निश्चय संसद् में विधेयक के प्रस्तुत किये जाने पर उसके सामने रखे जायेंगे ?

पंडित जी० बी० पंत : संसद् को इसी सत्र में इस मामले पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा और विधेयक उसके बाद बनाया जायेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि एस० आर० सी० रिपोर्ट (प्रति-वेदन) के सम्बन्ध में कई राज्यों में व्यवस्था को भंग करते और गुंडागीरी चलाने के सम्बन्ध में जो कार्यवाहियां हो रही हैं या होंगी उनकी रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है ।

पंडित जी० बी० पंत : केन्द्रीय सरकार लोगों पर भरोसा रखती है और यह उम्मीद करती है कि सब अमन कायम रखेंगे और गवर्न-मेंट्स (सरकारें) भी इस बात को सामने रखेंगी कि कोई मामला ज़ब्र से हल नहीं हो सकता और ज़ब्र को होने देना सब के लिए हानिकारक है और इसकी गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए ।

श्री ए० एम० थामस : माननीय गृहमंत्री जी ने कहा है कि नए राज्यों के १ अक्टूबर, १९५६ तक बनने की सम्भावना है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों के विधान मण्डलों के स्वरूप के विषय में सरकार ने कोई अस्थायी निर्णय किया है या विभिन्न राज्यों में विधान सभाएं होंगी भी, या नहीं ?

पंडित जी० बी० पंत : इस सदन में इन सब विषयों पर चर्चा होगी । सरकार को आशा है कि संतोषजनक निर्णय किए जाएंगे और अन्ततः संसद् के निदेश सरकार के पथ-प्रदर्शक होंगे ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को संसद् में और संसद् से बाहर विभिन्न दलों के नेताओं के

साथ विचार विमर्श करने से किस बात ने रोक दिया और पुनर्गठन के प्रश्न पर कांग्रेस कार्य समिति और सरकार द्वारा निर्णय किए जाने से पूर्व उन्हें क्यों सम्मेलन में नहीं बुलाया गया ?

पंडित जी० बी० पंत : विभिन्न दलों के नेताओं से यह आशा की जाती है कि वे अपने विचारों को व्यक्त करें। कुछ नेताओं ने ऐसा किया है। यदि उत्तरदायी नेता इस बात की इच्छा प्रकट करते कि सरकार के और दलों के प्रतिनिधि आपस में मिलें तो सरकार निश्चय ही उनकी इच्छानुसार काम करती।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार नए राज्य बनाते समय उन राज्य सरकारों के जहां पर बहुभाषी आन्दोलन चल रहे हैं, विचारों और सिफारिशों पर कहां तक ध्यान देगी ?

पंडित जी० बी० पंत : "बहुभाषी" शब्द का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया।

श्री जोकीम आल्वा : प्रतिवेदन के अन्त में रक्षा के उपायों पर एक अध्याय है। क्या सरकार कोई ऐसा उपाय निकालेगी जिस से जनता को यह बताया जाएगा कि यद्यपि भारत का नक्शा दुबारा खींचा जाएगा, तथापि सांस्कृतिक और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जाएगी।

पंडित जी० बी० पंत: सरकार प्रतिवेदन के भाग में दी गई प्रस्तावनाओं को जो इस विषय से सम्बन्धित हैं, पर्याप्त महत्व देती है और वह रक्षा के प्रभावपूर्ण उपाय करना चाहती है ताकि प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय-पूर्ण उन्नति कर सकें।

सरदार इकबाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने जैसी सुरक्षाओं और आयोग द्वारा की गई दूसरी सिफारिशों को ध्यान में रखेंगी ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इन विषयों पर कुछ निर्णय किए हैं, और यदि हां, तो क्या ?

पंडित जी० बी० पंत : सरकार ने इन विषयों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है परन्तु, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकारें इन प्रस्तावनाओं के पक्ष में नहीं हैं।

कई माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं एक सदस्य को एक प्रश्न ही करने दूंगा। अतः और प्रश्न न कीजिए। एक प्रश्न के विभिन्न अंशों पर स्पष्टीकरण पूछे जा सकते हैं, परन्तु मैं एक ही सदस्य को निरन्तर एक से अधिक प्रश्न नहीं पूछने दूंगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : "दल" और "सरकार" में जो अन्तर है, उस पर बल देने के लिए जो कि संसदीय औचित्य की दृष्टि से वांछनीय है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस को वांछनीय समझते हैं कि उस दल द्वारा, जो सत्तारूढ़ है, किए गये अन्तिम निर्णय से सम्बन्धित सूचनायें समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई हैं।

पंडित जी० बी० पंत : मुझे इस बात का तो पता नहीं है कि ऐसी कोई सूचनाएं प्रकाशित हुई हैं, परन्तु प्रत्येक दल को महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करना और और जनमत का पथ प्रदर्शन करने के लिये और अपने को सही करने के लिए विचारों को प्रकट करना होता है।

श्री फ़ीरोज गांधी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार श्री पणिक्कर के उत्तर प्रदेश सम्बन्धी विमति टिप्पण को कोई महत्व देती है ?

पंडित जी० बी० पंत : सरकार प्रतिवेदन की प्रत्यक पंक्ति और शब्द को महत्व देती है।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उन स्थानों में, जो लोगों की राय के विरुद्ध अन्य राज्यों में मिला दिये गये हैं, जनमत संग्रह करने का या कोई और तरीके अपनाने का विचार रखती है ?

पंडित जी० बी० पंत : यदि ये प्रक्रिया अपनायी जाए, तो अन्य हानियां तो होंगी ही, साथ ही प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में कई महीनों और शायद वर्षों की देर हो जाए ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों के पुनर्गठन के विषय में भाषा के प्रश्न व दूसरे सब विचारों पर प्राथमिकता प्राप्त कर ली है ?

पंडित जी० बी० पंत : प्रतिवेदन अपने आप में स्पष्ट है ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि जब राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा तो क्या निर्वाचन-क्षेत्रों का पुनः परिसीमन होगा यदि हां, तो क्या आगामी चुनावों से पूर्व ऐसा हो सकेगा ?

पंडित जी० बी० पंत : मेरे विचार में हर स्थान पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन नहीं होगा, परन्तु उन क्षेत्रों में जहां परिवर्तन किये जाएंगे, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः परिसीमन होगा । आगामी चुनावों के पूर्व ही निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन हो जाने की सम्भावना है ।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकारों से इस मास के अन्त तक राय मांगी गयी है । सम्बन्धित संविधान की धारा ३ के अनुसार राज्य की विधान मण्डलों के विचार आवश्यक हैं । यदि राज्य सरकारें उस समय तक अपनी राय नहीं भेजेंगी तो सरकार सब राज्यों से राय लेने के लिये क्या कदम उठाएगी ?

पंडित जी० बी० पंत : राज्य सरकारों को दो अवसर दिये जा रहे हैं । इस मास के अन्त तक वे अपने अस्थायी या अन्तिम विचार भेज सकती हैं । फिर इस विषय के संसद के सामने आने पर जब विधेयक उनके पास उनकी आलोचना के लिये भेजा जायेगा तो उन्हें अपने अन्तिम सुविचारित मत भेजने का एक अवसर और मिलेगा ।

श्री कनावडे पाटिल : क्या मैं जान सकता हूं कि महाराष्ट्र के भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दावों को ध्यान में रखते हुए सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को स्वीकार करने के बजाय बम्बई के प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

पंडित जी० बी० पंत : किसी बात पर पुनर्विचार करने का अभी प्रश्न नहीं उठा है ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या मैं जान सकता हूं कि अखण्ड कर्नाटक राज्य निर्माण समिति ने सत्याग्रह करने से पूर्व सरकार के पास प्रतिवेदन भेजा था और यदि हां, तो सरकार ने बेलारी और दूसरे ताल्लुकों को आन्ध्र देश में मिलाने के लिये क्या निर्णय किया है ?

पंडित जी० बी० पंत : सरकार ने यह निश्चय किया है कि वह सत्याग्रह से प्रभावित नहीं होगी ।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के निर्णयों को स्वीकार कर लिया है और क्या राज्य सरकारों को इन निर्णयों की सूचना दे दी है ?

पंडित जी० बी० पंत : सरकार ने किसी विषय पर भी अन्तिम निर्णय नहीं किये हैं । विचार की प्रक्रिया एक ढंग से जारी रहती है । सरकार उन राजनैतिक संगठनों या दूसरे क्षेत्रों की राय पर, जो इन तक पहुंचाई जायेगी, उस समय ध्यान देगी जब विचार करने का समय आयेगा ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर राज्य विधान मण्डलों से राय जानने के स्थान पर, कुछ विधान सभाओं के समक्ष कांग्रेस उच्च कमान द्वारा किये गये निर्णयों के शब्दों में एक संकल्प क्यों रखा गया था ?

पंडित जी० बी० पंत : राज्य विधान मण्डलों के सदस्य अपनी इच्छानुसार अपने संकल्प बना सकते हैं । सरकार ने संकल्पों के रूप के लिये कोई प्रस्तावना नहीं की है ।

श्री पी० एल० बारूपाल : राज्य पुनर्गठन के बाद अजमेर राज्य राजस्थान में मिल जायगा । अजमेर में कुछ ऐसी अनुसूचित जातियां हैं जो कि राजस्थान में अनुसूचित जातियों की लिस्ट में शामिल नहीं हैं । क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि अजमेर के राजस्थान में मिल जाने के बाद उन अनुसूचित जातियों की क्या पोज़ीशन होगी ?

पंडित जी० बी० पंत : किसी जगह के दूसरे राज्य में शामिल होने के बाद अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में कोई बात जो हानिकर ो वह नहीं होगी। वह दूसरी जगह भी अनुसूचित ही रहेगी ।

श्री गोपाल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार जहां आवश्यक है, वहां पर किस ंग से जनता की इच्छाओं को जानेगी ?

पंडित जी० बी० पंत : लोग स्वयं ही प्रतिनिधि हैं । सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के रवैये की प्रेस और अपने दूसरे अधिकरणों द्वारा जानकारी करेगी ।

श्री वी० जी० देशपांडे : कुछ प्रान्तीय सरकारों द्वारा लोगों का जनमत जानने के सम्बन्ध में भाषण स्वातंत्र्य पर अनुचित रूप से रोक लगायी जाती है । क्या इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करने के लिये केन्द्रीय सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है ?

पंडित जी० बी० पंत: यह सवाल बिल्कुल शर्तिया या हाइपाथिटिकल (स्वयंकल्पित) है । प्रान्तीय सरकारें अपने अपने प्रान्त में किस ढंग से काम करें इसके लिये उनको एक हद तक संविधान द्वारा स्वतन्त्रता मिली हुई है, और उस हद तक इस सरकार को उनके काम में मदाखलत करने का अधिकार नहीं है ।

श्री श्री नारायण दास : क्या मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन द्वारा प्रभावित उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने जनमत संग्रह की मांग की है और क्या किसी राज्य में भी सरकार जनमत संग्रह की अनुमति देगी ?

पंडित जी० बी० पंत : मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई राज्य नहीं है, जिसने जनमत संग्रह की मांग की हो ।

श्री बहादुर सिंह : माननीय गृह मंत्री जी ने राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रतिवेदन के भाग की ओर जो अल्पसंख्यक जातियों के हितों की सुरक्षा से सम्बन्धित है, अभी संकेत किया है । अल्पसंख्यक जातियों के हितों में कुछ सुरक्षाएं रखी गयी हैं और भूतकाल में कुछ अभिसमय थे, जिनका सरकार ने बार बार उल्लंघन किया । इससे अल्प संख्यक जातियों के मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बात का आश्वासन देने के लिये क्या कदम उठा रही है कि इन सुरक्षाओं को कार्यान्वित किया जायेगा ?

पंडित जी० बी० पंत : सरकार इन हितों को कार्यान्वित करने के लिये प्रभावशाली ढंग अपनाना चाहती है, परन्तु इस विषय में संसद् निर्णय देगी ।

विक्रय-कर

*१०४. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अन्तर्राज्यीय सौदों पर विक्रय कर को संघ

का विषय बनाने से सम्बन्धित विधान पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह विधान कब अधिनियमित किया जाएगा ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). यह विषय विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त, व्यापारी यह कर नहीं दे रहे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : निःसन्देह नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने कर को एकत्रित करने के लिए जो कार्यालय पहले दूसरे राज्यों में खोले थे, अब बन्द कर दिए हैं ?

श्री एम० सी० शाह : उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार किसी व्यापारी पर, जो वहां न रहता हो, कर नहीं लगाया जा सकता ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय में कब विधान पुरःस्थापित किया जाएगा ?

श्री एम० सी शाह : निश्चय ही आय-व्ययक सत्र में यह विधान पुरःस्थापित किया जाएगा ।

भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्

***१०५. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् की परियोजनाओं के अधीन राष्ट्रमंडलीय देशों को सरकारी व्यय पर कितने भारतीय विद्यार्थी भेजे गये थे ;

(ख) जिन देशों को ये भेजे गये थे उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) उन पर कितना व्यय हुआ ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अध्यक्ष महोदय : श्री टी० बी० विट्ठल राव ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : १०८

श्री राधा रमण : मेरा प्रश्न संख्या १०७ भी अभी रहता है ।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद आप के प्रश्न को लेंगे ।

कर जांच के आयोग का प्रतिवेदन

***१०८. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कर जांच आयोग के प्रतिवेदन के परीक्षण के कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ऐसा अनुमान है कि यह प्रश्न आयोग की उन सिफारिशों की ओर संकेत करता है जो केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र के अन्दर हैं ; यदि ऐसा है तो ऐसी सिफारिशें जिन को अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है, परीक्षण की विभिन्न अवस्थाओं म है और यह कहना असम्भव है कि परीक्षण कब समाप्त होगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : कुछ मास पूर्व माननीय मंत्री जी ने कहा था कि समूचा प्रतिवेदन विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों के विचार आ गए है ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्रतिवेदन के विभिन्न पहलू है । कुछ पर राज्य सरकारों के विचार आ गए हैं । कुछ और पहलुओं पर अभी तक नहीं आए हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : प्रतिवेदन में केन्द्रीय सरकार के व्यय की जांच करने के लिए एक उच्चशक्ति समिति की नियुक्ति की एक सिफारिश की गई थी । वह सिफारिश किस अवस्था पर है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने करारोपण जांच समिति की इस प्रस्थापना पर विचार किया है कि लोगों की व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस विषय पर एक पृथक् प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह आज की सूची में है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : क्या संख्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : संख्या १३६ ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्ति न हो, तो इसका भी उत्तर दे दें । श्री विभूति मिश्र का प्रश्न संख्या १३६ । उस का भी उत्तर दें ।

व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा

*१३६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कराधान जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार-व्यक्तिगत की अधिकतम सीमा आय निर्धारित करने की योजना बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) यह कब कार्यान्वित की जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग) यह सिफारिश उन सिफारिशों में से एक है जिनके बारे में अभी सरकार ने निश्चय नहीं किया है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि विभिन्न स्टेटों में लैंड्स के ऊपर सीलिंग हो गई है, और इस को देखते हुए काफी हल्ला हो रहा है कि इन्कमों की भी सीलिंग सरकार अविलम्ब करे ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार की मांग सब प्रदेशों में है ।

श्री विभूति मिश्र : विभिन्न स्टेटों, जैसे बिहार, में जमीन की सीलिंग हो गई है कि प्लेन्स में ३० एकड़ जमीन एक व्यक्ति के पास रहेगी और पहाड़ों में ५० एकड़ । जब सरकार ने जमीन की सीलिंग कर दी हैं तो, जैसा कि प्लानिंग कमीशन का डाइरेक्शन भी है, क्या सरकार आमदनी की भी कोई सीलिंग करने जा रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : वह तो मैं ने कह दिया कि उस के उपर अभी निर्णय लेना है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि इस के लिये सरकार कब तक निर्णय लेगी क्योंकि ८० फी सदी आदमियों में काफी तहलका मचा हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह मत प्रकट किया गया था ; यह प्रश्न नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या वित्त मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि इस विषय पर कोई निश्चय करने से पूर्व कराधान जांच समिति के प्रतिवेदन पर संसद् में विचार किया जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं समझता कि ऐसा करना आवश्यक है ।

पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयां

*१०७. **श्री राधा रमण** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के पूर्वार्द्ध में पुरातत्व विभाग ने कितनी खुदाइयां आरम्भ की हैं ; और

(ख) कितने स्थानों पर खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया है और कितने स्थानों पर अभी चल रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जायेगी ।

श्री राधा रमण : यह सूचना प्राप्त करने में कितना समय लगेगा तथा क्या माननीय सभा सचिव हमें यह बता सकेंगे कि आजकल ये खुदाइयां प्रत्येक राज्य में कहां कहां हो रही हैं ?

डा० एम० एम० दास : पुरातत्व विभाग के कार्यों के लिये सम्पूर्ण देश अनेक खंडों में विभक्त किया गया है : प्रत्येक खंड एक अधीक्षक के अधीन है यह अधीक्षक अपने प्रतिवेदन प्रति वर्ष दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेजते हैं । इस प्रश्न की प्राप्ति पर हमने अधीक्षकों से उत्तर भेजने के लिये कहा अभी तक उन्होंने अपने उत्तर नहीं भेजे हैं हम उत्तर प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख देंगे ।

श्री श्रीनारायण दास : इस बात को देखते हुये कि अनेक खंड बनाये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस कालावधि के बारे में कोई स्थायी अनुदेश हैं जिस में उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पड़ते हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन खंडों के अधीक्षक प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजते हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : इस बात को देखते हुये कि आन्ध्र में अमरावती तथा श्रीकाकुलम जैसे बौद्ध अवशेष हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में आवश्यक जांच पड़ताल के लिये एक पृथक् खंड बनाया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : न तो कोई विशेष खंड बनाया जायेगा और न ही विशेष खंड बनाने की कोई आवश्यकता है । इन मामलों में नियमित जांच पड़ताल होती रहती है ।

श्री बंसल : क्या यह सच नहीं है कि ये सारे खंड प्रत्यक्षतः शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हैं, और यदि हां, तो दिन प्रतिदिन सूचना प्राप्त करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

डा० एम० एम० दास : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सम्पूर्ण देश अनेक खंडों में विभक्त किया गया है और इन खंडों के अधीक्षक प्रति वर्ष अपने प्रतिवेदन दिल्ली स्थित निदेशालय को भेजते हैं ।

श्री बंसल : क्यों ?

डा० एम० एम० दास : हमने सूचना मांगी है : हो सकता है कि प्रत्येक खंड में अनेक स्थानों पर खुदाई का कार्य हो रहा हो । प्रतिदिन दिल्ली स्थित निदेशालय को सूचना भेजना सम्भव नहीं है ।

तम्बाकू के बीज का तेल

*१०९. **श्री डाभी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २५ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू के बीज से तेल निकालने के काम में प्रयोगशाला स्थिति से आगे प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख). तम्बाकू के बीज के तेल निकालने का काम हो रहा है और अधिकतर नेक का निर्यात होता है। १९४९-५० में लगभग १००० टन आर्थिक तम्बाकू तेल का निर्यात हुआ था फिर भी अर्थिक दृष्टिकोण से तेल का उत्पादन सीमित मात्रा में होता है क्योंकि बीज बोने को प्रोत्साहन देने के लिये तम्बाकू को बिना ढका छोड़ना आवश्यक है जिससे पत्तों की किस्म पर कुप्रभाव पड़ता है ।

श्री डाभी : इस तेल का क्या प्रयोग होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : इंगलिस्तान को इस तेल का निर्यात किया जाता है और दक्षिण पूर्वी यूरोप के भी कुछ देश इसे शोधन के पश्चात् खाने में प्रयोग करते हैं ।

श्री डाभी : इस तेल का निर्यात कौन करता है ?

श्री के० डी० मालवीय : कुछ फर्में यह तेल एकत्रित और निर्यात करती हैं । ये लगभग ४ या ५ हैं जिनकी सची मेरे पास है ।

श्री डाभी : तेल निकालने के लिये देश में प्रतिवर्ष लगभग कितनी मात्रा में बीज उपलब्ध होता है और लगभग कितनी मात्रा में तेल निकाला जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास १९५० के आंकड़े हैं । लगभग ४००० टन बीज एकत्रित किया गया था जिसमें से कुछ तो हस्त-चालित मशीनों से और कुछ दूसरी मशीनों से पेरा गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-विद्या कांग्रेस

***११०. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लन्दन में एक अन्तर्राष्ट्रीय अपराध-विद्या सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसमें भारत के प्रतिनिधि ने भाग लिया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) उसमें भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि न था ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या सरकार का विचार एक अपराध-विद्या संस्था खोलने का है जो डाकुओं जैसे बड़े खतरों तथा अन्य बातों से निपट सके ?

श्री दातार : सरकार अनेकों संस्थाओं की स्थापना पर विचार कर रही है । सरकार इस प्रश्न पर भी विचार करेगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या गृह मंत्रालय ने नये प्रकार के वज्ञानिक अपराधों का पता लगाने के सम्बन्ध में कोई गवेषणा मंडली बनाई है ?

श्री दातार : सरकार उनको अपनाने का प्रयत्न कर रही है जिन पर हाल में विचार किया गया है । गवेषणा संस्था स्थापित करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

भारतीय सेना में विदेशी विशेषज्ञ

***१११. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक कितने अंग्रेज विशेषज्ञ मंत्रणादाता के रूप में भारतीय सेना में कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) सेना का भारतीयकरण यथा-शीघ्र कब तक पूरा हो जायेगा ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू):(क) भारतीय सेना में कोई भी अंग्रेज विशेषज्ञ मन्त्रणादाता के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। परन्तु १५ अंग्रेज, सेना में टेक्नीकल पदों पर ठेके पर काम कर रहे हैं।

(ख) भारतीय सेना का भारतीयकरण पहिले ही पूर्ण हो चुका है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : सत्ता हस्तान्तरण के समय सेना में अंग्रेज विशेषज्ञों की कितनी संख्या थी ?

डा० काटजू : मैं यह नहीं बता सकता, यह आठ वर्ष पूर्व की बात है :

बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*११३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५५ में पंजाब, पेप्सू, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के लिए रक्षा-सेनाओं के व्यक्तियों तथा साधनों का उपयोग किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो की गई सहायता का सविस्तार विवरण क्या है ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां :

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८।]**

श्री एल० एन० मिश्र: विवरण में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि सशस्त्र सेना के कितने व्यक्तियों ने कितने दिनों तक सहायता कार्य किया। क्या मैं इस बारे में जान सकता हूं ?

डा० काटजू : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या हमारी सशस्त्र सेना के व्यक्तियों ने लोगों को शारीरिक सहायता देने के अतिरिक्त, बाढ़ पीड़ितों को सामान आदि की कोई सहायता दी थी ?

डा० काटजू : मैंने जो विवरण रखा है उसमें मैंने तथ्यों का, सारभूत तथ्यों का पूण उल्लेख किया है : जहां तक किसी अन्य सूचना का सम्बन्ध है, वह अभी मेरे पास नहीं है।

रक्षा सम्बन्धी सामान

*११७. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्बन्धी सामान के लिए पटा हुआ स्थान प्राप्त करने के प्रश्न पर इस दृष्टि से पूर्ण विचार हो चुका है कि वर्षा आदि में, उसके खुला पड़े रहने के कारण प्रति वर्ष हानि होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार प्राप्त सूचना की दृष्टि से कोई निश्चय किया गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां।

(ख) हां। यह निश्चय किया गया है कि सामान तथा गाड़ियों के वर्तमान स्थानों को पूर्वनिर्मित शेडों से अस्थायी रूप से पाट दिया जाये और इस सामान की शान्तिकालीन साधारण आवश्यकताओं के अनुसार यथा-सम्भव स्थायी स्थान देने का भी प्रयास किया जाये।

समुद्र तार व्यय

*११८. **डा० सुरेश चन्द्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के एक पदाधिकारी ने दो समुद्र तारों पर, जो दक्षिणी अमरीका में मोन्टीविडीओ से भारत भेजे गये थे ६००० रुपये **व्यय** किये ; और

(ख) यदि हां, तो, इतने खर्च से समुद्री तार भेजने के क्या कारण थे ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) यह धन भारतीय प्रतिनिधि मंडल की ओर से भेजे गये समुद्र तारों पर व्यय किया गया था ।

(ख) समाचार एजेंसियों की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण सरकार को सूचना देते रहने के लिये तथा प्रतिनिधि मंड़ल के कार्यों का प्रचार करने का उपाय केवल समुद्री तार ही था ।

डा० सुरेश चन्द्र : प्रेस तार क्यों नहीं भेजे गये, और इतना अधिक धन मोन्टीवीडिओ से समुद्र तार भेजने में क्यों व्यय किया गया ? समुद्र तारों पर इतना अधिक धन व्यय करने की क्या आवश्यकता थी ?

डा० एम० एम० दास : मोन्टीवीडिओ यूनेस्को के साधारण सम्मेलन में गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता डा० राधाकृष्णन् थे । वह यूनेस्को के साधारण सम्मेलन के बहिर्गामी अध्यक्ष थे और उस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था । अतः इस देश को सूचना भेजने के सन्तोषजनक प्रबन्ध न होने के कारण प्रतिनिधि मंडल ने यह उचित समझा कि विशेष समुद्र तारों के द्वारा सामाचार भेजे जायें :

डा० सुरेश चन्द्र : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया । यह सच है कि डा० राधाकृष्णन् इस प्रतिनिधि मंडल के नेता थे । मैं उस सम्मेलन के महत्व को भी कम नहीं बताता हूं किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रेस तार क्यों नहीं भेजे गये तथा अधिक व्यय करके विशेष समुद्री तार क्यों भेजे गये ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) कारण यह था कि जिस स्थान पर सम्मेलन हुआ था वहां प्रेस तथा समाचार एजेंसियों की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं थी तथा देश के हित के लिये यह उचित समझा गया कि प्रतिनिधि मंडल द्वारा किये गये कार्य का उचित प्रचार किया जाये ।

डा० सुरेश चन्द्र : दूसरे प्रतिनिधि मंडलों ने समय समय पर प्रेस तारें भेजी और उनके भाषण भी प्रचारित हुए । इसके अलावा, तारों को भेजने में जो राशि व्यय की गई थी, उनकी ५० प्रतिशत राशि तो प्रतिनिधि मंडल के नेता के भाषण के लिये व्यय हुई । मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी ३०००) रुपये अधिकारी ने क्यों व्यय किये ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मुझे खेद है कि मैं व्यय का विस्तृत ब्यौरा नहीं दे सकता । सामान्य स्थिति, मैं पहिले ही समझ चुका हूं । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि प्रतिनिधि मंडल ने इस सारे मामले पर सावधानी से विचार किया तथा कम से कम व्यय करने का प्रयत्न किया तथा देश के हित के लिये यह उचित समझा गया कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा किये गये कार्य का समुचित प्रचार किया जाय ।

पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां

*११९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां देते समय सब से पहले अभ्यर्थी की योग्यता पर विचार किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पिछड़े वर्गों के ऐसे विद्यार्थियों को कुछ सहायता देने का विचार कर रही है जो कि योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति नहीं पा सकते ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि बैकवर्ड क्लासेज़ में कुछ ऐसी जातियां हैं कि जो विद्या, बुद्धि में और संस्कृति में बहुत पिछड़ी हुई है और जो कि अन्य जातियों के साथ कम्पीट नहीं कर सकती, उनके लिये सरकार कोई छात्रवृत्ति देने का इन्तज़ाम खास तौर से करती है ?

डा० एम० एम० दास : इस समय सरकार के पास पिछड़े वर्गों में से सबसे पिछड़े व्यक्तियों का पता लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : बैकवर्ड क्लासेज़ में कुछ ऐसी जातियां हैं जो हम लोगों जैसी फारवर्ड हैं और जिनके पास जमीन है, लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसी भी उन में जातियां हैं, जो एकदम बैकवर्ड हैं, जैसे बीन, मल्लाह, तुराहा आदि, तो क्या सरकार उनकी ओर विशेष तरह से ख्याल करेगी या कोई डाइरेक्शन देगी कि उन्हें छात्रवृत्ति दी जाये ?

डा० एम० एम० दास : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की सलाह पर पिछड़े वर्गों में सब से पिछड़े लोगों का पता लगाने का कार्य पिछड़े वर्ग आयोग को सौंपा गया था । आशा है कि इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें आयोग के उस प्रतिवेदन में होगी जो कि राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है ।

श्री वीरस्वामी : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि मद्रास राज्य के पिछड़े वर्गों के बहुत से विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार ने कोई छात्रवृत्ति नहीं दी, और क्या सरकार उन्हें वित्तीय सहायता देने पर विचार करेगी ?

डा० एम० एम० दास: केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को छात्रवृत्तियां देने के लिये जो १५० लाख रुपया दिया था, उसमें से ७२ लाख रुपये—लगभग ५० प्रतिशत—केवल पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति देने के लिये रखे गये हैं । पिछड़े वर्गों के प्रार्थियों की संख्या बहुत अधिक थी—यह संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या से दुगनी थी—इसलिये प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी ।

मथुरा में खुदाई

*१२०. **श्री दिगम्बर सिंह**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा में आजकल खुदाई का जो काम हो रहा है वह कब तक चलेगा ; और

(ख) क्या मथुरा जिले के किसी अन्य स्थान में भी खुदाई की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) आजकल मथुरा में कोई खुदाई नहीं हो रही है ।

(ख) मथुरा जिले में किसी अन्य स्थान की खुदाई करने की अभी कोई योजना नहीं है ।

श्री दिगम्बर सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि जो अब तक वहां पर खुदाई हुई थी उससे किस समय की सभ्यता का पता लगा था ?

डा० एम० एम० दास : १९५५ में हुई खुदाई से यह पता चलता है कि ईसा से तीन शताब्दी पूर्व से लेकर ६ शताब्दी पश्चात् इस स्थान पर लोग रहते रहे हैं ।

श्री दिगम्बर सिंह : क्या इससे मथुरा के बसने का भी कुछ पता लगता है ?

डा० एम० एम० दास : मथुरा में हुई खुदाई के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा 'इंडियन आर्किलोजिकल रिव्यू' १९५४–५५ के पृष्ठ १५ और १६ पर दिया गया है जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में हैं ।

श्री दिगम्बर सिंह : क्या सरकार इस सम्बन्ध में .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

नागार्जुनकोंडा में खुदाई

*१२१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागार्जुन कोंडा की खुदाई में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या पुरातत्व वेत्ताओं के विचार में सारे ध्वंसावशेषों को नांदी कोंडा परियोजना के कार्य के फलस्वरूप जलमग्न हो जाने के पूर्व खोदना सम्भव हो सकेगा ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५३–५४ तक १०९७ एकड़ भूमि में खुदाई हुई । १९५४–५५ में ३.६ एकड़ की खुदाई हुई । इस समय लगभग एक एकड़ के क्षेत्र में खुदाई चल रही है ।

(ख) इस प्रश्न पर अभी जांच होनी बाकी है । जितने भी ध्वंसावशेषों की खुदाई संभव होगी, की जायेगी ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या आगामी वर्ष के बुद्ध जयन्ती समारोह को ध्यान में रखते हुए सरकार उक्त समारोह में आने वालों को नागार्जुनकोंडा में भी, जोकि विश्व का सबसे बड़ा स्मारक है, खुदाई दिखाने के लिये ले जाने का विचार कर रही है ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक मैं समझता हूं इस स्थान को उन बौद्ध पुण्य स्थानों में शामिल नहीं किया गया है, जहां कि बुद्ध जयन्ती मनाने की तैयारियां की जा रही हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : इन अवशेषों को रखने की क्या व्यवस्था की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में १९५६–५७ में कितना व्यय किये जाने की आशा है ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रश्न का निश्चय करना अभी बाकी है ।

श्री रघुरामैया : क्या ये अवशेष जो कि समारोहों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशों को भेजे गये थे, लौट आये हैं और क्या इन सारे अवशेषों को, जनमत के अनुसार बौद्ध के यथासम्भव निकट केन्द्रीय संग्रहालय में रखने का विचार किया जा रहा है ।

डा० एम० एम० दास : जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, इस प्रश्न का निश्चय करना बाकी है ।

श्री मेघनाद साहा : भारत में पुरातत्व की खोज की भारी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार के पास उनके कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने की कोई योजना है ? वर्तमान कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है ।

डा० एम० एम० दास : मैं आपका प्रश्न नहीं समझ सका ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर हो रही खुदाई को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रही है ? कर्मचारियों की वर्तमान संख्या बहुत कम तथा असंतोषजनक है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं विशेषत: नागार्जुनकोंडा की खुदाई के लिये कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जा रही है ।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्

*१२२. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्य करने के लिये कितने शिक्षा विशारदों को नियुक्त करने का विचार है ।

(ख) क्या कुछ व्यक्तियों को नियुक्ति कर दी गई है ; यदि हां, तो वे कितने एवं उन का वेतन क्या है ; और

(ग) माध्यमिक शिक्षा के किन-किन क्षेत्रों में गवेषणा को व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) अभी तक ८

क्षेत्रीय सेवाओं का निदेशक	१
क्षेत्रीय सेवाओं का उपनिदेशक	१
क्षेत्रीय सलाहकार	६
	८

(ख) हां ।

निदेशक १२०० रु०

उपनिदेशक १००० रु ०

एक क्षेत्रीय सलाहकार ७५०–५०–१००० रु०

(ग) माध्यमिक शिक्षा की विभिन्न समस्याओं में अनुसन्धान को यह परिषद् प्रोत्साहन देगी ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या विभिन्न डाइरेक्शन्स में कोई प्रोग्राम तैयार किये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : माध्यमिक शिक्षा के कई पहलू हैं । जिन लोगों को अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन नियुक्त किया गया है वे लोग माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं को निपटायेंगे और माध्यमिक शिक्षा परिषद् के कार्यकारी के रूप में कार्य करेंगे ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या उन के कार्य करने के लिये किसी कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है ?

डा० एम० एम० दास : उन्हें हाल में ही नियत किया गया है । अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् इस मामले की ओर ध्यान दे रही है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या कार्यक्रम बनाने के पूर्व ही नियुक्तियां कर ली जाती हैं ?

डा० एम० एम० दास : एक अस्थायी योजना बना ली गई है ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : प्रश्न के भाग (ख) का क्या उत्तर है ? मैं पहले नहीं समझ सका ।

डा० एम० एम० दास : भाग ख का उत्तर है :

"जी हां ३

निदेशक	१२०० रुपये
उपनिदेशक	१००० रुपये
१ क्षेत्र सलाहकार	७५०–५०–१००० रुपये

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या इन सभी व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया हैं ?

डा० एम० एम० दास : जी, हां ।

भारत गोआ सीमा

*१२४. **श्री इब्राहीम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार ने, भारत गोआ सीमा पर चोरी छिपे वस्तुएं ले जाना रोकने के लिये तीन स्थानों पर कांटेदार तार लगाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ये तार लगा दिये जायेंगे ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) तार लगाने का कार्य अगले वर्ष के आरम्भ तक समाप्त हो जायेगा ।

आसाम में तेल शोधनशाला

*१२५. **श्री अमजद अली :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपी कम्पनी जो कि आसाम में अधिक तेल खोजने के लिये निर्मित की गई

थी, तेल के उत्पादन को इतना बढ़ा सकेगी जिससे कि आसाम में शोधनशाला की स्थापना उचित होगी ; और

(ख) क्या आसाम का वर्तमान तेल उत्पादन इतना है कि उसके लिये एक शोधन-शाला स्थापित करना आवश्यक हो ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यह कहना संभव नहीं है कि आसाम में हो रही तेल की गहन खोज का परिणाम यह होगा कि वहां इतना तेल निकल सके कि आसाम में शोधन शाला स्थापित करना आवश्यक हो ।

(ख) जी नहीं। विशेषत: इसलिये कि आसाम तेल कम्पनी ने डिगबोई क्षेत्र से निक-लने वाले तेल के लिये पहले ही शोधनशाला खोल दी है ।

श्री अमजद अली : नहरकटिया के सातों कूपों से कितना तेल निकलता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास यहां पर आंकड़े नहीं हैं किन्तु वर्तमान उत्पादन के आधार पर शोधनशाला के स्थापन का विचार भी नहीं किया जा सकता ।

श्री अमजद अली : क्या यह सच है कि रुपी कम्पनी बनाते समय आसाम सरकार ने इस समवाय को आसाम तेल कम्पनी के साथ मिला देने का विचार पसन्द किया था ?

श्री के० डी० मालवीय : ये भी प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं। जैसे ही आसाम तेल कम्पनी के प्रतिनिधि अपने प्रस्ताव सरकार के पास भेजें, उन पर विचार किया जायेगा ।

श्री अमजद अली : क्या माननीय मंत्री जी जब पिछली बार आसाम गये थे उन्होंने इस प्रश्न की जांच की थी ?

श्री के० डी० मालवीय : उस समय रुपी कम्पनी खोलने का प्रश्न सरकार के सामने नहीं था । बाद में सफल खोजों के पश्चात ही यह प्रश्न उठा ।

श्री अमजद अली : मेरा प्रश्न आसाम में शोधनशाला खोलने के संबंध में था ।

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मेरा सम्बन्ध है सरकार के सामने शोधनशाला खोलने का प्रश्न तभी आ सकता है जब तक कि इस खोज तथा उत्पादन कार्य क्रम से पर्याप्त मात्रा में तेल निकालने की आशा हो ।

श्री देवेश्वर शर्मा : क्या डिगबोई शोधन-शाला में नहरकटिया कूपों तथा आसपास पाये जाने वाले सारे तेल को साफ किया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे विचार से अभी ऐसा नहीं है ।

भारत का भूतत्वीय मानचित्र

***१२६. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिसाप ने भारत का भूतत्वीय मानचित्र बनाया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना है

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख). समस्त देश का एक भूतत्वीय मानचित्र १ इंच-३२ मील के पैमाने पर प्रकाशित किया जा चुका है । १९५४ में उसका मानचित्र का पूर्णतया पुन-रीक्षण किया गया था परन्तु उसका प्रकाशन लग भग एक वर्ष पश्चात किया जायगा ।

भूतत्वीय मानचित्र बनाने का कोई कार्य लगातार होता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में, समय समय की आवश्यकताओं के अनुसार जब तक बड़े पैमाने में मानचित्रों की आवश्यकता रहेगी, यह कार्य भी होता रहेगा ; इस लिये मानचित्र बनाने की योजना का कोई अन्तिम रूप नहीं है ।

निगरानी पदाधिकारी

*१२८. **श्री कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री १८ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय ने, अपने यहां, एक निगरानी पदाधिकारी नियुक्त कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कौन से मंत्रालयों ने अभी ऐसा नहीं किया है ; और

(ग) क्या इन मंत्रालयों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिये कोई और प्रबन्ध किये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री कामत : गत अवसर पर सभा पटल पर रखे गये विवरण, जिसकी ओर इस प्रश्न का निर्देश है, में कहा गया था कि गृह मंत्री यह विचार कर रहे थे कि प्रत्येक मंत्रालय में उप-सचिव के स्तर के किसी पदाधिकारी का तत्काल ही नाम निर्देशन होना चाहिये । अब प्रत्येक मंत्रालय में निगरानी पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं, तो क्या प्रत्येक निगरानी पदाधिकारी उप-सचिव के स्तर का है और यदि नहीं तो क्या इससे उच्च स्तर का है अथवा संभवतया निम्न स्तर का भी है ?

श्री दातार : सामान्यतः वे सब उप-सचिव के स्तर के हैं ।

श्री कामत : क्या वे सब उप-सचिव के स्तर के हैं ?

श्री दातार : सामान्यतः वे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह सब के सम्बन्ध में नहीं बता सकते हैं । हो सकता है कि कोई न भी हो ।

श्री कामत : क्या इन निगरानी पदाधिकारियों को हिदायतों द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से, उच्च अधिकारियों जैसे संयुक्त सचिव तथा सचिव और, मंत्री तक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों अथवा आरोपों को सुनने का अधिकार दिया गया है ?

श्री दातार : प्रश्न केवल भ्रष्टाचार की शिकायत आदि सुनने का ही नहीं है । ये पदाधिकारी कई कार्यवाहियों के द्वारा, यथासम्भव भ्रष्टाचार रोकने के लिये नियुक्त किए गये हैं । जहां तक इन उच्च पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, सरकार स्वयं कार्यवाही करेगी ।

श्री कामत : क्या सरकार, राज्य सरकारों को, अपने क्षेत्रों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये इसी प्रकार की कार्यवाही करने की सलाह देने का विचार कर रही है ?

श्री दातार : अभी यह आवश्यक नहीं समझा गया है । यह योजना सफलतापूर्वक लागू होने के पश्चात्, हम राज्य सरकारों को इसी प्रकार की कार्यवाही करने की सलाह दे सकते हैं ।

श्री कामत : १८ अगस्त, १९५५ को सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि विशेष पुलिस संस्थापन की संख्या बढ़ाने अथवा उसे अधिक कुशल बनाने की आवश्यकता के प्रश्न पर अग्रेतर विचार किया जायेगा । क्या अब इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है तथा यदि हां, तो क्या इसकी वृद्धि कर दी गई है; यदि नहीं, तो कब तथा किस प्रकार इसकी संख्या में वृद्धि की जायेगी ?

श्री दातार : यह प्रश्न अब विचाराधीन है । अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

संस्कृत अध्यापक सम्मेलन

*१०६. **डा० सत्यवादी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, १९५५ में संस्कृत अध्यापकों का एक सम्मेलन

सरकार द्वारा दिल्ली मे बुलाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या उद्देश्य था ; और

(ग) क्या सम्मेलन में किये गये विनिश्चयों की एक प्रति सभा के टेबल पर रखी जायगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी ।

(ख) सम्मेलन का उद्देश्य था कि विश्व-विद्यालयों में संस्कृत के समान पाठ्य-क्रम के पुनर्गठन तथा संचालन और शिक्षण-स्तर के समन्वय के बारे में संस्कृत के प्रोफेसरों की सलाह ली जाये ।

(ग) सम्मेलन की कार्यवाही की छपी हुई प्रतियां जो अभी तैयार हो रही हैं शिक्षा के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के विचारों सहित यथा समय संसद् के पुस्तकालय में भेज दी जायेंगी ।

भारतीय वायु सेना दुर्घटना

*११२. **श्री जी० एल० चौधरी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रशिक्षक विमान ९ अक्टूबर, १९५५ को दिल्ली के निकट गिर पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को कितनी धनराशि की हानि हुई है ; और

(ग) दुघटना के क्या कारण हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) ७८,००० रुपये ।

(ग) इंजन का बन्द हो जाना ।

उस्मानिया विश्वविद्यालय

*११४. **श्री हेडा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, उस्मानिया विश्वविद्यालय का प्रबन्ध संभालने के सम्बन्ध में राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की कण्डिका संख्या ८६८ तथा ८६९ में दी गई सिफारिश संख्या ६७ पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस विषय पर राज्य सरकारों की राय मांगी है ; और

(ग) क्या सरकार राज्य की जनता की राय जानने का भी विचार कर रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार ने, हैदराबाद सरकार के परामर्श से १९५१ में, केन्द्रीय संस्था के रूप में, जिसमें मुख्य शिक्षा माध्यम हिन्दी में, उस्मानिया विश्वविद्यालय को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया था तथा शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति, स्थापित की गयी है जिसका काम इस प्रस्ताव पर शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धित दृष्टिकोणों से विचार करना है भारत सरकार ने यह निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श कर लिया था । राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी भारत सरकार के निर्णय का समर्थन किया है । राज्य की जनता के विचारों के जानने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

भारतीय प्रशासन सेवा के कर्मचारियों की भर्ती

*११५. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के सम्बन्ध में भारतीय प्रशासन सेवा के कितने और कर्मचारियों की आवश्यकता होने का अनुमान है ; और

(ख) इनकी भर्ती के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री बातार) : (क) लगभग ४३० ।

(ख) सामान्य ढंग से भर्ती के अतिरिक्त इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि सर्वसाधारण में से तथा राज्य असैनिक सेवा में से भारतीय प्रशासन सेवा के लिए आपात-कालीन भर्ती की जाय या नहीं ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

११६. श्री आर० एन० सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक तथा शारीरिक त्रुटियों वाले व्यक्तियों को फिर से काम पर लगाने के लिए, उनकी देखभाल के तरीकों आदि के बारे में सुझाव देने के लिये, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापित मंत्रणा समिति ने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यक्रम है ।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) समिति की मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]** ।

(ख) कार्यक्रम बनाया जा रहा है ।

ग्रामीण ऋण-व्यवस्था

***१२७. श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रिज़र्व बैंक ने, सहकारी शीर्ष बैंकों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दी है कि वे बैंक द्वारा दिए जाने वाले ग्राम्य ऋण के सम्बन्ध में प्रारम्भिक सहकारी समितियों के सदस्यों से ६¼ प्रतिशत से अधिक सूद न ले ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : भारत के रिज़र्व बैंक ने १३ अगस्त, १९५४ की अपने प्रेस विज्ञप्ति में राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बैंकों का ध्यान इस बात की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है कि वे सूद की रियायती दरों का लाभ अन्तिम ऋण लेने वाले व्यक्ति को पहुंचाएं । उस विज्ञप्ति में यह सुझाव भी दिया गया है कि अन्तिम ऋण लेने वाले व्यक्ति से ६¼ प्रतिशत से अधिक सूद न लिया जाये । मैं, ४ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ; जिससे ज्ञात होगा कि भारत के रिजर्व बैंक के लिये इस प्रकार के किस अनुदेश को लागू करना सम्भव नहीं है ।

टैक्नोलोजिकल विश्वविद्यालय

***१२९. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ अगस्त १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १००६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में टैक्नोलोजीकल विश्व-विद्यालय की स्थापना करने की संभावनाओं के सम्बन्ध में जांच करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने जो समिति नियुक्त की थी उसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) इस विश्वविद्यालय में किन-किन विषयों में टैक्नोलोजीकल प्रशिक्षा दी जायगी ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस सम्बन्ध में सरकार से क्या सिफारिशें की है; और

(घ) यदि भाग (क) और (ग) के उत्तरों से यह प्रतीत होता हो कि देरी होगी तो सिफारिशें कब तक की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). समिति की रिपोर्ट का इन्तज़ार है ।

(घ) आशा है कि समिति शीघ्र ही रिपोर्ट दे देगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्तिम सिफारिशें अगले दो महीने में मिल जायेंगी ।

जातीयता तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी गोष्ठी

*१३०. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जातीयता तथा अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी ने इस सामाजिक बुराई के निवारणार्थ कुछ ठोस प्रस्ताव रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). गोष्ठियां इसलिए होती हैं कि विभिन्न सामाजिक कार्यकर्त्ता इस विषय पर विचार विमर्श कर सकें जिससे कि उन्हें अपने कार्य में सहायता मिले । अधिकारियों अथवा सरकार द्वारा कार्यवाही करने के सम्बन्ध में न तो कोई औपचारिक संकल्प ही पारित किए जाते हैं तथा न कोई प्रस्ताव ही भेजे जाते हैं । भारत सरकार को जातीयता तथा अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी से कोई ठोस सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

काण्डला में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती

***१३१. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काण्डला बन्दरगाह पर विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में १० लाख रुपये के मूल्य की आयात हुई वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष पुलिस संस्थापन द्वारा की गई जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए तथा क्या कोई मुकदमा चलाये जाने की कोई सम्भावना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जांच पूरी हो चुकी है ।

(ख) पुलिस प्रतिवेदन का अध्ययन किया जा रहा है ।

इण्डिया ऑफिस पुस्तकालय

*१३२. **श्री बोगावत :**
श्री राधा रमण :
श्री एम० आर० कृष्ण :
श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री नम्बियार :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार ने इण्डिया ऑफिस पुस्तकालय पर भारत के दावे को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में लार्ड होम से कोई चर्चा हुई थी, जब वह अक्तूबर, १९५५ में नई दिल्ली में पधारे थे ; और

(ग) भारत सरकार की इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

पुस्तकालय

*१३३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पुस्तकालयों के सम्बन्ध में सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने के लिये यूनेस्को से प्राप्त हुई प्रश्नमाला के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) इस प्रश्न माला का उद्देश्य क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) आवश्यक उपलब्ध जानकारी यूनेस्को को भेज दी गई है ।

(ख) उसका उद्देश्य पुस्तकालयों के बारे में नवीनतम उपलब्ध सांख्यिकियों को एकत्रित करना तथा भारत में प्रयुक्त परिभाषाओं और वर्गीकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना था ।

लोक लेखा समिति की सिफारिशें

*१३४. **श्री गिडवानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार अत्यधिक अध्यर्पण से बचने के लिये व्यय का अच्छी प्रकार से प्राक्कलन करने के लिये और उस पर उचित नियंत्रण रखने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और असनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् ।

प्रमुख रूप से यह तो सम्बन्धित प्रशासनीय मन्त्रालयों का कर्तव्य है कि वे उपयुक्त आय-व्ययक प्राक्कलन तैयार करें, अनुदानों के मुकाबले वास्तविक व्यय की प्रगति का निरीक्षण करें और अनुपूरक मांगों को प्राप्त करने अथवा अध्यर्पणों के बारे में सूचित करने के लिये सामयिक कार्यवाहियां करें । आय-व्ययक प्राक्कलन तैयार करने के लिये सामान्य अनुदेश सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों में दिये गये हैं और आवश्यकता के समय वित्त मन्त्रालय द्वारा विशेष अनुदेश जारी किये जाते हैं । वित्त मन्त्रालय में सभी प्राक्कलनों की यथासम्भव अच्छी प्रकार से जांच की जाती है ।

व्यय की गति पर निरन्तर दृष्टि रखने के लिये मन्त्रालय अपने अधीनस्थ खर्च करने वाले विभागीय प्राधिकारियों से व्ययों के सम्बन्ध में समय समय पर प्रतिवेदन प्राप्त कर रहे हैं । किसी भी मन्त्रालय का वित्त-परामर्शदाता समय समय पर (प्रायः त्रैमासिक) बैठकें बुलाता है जिनमें मुख्य मुख्य विषयों पर होने वाले खर्चों पर पुनर्विचार किया जाता है और पूर्णरूपेण नियंत्रण रखने अथवा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्यवाहियां करने के सम्बन्ध में मन्त्रालयों को परामर्श देता है । प्रत्येक वर्ष के उत्तरार्ध में इस बात को निश्चित करने के लिये एक विशेष जांच की जाती है कि वे राशियां जो खर्च नहीं की गई हैं वे शीघ्र ही वापिस कर दी गई हैं और कोई भी वांछित अनुपूरक अनुदान समय पर दे दिया गया है ।

भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन का इतिहास

*१३५. **डा० सुरेश चन्द्र :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि १८५७के भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिये सामग्री एकत्रित करने के लिये एक पदाधिकारी लन्दन भेजा जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : ऐसी प्रस्थापना है कि डा० एस० एन० सेन को, जिन्हें १८५७ के भारतीय आन्दोलन का इतिहास लिखने के लिये आयुक्त किया गया है, लन्दन से उपलब्ध सामग्री एकत्रित करने के लिये वहां पर चार छः सप्ताहों के लिये भेजा जाये ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारी

*१३७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाब में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान बनाने की एक योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्थापना इस समय किस स्थिति में है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) हां, श्रीमान् । सरकार पंजाब में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिये तीन श्रेणियों में निवास-स्थान बनाने पर विचार कर रही है :—

(१) पंजाब के विभिन्न नगरों में अघोषित (नान-गज़ेटिड) कर्मचारियों के लिये ;

(२) पंजाब के मुफ़स्सल क्षेत्रों के सीमा पदाधिकारियों (रेंज आफीसर्स) के लिये,

(३) पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा के भूमि सीमा शुल्क केन्द्रों पर नियोजित कर्मचारियों के लिये ।

(ख) स्थानीय पदाधिकारियों को उन क्वार्टरों के लिये स्थान चुनने के लिये, और अपने अधीन निर्माण कार्यक्रम की प्राथमिकताओं के बारे में सुझाव देने के लिये कहा गया है ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

*१३८. **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या लोक-साहित्य की तैयारी तथा सृजन के लिये एक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास स्थापित करने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इस प्रयोजन के लिये एक योजना बना ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितना आवर्तक और अनावर्तक खर्च आने का अनुमान है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) योजना का ब्यौरा अभी तयार करना है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

लेखा-परीक्षा का लेखा से पृथक् किया जाना

*१३९. **श्री इब्राहीम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की लेखा-परीक्षा को लेखों से पृथक् करने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : पृथक् करने की योजना केन्द्र में तो तीन विभागों में १ अप्रैल, १९५५ से और दो अन्य विभागों में १ अक्तूबर, १९५५ से लागू कर दी गई है । १ दिसम्बर, १९५५ से यह एक और विभाग में भी लागू कर दी जायगी ।

राज्यों में, यह योजना १ अगस्त, १९५५ से पश्चिमी बंगाल सरकार के दो विभागों में

और १ अक्तूबर, १९५५ से सौराष्ट्र सरकार के एक विभाग में लागू कर दी गई है ।

मालडा पश्चिमी बंगाल में खुदाई

*१४०. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री १ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मालडा जिले के गज़ोले पुलिस-थाने के निकट पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई करने के लिये एक दल भेज दिया गया है ।

(ख) यदि हां, तो वह दल वहां पर कब से और कितने समय तक कार्य करेगा ; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके कब तक भेजे जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

तेल तथा गैस विभाग

*१४१. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा गैस विभाग के लिये तेल खोजने और भूमि में छेद करने का आवश्यक सामान प्राप्त हो गया ह ; और

(ख) यदि हां तो क्या नये क्षेत्रों में तेल खोजने का कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई प्रस्थापना है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस विभाग के लिये खोज करने तथा भू-छेदन का आवश्यक सामान प्राप्त किया जा रहा है; कुछ सामान प्राप्त किया जा चुका है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

औद्योगिक वित्त निगम

*१४२. **श्री कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९५५ से लेकर आज तक औद्योगिक वित्त निगम से सहायता प्राप्त करने के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) प्रत्येक स्वीकृत आवेदन पत्र के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) १ जुलाई, १९५५ से लेकर ३१ अक्तूबर, १९५५ तक की अवधि में तीस ।

(ख) इस अवधि में स्वीकृत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०]**

मूल रूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना अम्बरनाथ

*१४३. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने मूल रूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ, में अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त कार्मिक परीक्षा (ट्रेड टेस्ट) पास कर ली है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अभी तक ६७ विद्यार्थियों के प्रथम दल ने इन्हीं दिनों, मूल रूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ में अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है । कार्मिक परीक्षायें (ट्रेड टेस्ट) अब हो रही हैं और नवम्बर, १९५५ के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगी ।

विधि आयोग

*१४४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) विधि आयोग ने अपनी नियुक्ति के पश्चात् कामकाज में क्या प्रगति की है ; और

(ख) क्या कोई अन्तःकालीन प्रतिवेदन दिया गया है ?

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) १६ सितम्बर, १९५५ को विधि आयोग के सदस्यों ने कार्यभार संभाला था । उसी दिन आयोग की प्रथम बै क हुई जिसमें आयोग ने निर्देश-पदों पर विचार किया और उन बातों को तय किया जिन के अनुसार उसे आगे कार्य करना होगा । आयोग का पहला दल न्यायिक सुधारों के सम्बन्ध में प्रश्नावली तैयार करने के लिए विभिन्न सूत्रों से, जिनमें राज्य सरकारें और उच्च न्यायालय भी हैं, सामग्री एकत्रित कर रहा है । दूसरे दल ने सर्वप्रथम निम्नलिखित सात अधिनियमों के पुनरीक्षण का कार्य संभाला है ;

१. परिसीमा अधिनियम
२. संविदा अधिनियम
३. विशिष्ट अनुतोष अधिनियम
४. भागिता अधिनियम
५. वस्तु विक्रय अधिनियम
६. परक्राम्य संलेख अधिनियम
७. पंजीयन अधिनियम

दूसरे दल के सदस्यों में इस कार्य को बांटा गया है । इसके अतिरिक्त दूसरा दल आजकल, विधि मंत्रालय द्वारा आयोग को निर्दिष्ट साधारण महत्व के विषयों के सम्बन्ध में विधान बनाने का कार्य संभालने के प्रश्न पर विचार कर रहा है । दोनों दलों का कार्य प्रगति कर रहा है ।

(ख) इन और दूसरे परिनियमों के पुनरीक्षण कार्य में काफी अध्ययन तथा गवेषणा की आवश्यकता है । कुछ समय तक अन्तः-कालीन प्रतिवेदनों की आशा नहीं की जा सकती । न्यायिक सुधार के सम्बन्ध में आयोग को इस बात पर विचार करना होगा कि अन्तःकालीन प्रतिवेदन उपस्थापित किया भी जाना चाहिए या नहीं ।

रूपकुंड झील

*१४५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमालय में रूपकुण्ड झील की यात्रा के सम्बन्ध में अब तक जिन विदेशी व्यक्तियों —विशेषज्ञों या दूसरों—ने अनुमति प्रदान किए जाने के लिए कहा है उनकी संख्या क्या है और वे किस किस देश के हैं ; और

(ख) इन में से उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें अनुमति दी गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). रूपकुण्ड झील जाने के सम्बन्ध में विदेशियों के लिये ऐसी किसी विशेष अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। जो विदेशी पहले से ही भारत में हैं वे बिना किसी विशेष उपचार के वहां जा सकते हैं । इस स्थिति में उन विदेशियों की संख्या और राष्ट्रीयता बताना सम्भव नहीं है,जो रूपकुण्ड झील की यात्रा कर चुके हैं।

पंजाब में युवक शिविर

*१४६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में पंजाब राज्य में जिन युवक शिविरों का संघटन किया गया उनकी संख्या क्या है ;

(ख) वे किन स्थानों पर लगे ;

(ग) उनके कार्य का स्वरूप क्या था ;

(घ) प्रत्येक शिविर पर अलग अलग कितनी रकम खर्च हुई ; और

(ङ) प्रति व्यक्ति पर प्रति दिन के हिसाब से औसत रूप से कितना खर्च आया ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ४० ।

(ख) से (घ) . सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें शिविरों के स्थान, जो कार्य किया गया उसका स्वरूप और भारत सरकार ने जितनी रकम की स्वीकृति दी, वह बताई गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]**

(ङ) जब लेखा दिया जाएगा तब यह ज्ञात होगा कि प्रति व्यक्ति पर प्रति दिन के हिसाब से औसत रूप से क्या खर्च हुआ है फिर भी १ रु० १२ आ० प्रति व्यक्ति प्रति दिन के आधार पर खर्च की स्वीकृति दी गई थी और इस रकम में वास्तविक खर्च के अनुसार समायोजन हो सकता है ।

जीवन यापन व्यय देशनांक

***१४७. श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री १८ अगस्त १९५५ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय जीवन यापन-व्यय देशनांक के संकलन के सम्बन्ध में जो प्रविधिक मंत्रणा समिति नियुक्त की गई थी उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है, जिसमें निर्वाह-व्यय देशनांक सम्बन्धी प्रविधिक मंत्रणा समिति के सदस्यों के नाम दिए गए हैं। **[देखिये परिशिष्ट २२ अनुबन्ध सख्या ३२]**

(ख) तब से अब तक परिवार आय-व्ययक के सम्बन्ध में नए सिरे से जांच करने के लिए और श्रमिक वर्ग के लिए एक अखिल भारतीय आधार पर उपभोक्ता मूल्य देशनांक बनाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जा चुकी है और राज्य सरकारों के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है ।

भारत में विदेशी

५५. श्री एच० आर० नथानी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विदेशी नागरिकों की (दूतावास कर्मचारियों तथा सरकारी नौकरी करने वाले विदेशी अधिकारियों तथा विशेषज्ञों के अतिरिक्त) कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनमें से कुछ सामाजिक सेवा कार्य में लगे हुए हैं, और यदि हां तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) भारत में ये लोग किन-किन प्रमुख धंधों में लगे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ३१ दिसम्बर, १९५४ को भारत में रजिस्टर्ड विदेशियों की संख्या ३९,३७० है :

(ख) हां, ६६८ :

(ग) व्यापार, मिशनरी कार्य, अध्ययन, चिकित्सा और सामाजिक कार्य और यात्रियों के रूप में ।

भारतीय प्रशासन सेवा

५६. श्री एच० आर० नथानी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२ से अब तक देश में ली गई भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं में कितनी महिलायें बैठी हैं ;

(ख) कितनी सफल हुई हैं ; और

(ग) कितनों की नियुक्ति हुई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३३]

कच्चा लोहा

५७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में देश में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) १९५४ में कुल कितना उत्पादन हुआ था ; और

(ग) यदि निर्यात किया गया है तो उसकी मात्रा क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारत में अच्छी किस्म के कच्चे लोहे के बड़े-बड़े भू-भंडार हैं । रूरकेला और भिलाई में दो नये लोहे और इस्पात के प्लांट स्थापित करने के सिलसिले में कुछ निक्षपों में मौजूद माल की ठीक ठीक मात्रा मालूम करने और कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय खनिज विभाग द्वारा व्यधन (ड्रिलिंग) अनुसंधान किये जा रहे हैं । यह निक्षेप उड़ीसा में टालडी और दुर्ग ज़िले में ढाल्ली-राफार पहाड़ियों के नज़दीक हैं ।

(ख) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, उपलब्ध सामग्री के आधार पर, सूचित मात्रा ४३,०८,२७३ टन ।

(ग) १०,५३,००० टन ।

राज्य पुनर्गठन आयोग

५८. **चौधरी मुहम्मद शफ़ी :**
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग पर उन शीर्षों के अन्तर्गत कुल कितनी रकम खर्च हुई है—(i) वेतन, (ii) यात्रा भत्ता, (iii) दैनिक भत्ता और (iv) दूसरे विविध व्यय ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत) : दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते के खर्च का ब्यौरा इस समय पृथक् रूप से प्राप्य नहीं है । ३० सितम्बर, १९५५ तक राज्य पुनर्गठन आयोग पर हुआ कुल खर्च इस प्रकार है :

	रुपये
वेतन	६,५२,३२८ ० ०
यात्रा भत्ता जिसमें दैनिक भत्ता भी सम्मिलित है	१,४८,७७३ ७ ०
दूसरे विविध व्यय	२,०५,५६७ १४ ३

विदेशों में पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

५९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विविध प्राविधिक सहायता योजनाओं के अधीन प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के जो घोषित पदाधिकारी विदेश भेजे गए उनकी संख्या क्या है ; और

(ख) उन पदाधिकारियों की संख्या क्या है जिन्हें या तो उस कार्य पर नहीं लगाया गया जिसका प्रशिक्षण उन्हें दिया गया था या जो उसके बाद केन्द्रीय सरकार से पृथक् हो गए हैं या रिटायर हो चुके हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

झंडा दिवस

६०. **श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४ में झंडा-दिवस को एकत्रित की गई धनराशि में से कितना व्यय हुआ है और किन-किन प्रमुख मदों पर वह व्यय किया गया है ; और

(ख) इस वर्ष झंडा-दिवस को और अधिक सफल बनाने के लिये क्या विशेष कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) १६५४ में एकत्रित किए गये धन में से अभी तक कोई खर्च नहीं किया गया है । धन को भिन्न भिन्न मदों में बांटने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और ऐसी आशा की जाती ह कि कुछ ही दिनों में यह कार्य पूर्ण हो जायेगा ।

(ख) झंडा दिवस को इस वर्ष पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए निम्नांकित विशेष प्रयत्न किये गये हैं ।

(१) धन-संग्रह का कार्य संगठित रूप से करने के लिये करीब करीब सभी राज्यों में स्थायी समितियों का निर्माण किया गया है जिनके अध्यक्ष राज्यों के प्रधान या मुख्य मंत्री हैं । जिलों के अफसरों को भी आदेश दिया गया है कि वे भी अपनें अपने जिलों में इसी प्रकार की समितियों का निर्माण करें ।

(२) सैनिक अफसरों को हिदायत की गई है कि वे स्थानीय समितियों से घनिष्ठ सम्पर्क रखें ।

(३) राज्यों की समितियों को निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है ।

(क) वाणिज्य तथा व्यवसाय सम्बन्धी बड़ी बड़ी फर्मों के पास जाकर व्यक्तिगत दान के अतिरिक्त उदारतापूर्वक विशेष दान देने के लिए प्रार्थना की जाय ।

(ख) जहां कहीं भी फ्लाइंग क्लब हैं उनसे फण्ड की सहायता के लिए एप्रोवेटिक्स आयोजन करने के लिए कहा जाय ।

(ग) रेल क्लबों तथा खेल-कूद वाली संस्थाओं से विशेष आयोजन करने के लिए प्रार्थना की जाय ।

(घ) होटलों तथा रेस्टोरेण्टों के प्रबंधकों से प्रार्थना की जाय कि वे फण्ड को पूर्ण या आंशिक सहायता के लिए विशेष नृत्य या अन्य मनोरंजन का आयोजन करें ।

(च) वर्ष में चैरिटी शो तथा अन्य मनोरंजनों का आयोजन किया जाय ।

(छ) विज्ञापन कार्य काफी पहिले से आरम्भ किया जाय और राज्यपाल राज्य-प्रमुख तथा मुख्य मंत्री इस अवसर पर अपील निकालें ।

(ज) इस दिवस का महत्व बतलाने के लिए निश्चित दिन से तीन दिन पहिले से सिनेमा स्लाइड से प्रचार किया जाय ।

(झ) जहां कहीं भी आवश्यकता हो राष्ट्री-सेना छात्रों में से स्वयंसेवकों को लेकर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाय ।

हुमायूं का मकबरा

६१. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १६५४ में समाप्त होने वाले तीन वर्षों में हुमायूं के मकबरे की देखभाल पर कितनी रकम खर्च हुई है

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : १६५२ से १६५५ तक १,२७,८२६ रु० खर्च हुए ।

निवारक निरोध

६२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत आजकल प्रत्येक राज्य में निरुद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें ३० सितम्बर, १६५५ तक निरुद्ध व्यक्तियों की, संख्या दिखाई गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३४]**

अपहृत बच्चे

६३. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५ में अक्तूबर तक दिल्ली में जिन बच्चों का अपहरण हुआ उनकी संख्या क्या है ;

(ख) इन बच्चों में कितनी बालिकाएं थीं ;

(ग) अब तक कितने बच्चे ढूंढ लिए **गए हैं ;**

(घ) १६५४ में इसी काल में कितने बच्चे अपहृत हुए, उनमें बालिकाओं की संख्या कितनी थी और कितने ढूंढ निकाले गये ; और

(ङ) बच्चों के अपहरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ङ) प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना दिल्ली राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसके मिलते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लोग

६४. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर १६५४ से सितम्बर १६५५ के समय में केन्द्रीय सचिवालय और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनूसूचित जातियों के ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या थी जिन्हें एसिस्टैण्ट, एसिस्टैण्ट सुपरिण्टैडैण्ट, सुपरिण्टैंडेंट, श्रेणी १ तथा श्रेणी २ पदाधिकारियों के पद पर नियुक्त किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३५]**

सरकारी कर्मचारियों द्वारा दीवानी मुकदमे

६५. **श्री इब्राहीम** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५४–५५ में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने सरकार पर अपने पारिश्रमिक या पदच्युत जो सेवामुक्त किए जाने के कारण उसे दीवानी मुकदमे दायर किए गए उनकी (राज्य वार) संख्या क्या थी ; और

(ख) भाग (क) में जिन मुकदमों की चर्चा है उनमें से ऐसे मुकदमे (राज्य वार) संख्या कितनी है जिनमें प्रथम न्यायालय ने वादी के पक्ष में डिग्री दी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) प्रश्न के सम्बन्ध में सूचना शीघ्र ही नहीं मिल सकती और इसे इकट्ठा करने में व्यर्थ ही समय और श्रम नष्ट होगा ।

पंजाब में बैंक

६६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनके मुख्यालय पंजाब में थे और जो १५ अगस्त, १६४७ के बाद फेल हुए ;

(ख) प्रत्येक बैंक में कितना रुपया जमा था ; और

(ग) रुपया जमा कराने वालों को अब तक कुल कितनी रकम दी जा चुकी है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह): (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३६]**

भारत में ईरानी विद्यार्थी

६७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १६५३–५४ में ईरान के कितने विद्यार्थी भारत की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अध्ययन कर रहे थे ; और

(ख) ईरान के कितने विद्यार्थी इस समय भारत में उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) चार ।

(ख) चार ।

चोरी छिपे लाया गया सोना

६८. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा एक जुलाई से लेकर नवम्बर १६५५ के अन्त तक की कालावधि में कितना सोना पकड़ा गया ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : क्योंकि प्रश्न का उत्तर २३ नवम्बर, १६५५ को दिया जा रहा है, इसलिये यह बताना सम्भव नहीं है कि नवम्बर १६५५ के अन्त तक कितना सोना पकड़ा गया । हां, जुलाई से अक्तूबर तक की कालावधि के सम्बन्ध में आंकड़े दिये जा रहे हैं । इस कालावधि में १८,६५३ तोला पकड़ा गया ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

७०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय बोर्ड रिजर्व पुलिस में कुल कितने व्यक्ति हैं;

(ख) १६५५ में उपरोक्त पुलिस किन किन स्थानों को भेजी गयी और वहां उसने क्या क्या कार्य किया ; और

(ग) उपरोक्त कालावधि में उसके कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देना लोक हित में नहीं होगा कि १६५५ में उपरोक्त पुलिस किन किन स्थानों को भेजी गयी, वहां उसने क्या क्या कार्य किया और उसके कितने व्यक्ति हताहत हुए ।

[बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ३८५१–८८

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
९८	रूपकुण्ड में मानवीय अवशेष	३८५१–५२
९९	नाइलन के रस्से	३८५३–५४
१००	भारत-इराक सांस्कृतिक क़रार	३८५४
१०१	खेल-कूद	३८५४–५६
१०२	जनसंख्या के आंकड़े	३८५६–५७
१०३	राज्य पुनर्गठन आयोग	३८५७–६६
१०४	विक्रय कर	३८६६–६७
१०५	भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्	३८६७–६८
१०८	कर जांच के आयोग का प्रतिवेदन	३८६८–६९
१३६	व्यक्तिगत आय की अधिकतम सीमा	३८६९–७०
१०७	पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयां	३८७१–७२
१०९	तम्बाकू के बीज का तेल	३८७२–७३
११०	अन्तर्राष्ट्रीय अपराध विद्या कांग्रेस	३८७३–७४
१११	भारतीय सेना में विदेशी विशेषज्ञ	३८७४–७५
११३	बाढ़ पीड़ितों को सहायता	३८७५–७६
११७	रक्षा सम्बन्धी सामान	३८७६
११८	समुद्र तार व्यय	३८७६–७८
११९	पिछड़े वर्गों को छात्र-वृत्तियां	३८७८–८०
१२०	मथुरा में खुदाई	३८८०–८१
१२१	नागार्जुनकोंडा में खुदाई	३८८१–८२
१२२	अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्	३८८२–८४
१२४	भारत-गोआ सीमा	३८८४
१२५	आसाम में तेल-शोधनशाला	३८८४–८६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१२६	भारत का भूतत्वीय मानचित्र	३८८६
१२८	निगरानी पदाधिकारी	३८८७–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर ३८८८–३९१२

१०६	संस्कृत अध्यापक सम्मेलन	३८८८–८९
११२	भारतीय वायु सेना दुर्घटना	३८८९
११४	उस्मानिया विश्वविद्यालय	३८९०
११५	भारतीय प्रशासन सेवा के कर्मचारियों की भरती	३८९०–९१
११६	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	३८९१
१२७	ग्रामीण ऋण व्यवस्था	३८९१–९२
१२९	टैक्नोलोजिकल विश्व विद्यालय	३८९२–९३
१३०	जातीयता तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी गोष्ठी	३८९३
१३१	कांडला में विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती	३८९३–९४
१३२	इंडिया आफिस पुस्तकालय	३८९४–९५
१३३	पुस्तकालय	३८९५
१३४	लोकलेखा समिति की सिफारिशें	३८९५–९६
१३५	भारतीय स्वातन्त्र्य आन्दोलन का इतिहास	३८९६–९७
१३७	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारी	३८९७
१३८	राष्ट्रीय पुस्तक-न्यास	३८९८
१३९	लेखा-परीक्षा का लेखा से पृथक किया जाना	३८९८–९९
१४०	मालडा, पश्चिमी बंगाल, में खुदाई	३८९९
१४१	तेल तथा गैस विभाग	३८९९
१४२	औद्योगिक वित्त निगम	३९००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
१४३	मूलरूप मशीनी औजार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	३९००
१४४	विधि आयोग	३९०१–०२
१४५	रूपकुंड झील	३९०२
१४६	पंजाब में युवक शिविर	३९०२–०३
१४७	जीवनयापन व्यय देशनांक	३९०३–०४

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
५५	भारत में विदेशी	३९०४
५६	भारतीय प्रशासन सेवा	३९०४–०५
५७	कच्चा लोहा	३९०५
५८	राज्य पुनर्गठन आयोग	३९०६
५९	विदेशों में पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	३९०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
६०	झंडा दिवस	३९०७–०८
६१	हुमायूं का मकबरा	३९०८
६२	निवारक निरोध	३९०९
६३	अपहृत बच्चे	३९०९
६४	नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लोग	३९१०
६५	सरकारी कर्मचारियों द्वारा दीवानी मुकद्दमे	३९१०
६६	पंजाब में बैंक	३९१०–११
६७	भारत में ईरानी विद्यार्थी	३९११
६८	चोरी छिपे लाया गया सोना	३९११–१२
७०	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	३९१२

लोक-सभा

वाद-विवाद

बुधवार,
२३ नवंबर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ९ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक	५६४७
नदी बोर्ड विधेयक	५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	५६४८
नागरिकता विधेयक	५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक	५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक	५६४९
समवाय विधेयक	५६४९–५३
नागरिकता विधेयक	
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९	५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका	५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—	
बम्बई की स्थिति	५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	५७५२
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—	
खंड १९	५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५७५५
समवाय विधेयक	५७५५–७३
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १	५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	५८१९–२७

	स्तम्भ
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका	५८३३–३४
संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५	
स्थगन प्रस्ताव——	
बम्बई की स्थिति . .	५८३५–४०
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
उनतालीसवां प्रतिवेदन . .	५८४०
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका	५९१७–१८
संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५	
पटल पर रखे गये पत्र . .	५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . .	५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण	५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	५९२२–२३
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव	५९२३
खंडों पर विचार . .	५९८७–६०१०
खंड २ . .	५९८७–९५
खंड ३ और ४ .	५९८७–९५
खंड ५ .	५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका .	६०११–१४
संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रख गये पत्र .	६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——	
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . .	६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२	६०२२–५५

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

बालीसवां प्रतिवेदन

	स्तम्भ
कार्य मंत्रणा समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक	६२१५—३७
विचार करने का प्रस्ताव	६२१५
खंड १ से ४	६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक	६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६२३८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव	६२८०
दैनिक संक्षेपिका	६२८९–९२
संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक	६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक	६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न	६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६३००
खंडों पर विचार—	
खंड २ से ४६ और १	६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव	६३१२
खंडो पर विचार—	
खंड २ से ४ और १	६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव	६३७२
दैनिक संक्षेपिका	६३७३–७६
संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३७७, ६३८४
स्थगन प्रस्ताव—	
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति	६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३–८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४–६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९–३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३–६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७–६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९–६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७–५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०–६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१–६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३–५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३–५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–९९२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–९४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव ७०१८

खंड २ और १ ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक-सभा

बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बज समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुय]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्याह्न

स्थगन प्रस्ताव

बम्बई की स्थिति

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : जिस ढंग से यह स्थगन प्रस्ताव अब स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जायगा, उस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें इस सभा के विशेषाधिकार और प्रक्रिया का विषय निहित है । आप इस बात से सहमत होंगे कि इस प्रस्ताव के गुण दोषों की विवेचना करने अथवा बम्बई की घटनाओं के कारण प्रगति आदि पर मंत्री महोदय द्वारा एक लंबा विवरण देने का यह अवसर नहीं है। स्थगन प्रस्ताव निन्दा प्रस्ताव और अविश्वास-प्रस्ताव भिन्न भिन्न उपाय हैं और प्रत्येक का अपना अलग महत्व है । इस समय, प्रक्रिया की दृष्टि से और प्रविधिक रूपसे आप को इस बात का निर्णय करना है कि यह प्रस्ताव ग्राह्य है अथवा नहीं । कल आपने निर्णय इसलिये स्थगित कर दिया था कि सेना के बुलाये जाने का निर्देश किया गया था । मंत्री महोदय को केवल यह बताना है कि सेना बुलायी गयी थी अथवा नहीं और आगे यह फैसला आपको करना है कि प्रस्ताव ग्राह्य है अथवा नहीं । इस सभा में यही प्रक्रिया बराबर रही है कि जब कि कभी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी जाती है तो मंत्री महोदय को एक औपचारिक विवरण देने का अवसर दिया जाता है जिसमें वे उस विषय पर अपना मत भी प्रकट करते हैं । मेरा यह नम्र निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिये, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव का अर्थ निन्दा-प्रस्ताव अथवा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं है । वह तो नियमों के अन्तर्गत अविलम्ब लोकमहत्व के निश्चय विषय पर चर्चा चलाने का एक तरीका है । सभा और देश, दोनों के लिये ही तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, किन्तु मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को घटनाओं के कारण, प्रगति आदि पर एक औपचारिक विवरण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये; उन्हें केवल यह बताना है कि सेना बुलायी गयी थी या नहीं। इस बात के निबटारे के बाद आपको यह निर्णय करना है कि यह प्रस्ताव नियमों के अन्तर्गत है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य का कथन पूरी तौर से नहीं समझ पाया हूं । तथ्यों के अभाव में मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं । माननीय मंत्री महोदय को तथ्य तो बताने ही पड़गे । कुछ तथ्य वास्तविक हो सकते

[अध्यक्ष महोदय]

हैं, कुछ अनुमानिक । जो भी हो, कल मैंने बताया था कि यदि सेना का उल्लेख न हुआ होता तो मैंने सीधे यह निर्णय दिया होता कि यह प्रस्ताव राज्य में शान्ति और विधि के प्रश्न से सम्बन्धित है जो केन्द्र के उत्तरदायित्व से परे है और इसलिये प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हो सकता । किन्तु चूंकि सैनिक कार्यों का उल्लेख किया गया था, मैं चाहता हूं कि स्थिति स्पष्ट की जाय । यह माननीय मंत्री महोदय पर निर्भर है कि वे जैसा चाहें वैसा विवरण दें, वे तथ्यों का भी पूरा विवरण दे सकते हैं । किन्तु मैं बम्बई की घटनाओं पर अथवा बम्बई सरकार के उतरदायित्व पर चर्चा के लिये अनुमति नहीं दूंगा ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त): आपकी इच्छानुसार मैं बम्बई में हुई दुखद घटनाओं के बारे में एक विवरण बड़े क्षोभ और दुख के साथ सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । २१ नवम्बर के सायंकाल बंबई सरकार द्वारा जारी की गयी एक प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति जिसमें उस दिन के उपद्रवों का विवरण दिया गया है, मैं सभा पटल पर रखता हूं ।[**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३८] तथ्य निम्न प्रकार से है : १८ नवम्बर को, कुछ लोगों ने कौंसिल के सामने प्रदर्शन किया । बंबई राज्य बनाने के विरोध में उसी शाम एक सार्वजनिक सभा की गयी, जिसमें यह निर्णय किया गया कि २१ नवम्बर को शहर में हड़ताल की जाये । इसके लिये संपूर्ण बृहत्तर बंबई में और खासकर श्रम-क्षेत्रों में सभाओं के द्वारा और पर्चियों तथा पोस्टर आदि बांटकर जोरदार तैयारियां की गयीं । लोगों को हिंसा के लिये उत्तेजित करने वाले उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये । परिणाम यह हुआ कि २० नवम्बर को चौपाटी पर श्री एस के० पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में कुछ उपद्रवकारियों ने उपद्रव किया । २१ नवम्बर को प्रातःकाल ही गुंडों और समाज-विरोधियों ने उत्तरी बंबई की बसों और ट्रामों पर यात्रियों और पैदल चलने वाले लोगों पर आक्रमण करना और पत्थर आदि फेंकना प्रारंभ किया, जिससे कुछ लोग आहत भी हुए । कुछ पुलिस चौकियों पर हमला किया गया और उन्हें आग लगा दी गयी । आग बुझाने के लिये भेजे गये होम गार्डों पर भी आक्रमण किया गया । चलती गाडियों पर पत्थर और तेजाब फेंका गया तथा कुछ बसों और ट्रामों को आग लगा दी गयी । कुछ स्थानों पर उपद्रव शान्त करने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को लाठी का प्रयोग करना पडा और एक स्थान पर तो उसे गोलियां भी चलानी पड़ी । शाम को गुंडों और उपद्रवकारी दक्षिण बंबई की ओर बढे । कौंसिल हाल की ओर बढ़ने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ी उत्तेजित भीड़ फ्लोरा फुव्वारे पर इकट्ठी हुई । भीड़ को तितर बितर करने के लिये पुलिस ने अश्रुगैस का उपयोग किया, किन्तु वह असमर्थ रही । भीड़ और अधिक हिंसात्मक और आक्रमणात्मक हो गयी और उसने पत्थर फेंकने शुरू किये, जिससे सरकारी और निजी संपत्ति को क्षति पहुंची और अनेक व्यक्तियों तथा पुलिस को चोट आयी । पुलिस को गोलियां चलानी पड़ीं जिससे अनेक व्यक्ति हताहत हुये । लगभग १५५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । उपद्रवों के दौरान में हताहतों की कुल संख्या इस प्रकार है : १२ मृत और २६६ घायल, जिनमें ५६ गोली के शिकार हैं । घायलों में से ९४ व्यक्ति इलाज के लिये अस्पताल में पड़े हैं । ११ पुलिस अफसर, १५ सिपाही, और २३ होम गार्ड भी आहत हुये । २१ नवम्बर को सुबह जब भीड़ हिंसात्मक हो रही थी और बड़े पैमाने पर लूटपाट और क्षति पहुंचाने की धमकियां दे रही थी तो बम्बई सरकार ने स्थानीय सेना अधिकारियों से प्रार्थना की कि आवश्यकता पड़ने पर, विधि और शान्ति बनाये रखने के लिये वे सहायता के लिये तैयार रहें । किन्तु ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई और फौजें नहीं बुलाई गयीं ।

२२ नवम्बर के प्रातःकाल से स्थिति पूर्णतः साधारण है और अब शान्ति है।

हम अपनी जनता से यह अपील करते रहे हैं कि वह राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिशों को प्रत्येक प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों, आवेश, और भावुकता से मुक्त रह कर पूर्ण शान्ति के भाव से देखें जिससे कि ठोस निर्णय लिये जा सकें और अपने बीच से दारिद्रय और अभाव को दूर करने के महान प्रयास को जारी रखने के लिये देश सुगठित कार्यवाही कर सके। हाल ही में हमारे देश में विशाल और दूरगामी व्यापी परिवर्त्तन हो चुके हैं; मैत्री और सद्भावना के वातावरण में रंचमात्र भी गड़बड़ी पहुंचाये बिना ६०० रजवाड़े भारतीय संघ में सम्मिलित तथा पुनर्गठित कर लिये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा मान और प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम से यह आशा की जाती है कि वह प्राप्त लोक तंत्रात्मक राष्ट्र होने के नाते हम कठिन समस्याओं का सही एवं निष्पक्ष रूप से समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार की घटनायें देश के अच्छे नाम पर कालिख पोत देती हैं और वातावरण को दूषित बना देती हैं। मुझे आशा है कि लोग साधारण से भी अधिक ध्यान और सतर्कता बरतेंगे जिससे कि ऐसी कोई बात कही या की न जा सके जो हिंसा को भड़काने अथवा प्रोत्साहन दें, और पक्षपात अथवा आवेश से विचलित हुये बिना जिन जटिल प्रश्नों को सुलझाना है उन्हें उचित दृष्टिकोण से देखा जा सके और उनका उचित मूल्यांकन किया जा सके। मेरा एकांत विश्वास है कि जनता स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करेगी और शान्ति स्थापित रखेगी जिससे कि हमारा उद्देश्य शीघ्रतापूर्ण एवं शोभनीय ढंग से पूरा हो सके।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता—अपने विचार मैं पहले ही बता चुका हूं—कि में इस प्रस्ताव के पक्ष में अपनी सम्मति दे सकता हूं।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : क्या मैं आपसे एक अनुरोध कर सकता हूं? क्योंकि यह विषय अत्याधिक महत्व का है, इसलिये क्या आप इस पर किसी अन्य समय एक घंटे के वाद-विवाद की अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी समय कुछ भी नहीं कह सकता। यदि माननीय सदस्य किसी प्रस्ताव की सूचना दें तो मैं इस विषय पर विचार करूंगा। परन्तु इस समय जो मेरा विचार है, उसके अनुसार उनके प्रस्ताव के ग्राह्य होने की आशा कम ही है। मंत्री महोदय ने जो तथ्य दिये हैं उनको देखते हुये मैं वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री वी० जी० देशपाण्डे (गुना) : इस सम्बन्ध में सदन के सामने एक पूर्व-दृष्टांत है, और वह उस समय का है जब कलकत्ते में कुछ पत्रकारों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया था। यहां भी एक प्रमुख पत्रकार मारा गया है और यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है और सभा को इस पर विचार करने की अनुमति मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : उस अभागे पत्रकार के परिवार वालों और उसके मित्रों के साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस सभा में उस पर वाद-विवाद की अनुमति दी जा सकती है।

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री० एम० ए० अय्यंगर (तिरुपति): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सबंधी समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपःस्थापित करता हूं।

विश्वविद्यालय आनुदान आयोग विधेयक

शिक्षा-मन्त्री के सभा-सूचिव (डा० एम० एम० दास) : कल सांयकाल जिस समय सभा स्थगित हुई उस समय मैं विश्वविद्यालय

[डा० एम० एम० दास]

अनुदान आयोग विधेयक के सम्बन्ध में संयुक्त-समिति द्वारा प्रस्तावित परिवर्त्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा था ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आयोग के सदस्यों की सेवा ही शर्त्तों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति ने दो परिवर्त्तनों का प्रस्ताव किया है । इनमें पहले परिवर्त्तन के अनुसार संयुक्त समिति ने अधिनियम के अन्तर्गत बनाय गये नियमों के अन्तर्गत इसके किसी सदस्य की नौकरी समाप्त करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार के हाथ से ले लेने का प्रस्ताव किया है । समिति ने इस प्रस्ताव पर अत्यंत सावधानी पूर्वक विचार करके यह अनुभव किया है कि किसी सदस्य की नौकरी समाप्त करने का अधिकार सरकार के हाथों में छोड़ना उचित नहीं है । समिति ने जिन परिवर्त्तनों का प्रस्ताव किया है उनके अनुसार किसी सदस्य की नौकरी उसी समय समाप्त की जा सकती है जब उसने ऐसा कोई कार्य किया हो जो उसे अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अनर्ह बना दे । दूसरे, यह स्पष्ट उपबन्ध भी हटा दिया गया है कि सभापति सदैव पूरे समय कार्य करने वाला कोई अधिकारी हो । आयोग के अधिकारों और कार्यों के संबंध में, अर्थात् खण्ड १२ में, समिति ने अनेक परिवर्त्तन करने का प्रस्ताव किया है । इनमें सब से महत्वपूर्ण परिवर्त्तन यह है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा की उन्नति और सहयोजना तथा स्तर निर्धारित स्थापित करने और बनाये रखने के लिये वह जो कार्यवाही करना आवश्यक समझे उनके सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय अथवा अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड से अनिवार्य रूप से परामर्श करे । सभा में मूलतः जो विधेयक प्रस्तुत किया गया था उसमें इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं था परन्तु संयुक्त समिति ने यह आवश्यक समझा कि आयोग विश्वविद्यालयों के संबंध में जो भी कार्यवाही करे, उसके संबंध में विश्वविद्यालयों से अनिवार्य रूप से परामर्श करे । खण्ड १२ में समिति ने मूल प्रस्ताव के दो उपखण्डों को छोड़ दिया है । ये दोनों उपखण्ड हैं खण्ड संख्या १२ (ड़) और (छ) उपखण्ड (ङ) में यह प्रस्ताव किया गया था कि विश्वविद्यालयों में सुविधाओं के सहयोजन और स्तर को बनाये रखने से संबंधित समस्याओं पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए अनुदान आयोग विशेषज्ञों के निकाय के रूप में कार्य कर सकता है । उपखण्ड (छ) में यह प्रस्ताव किया गया था कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों की नौकरियों या किसी कार्य के लिए विश्व-विद्यालय जो डिग्री, उपाधिपत्र अथवा प्रमाण पत्र देते हैं, उनको मान्यता देने के सम्बन्ध में आयोग केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है। यह दोनों खंड संयुक्त समिति द्वारा निकाल दिये गये हैं । समिति ने यह सोचा कि यदि इन दोनों उप-खण्डों को रहने दिया गया तो इनसे अनुदान आयोग को अनुचित महत्व मिलेगा जो हमारे विश्व विद्यालयों के हितों के लिये घातक होगा ।

खण्ड १४ में बहुत अधिक परिवर्तन किये गये हैं । अब जैसा कि यह खण्ड है उससे केवल अनुदान आयोग को यह अधिकार मिलता है कि यदि कोई विश्वविद्यालय इस आयोग की सिफारिशों को बिना किसी उचित कारण के कार्यान्वित नहीं करता है तो वह उस विश्वविद्यालय के अनुदानों को रोक सकेगा ।

खण्ड १८ में यह महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं । पहले यह प्रस्ताव किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केन्द्रीय सरकार के पास छमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये परन्तु संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कोई उपबन्ध नहीं था । संयुक्त समिति ने यह अच्छा समझा कि प्रतिवेदन वर्ष में एक बार

प्रस्तुत किया जायें और केन्द्रीय सरकार तत्पश्चात् उसे संसद् की दोनों सभाओं के सम्मुख प्रस्तुत करे ।

खण्ड २० में यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को निदेश देने का प्राधिकार केन्द्रीय सरकार के प्राप्त होगा । संयुक्त समिति ने 'राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिये' नामक शब्द बढ़ाये हैं । उससे कोई विषेश अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि मूल विधेयक में नीति' शब्द पहले से ही था । सरकार द्वारा बनाई गई प्रत्येक नीति के पीछे राष्ट्रीय प्रयोजन होना चाहिये । इस कारण इससे कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं पड़ता है ।

खण्ड २६ में एक नया उप-खण्ड (२) जोड़ा गया है । जिससे कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधी विषयों में केन्द्रीय सरकार की शक्ति को घटाकर विश्वविद्यालय अनुदान समिति के अधिकार बढ़ा दिये गये हैं । इस उप-खण्ड के अनुसार तीन मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार की पूर्णानुमति बिना आयोग को विनिमय बनाने का अधिकार मिल गया है । यह मामले हैं (१) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता, (२) विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान किये जाने के लिये शिक्षण का एक न्यूनतम स्तर और (३) उक्त को बनाये रखने और विश्वविद्यालयों के कार्य का सहयोजन ।

मैंने तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ही उल्लेख किया है, वैसे कम महत्व के कुछ परिवर्तनों के सुझाव भी दिये गये हैं । विश्वविद्यालय के स्वायत्त शासन का प्रतिपादन करने वालों को यह जान कर हर्ष होगा कि समिति में विश्वविद्यालयों को शिक्षा संबंधी पूर्ण स्वतन्त्रता दिये जाने की प्रत्याभूति दी थी और इसे भंग कर दिये जाने की कोई आशंका नहीं होनी चाहिये । अतः संयुक्त समिति के इस प्रस्ताव को इस सभा की शुभकामनायें ही मिलेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : मेरा विचार है कि हम सब इस बात से सहमत हैं कि हमारे देश में आज कल सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की ही नहीं है कि शिक्षा का अधिक प्रसार हो वरन् प्रत्येक स्तर पर उच्चतम स्तर सहित, उत्तम शिक्षा दी जाये । उस विधेयक में, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना है, हम देखते हैं कि जिस बात पर जोर दिया गया है वह गलत और खतरनाक है मैं ऐसा इस कारण कहता हूं कि उच्चतम प्राधिकारयुक्त व्यक्ति भी यह कहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशिक्षण तथा गवेषणा का स्तर बहुत गिर गया है, अतएव आज आवश्यकता इस बात की है कि उन कमियों को दूर किया जाये । परन्तु जब हम देखते हैं कि सरकारी घोषणाओं में भी इसी गिरावट की बात पर ही जोर दिया जाता है तो मुझे कुछ भय सा होता है ।

वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक स्तर पर अधिक उत्तम और उच्च शिक्षा की सुविधा हो । जहां तक स्तर निर्धारित करने का प्रश्न है, मैं महसूस करता हूं कि यह कार्य साधारणतः सम्बद्ध विश्वविद्यालयों पर या अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड पर छोड़ दिया जाये । मेरा ऐसा कहने का कारण यह नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के बारे में मेरी कोई विशेष धारणा है, परन्तु इसके साथ ही मुझे विश्वास है कि क्रियात्मक रूप में आयोग को इतने विशद अधिकार दिये जा रहे हैं कि नौकर शाही कार्यप्र ाली को ध्यान में रखते हुए मुझे आशंका है कि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार कार्य करेगा ।

यह हो सकता है कि स्तरों के समन्वय और निर्धारण के नाम पर विश्वविद्यालय के पाठ्य क्रम और उनकी नीति घिसो-पिटी ढंग की बना दी जायें । यदि ऐसा होता है तो यह बरबादी का लक्षण होगा क्योंकि हमारे देश के विभिन्न भागों में बहुत विभिन्नतायें हैं ।

[डा० एच० एन० मुकर्जी]

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विधेयक में नौं व्यक्तियों की एक संस्था बनाने का उपबन्ध रखा गया है जो ३५ विश्वविद्यालयों को कम से कम पांच करोड रुपया अनुदान के रूप में देगी । अतः मुझे भय है कि यदि हम आयोग के गठन में विस्तार नहीं करते तो वह सरकार के पूर्णतया अधीन हो जायेगा और एसा होना आज भी परिस्थितियों के लिये बहुत ही अवैधनीय सिद्ध होगा । मैं जानता हूं कि इस सभा में यह कहा जायेगा कि आज की परिस्थितियां पहली परिस्थितियों की उपेक्षा बिल्कुल बदल गई हैं परन्तु कुछ स्थितियों में मुझे इस का पूर्ण विश्वास नहीं है । मैं जानता हूं कि परिस्थितियां बदल गई हैं किन्तु विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप किये जाने की सम्भावना है दूसरी ओर इसका कोई कारण नहीं है कि विश्व-विद्यालय को पूर्ण स्वायत्तता क्यों न दी जाये ? इसमें सन्देह नहीं कि विश्वविद्यालयों का कार्य राष्ट्र के उद्देश्यों की पूर्ति करना है किन्तु इसके साथ ही स्तरों के निर्धारण के लिये विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता दी ही जानी चाहिये । तो फिर केवल स्तर के निर्धारण पर ही जोर क्यों दिया जाये, शिक्षा के प्रसार पर आग्रह क्यों न किया जाये ? इस सभा की भांति संयुक्त समिति में भी इस विधेयक के नाम को बदलने का प्रयत्यन किया गया था किन्तु उसका बड़ा विरोध हुआ था ।

सम्बद्ध कालेजों के विषय में खण्ड २ में संयुक्त समति ने निश्चय ही सुधार किया है और अब सम्बद्ध विश्वविद्यालय की सिफारिश पर आयोग की विधि में से सम्बन्द्ध कालेजों को रुपया दिया जा सेकेगा । किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है । आज सरकार को सम्बद्ध कालजों की ओर तनिक अधिक दया दृष्टि रखनी चाहिये । इन कालेजों में से बहुतों का इतिहास आदर्श शिक्षा का सुन्दर उदाहरण रहा है जिस पर कि हमारे देश को गर्व हो सकता है । यह एक आश्चर्य की बात है कि ये कालिज उतनी देर तक कैसे चलते रहे हैं और कैसे वे उज्जवल रत्न उत्पन्न कर सके हैं ये कालिज विद्यार्थियों को उपाधि के लिये तैयार करते हैं, जो कि शिक्षा का मूलाधार है किन्तु अब तक सरकार ने इनके साथ विमाता जैसा व्यवहार किया है । अभी तक सम्बद्ध कालिजों की सहायता के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । हमें यह बताया गया है कि ९०० गैर-सरकारी कालिज हैं । हम कैसे उनकी सहायता कर सकते हैं? हमारे पास इनके लिये कोई धन नहीं है । किन्तु इस विषय में हमें राधाकृष्णन आयोग की इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमें बार बार यह कहना छोड़ देना चाहिये कि सरकार के पास धन की कमी है । अब समय आ गया है कि देश में सभी स्तरों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अब तक बांटे गये धन के विषय में मेरा विचार है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिन से सन्देह उत्पन्न होता है । मैं इस बात से बडा प्रसन्न हूं कि वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शिक्षा के लिये अधिक धन राशियां दी गई हैं । किन्तु मेरा कथन है कि हमें उन विषयों के लिये, जो मानव की आत्मा और संस्कृति के विकास में सहायक होते हैं, कुछ और अधिक धन राशि व्यय की जानी चाहिये । इन विषयों पर अभी तक बहुत कम धन राशी व्यय की गई है । मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि विज्ञान पर रुपया कम करके इन विषयों पर लगाया जाये । मैं तो केवल इतना ही कहता हूं कि और अधिक धन खर्च किया जाये, और साथ ही इन विषयों पर भी कुछ और अधिक धन अवश्य व्यय किया जाये ।

आज देश के किसी भाग में हुए संस्कृत सम्मेलन की भी बात चली थी । मैं भी अनुभव करता हूं कि आज प्राचीन भाषाओं को सीखने

का महत्त्व भुलाया जा रहा है । यदि हम सचमुच अपने देश का सांस्कृतिक विकास किया चाहते हैं तो हमें अध्यात्मक सम्बन्धी खजाने से भरी हुई एक न एक पुरानी भाषा सीखनी ही चाहिये । अब हिन्दी को एक प्रभावशालिनी राज भाषा बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि ईश्वर इसकी प्रगति को बढ़ाये । किन्तु यदि भारत के विभिन्न भागों में संस्कृत प्रधान हिन्दी भाषा स्वीकार्य है तो संस्कृत पढ़ने की आवश्यकता भी सिद्ध होती है । आप कुछ सीमा तक संस्कृत के ज्ञान के बिना आजकल हिन्दी में प्रचलित किये जा रहे बहुत से शब्दों को नहीं समझ सकते हैं । संस्कृत की एक महान परमपरा है और साथ ही अर्बी और फारसी साहित्य का भी भारतीय सभ्यता में अभूतपूर्व मिश्रण हुआ है । इनकी पढ़ाई के लिये शिक्षा मन्त्रालय को कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिये ।

अब मैं आयोग के गठन सम्बन्धी खण्ड ५ की ओर आता हूं । मेरे विचार में जिस प्रकार के गठन की विधेयक में प्रस्थापना की गई है वह बहुत ही आपत्तिजनक है । मेरे विचार में इस खण्ड ५ में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिये । मैं नहीं चाहता कि केवल ये नौ व्यक्ति ही इतनी बड़ी धन राशि का नियन्त्रण करें । इससे सारे देश की शिक्षा व्यवस्था को भय है । मेरा अनुरोध है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाये तथा आयोग के गठन में निर्वाचन सिद्धान्त को जारी किया जाये । यदि हम सचमुच देश में शिक्षा का पुनःनिर्माण करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जो लोग शिक्षा विशारद हैं, शिक्षण तथा अनुसन्धान कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें स्वयं यह अनुभव होना चाहिये कि वे अनुसन्धान तथा शिक्षण के निर्देशन में भाग ले रहे हैं । अतः यदि ऐसे लोगों के अपने कुछ निर्वाचन क्षेत्र हों और वे अपने कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव करके भेजें तो बहुत अच्छा होगा । उप-कुलपति भी अपने प्रतिनिधि आयोग में भेज सकते हैं । अतः आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाई जानी चाहिये । इस से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रश्रय ही मिलेगा ।

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : राधाकृषणन आयोग ने तो विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित संस्थाओं में निर्वाचनों का विरोध किया है ।

श्री एस० एन० मुकर्जी : मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को निर्वाचन के सिद्धान्त से विरोध है । किन्तु मैं अपना विचार रख रहा हूं । इससे आयोग की कार्यक्षमता बढ़ जायेगी और उसका उद्देश्य अधिक सफल होगा राधाकृष्णन आयोग ने देश में प्रादेशिक आयोगों की स्थापना के बारे में कहा था परन्त विधयक में इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश नहीं है ।

खण्ड १२ ने इस सभा के कई सदस्यों के हृदय में यह सन्देह उत्पन्न कर दिया है कि उच्च शिक्षा में प्रादेशिक भाषाओं का क्या स्थान रहेगा । मैं इस विषय में अपने मित्र श्री अविनाशिलिगम् चेट्टियार के विमति टिप्पण का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि 'राष्ट्रीय प्रयोजन' शब्द बहुत ही भ्रामक हैं । इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है अतः यह आवश्यक है कि परिनियम में प्रादेशिक भाषाओं की रक्षा के लिये कुछ न कुछ उप-बन्ध अवश्य रखे जायें । मैं इस विचार का समर्थन करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आज हमारी आवश्यकता प्रादेशिक भाषाओं तथा राज्य भाषा दोनों की आयोजित वृद्धि ही है । प्रादेशिक विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक भाषा ही शिक्षा का माध्यम रहेगी । हमें सभी विषयों के प्रकाशकों की आवश्यकता है । परन्तु बिना पर्याप्त वित्तिय संसाधनों के अच्छे प्रकाशनों को निकालना कठिन है और केवल सरकार ही यह कार्य कर सकती है। प्रादेशिक भाषाओं के बारें में स्पष्ट उपबन्ध होना चाहिये और सरकार को उसी आश्वासन को दोहराना चाहिये कि प्रादेशिक भाषा ओं की उन्नति की जाएगी ।

[श्री एम० एन० मुकर्जी]

इस उद्देश्य से सरकार को चाहिये कि वह विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन कराये और इस काम के लिये सहायता दे ताकि लोगों को पढ़ने के लिये प्रादेशिक भाषाओं में अच्छा साहित्य मिल सके। दूसरे विश्वविद्यालयों को विशिष्ट अवधि के लिये काफी अनुदान भी दिया जाना चाहिये। सरकार द्वारा दिये गये पत्रक "विश्वविद्यालय शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था और नियंत्रण" में लैटिन अमरीका के विश्वविद्यालयों की स्थिति का उल्लेख है कि उन्हें राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत दे दिया जाता है और उन से यह लेखा नहीं मांगा जाता कि उन्होंने वह राशि कैसे खर्च की गई थी। यदि हम भी इस विषय में अधिक उदारता से काम लें और विश्वविद्यालयों को काफी राशि दें, तो बहुत लाभ हो सकता है।

इसलिये मैं इस विधेयक का महत्व अनुभव करता हूं और आशा करता हूं कि संयुक्त समिति के सदस्य इसको और भी उत्तम बनाने का प्रयत्न करेंगे।

शिक्षा में समूल परिवर्तन करने और प्रत्येक स्तर पर उत्तम शिक्षा देने की आवश्यकता है। शिक्षा संबंधी व्यय के आंकडे तो अच्छे होते हैं किन्तु वास्तव में काम कम होता है।

गत वर्ष प्रोफैसर बर्वल ने सारे देश की शिक्षा प्रणाली का निरीक्षण करने के उपरांत कहा था कि भारत की अपेक्षा चीन में अधिक अच्छा और अधिक गुना काम उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हम भी चीन से पीछे न रहें। वहां भूतत्वीय विश्वविद्यालय हैं और हमारे यहां उड़ीसा का भूतत्वीय मानचित्र भी नहीं है। पीकिंग में हजारों विद्यार्थी पढते हैं, रहते हैं और सैंकडों योग्य अध्यापक पढ़ाते हैं। वहां भारत की अपेक्षा अध्यापकों और विद्यार्थियों का अनुपात बहुत अधिक है। किन्तु हमारे देश में न केवल प्रगति ही धीमी है बल्कि काम इस ढंग से हो रहा है जो देश के हितों के लिये घातक है। इसलिये हमें देश की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली योजना बनाकर अनुकूल वातावरण पैदा कर के इस दिशा में प्रगति करनी चाहिये।

हमें विधेयक के उपबन्धों में सुधार करना होगा। हमें इस समय वह सब कुछ करने का प्रयास करना चाहिये जो हम कर सकते हैं। इस विधेयक का जहां तक लोगों को शिक्षा देने का उद्देश्य है, यह बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है।

यह हमारा उद्देश्य है और दृष्टि से मैंने विधेयक में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने का सुझाव दिया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन चाहता हूं।

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुजफ्फरपुर—मध्य) : इस विधेयक के महत्व के बारे में कोई विवाद नहीं है और निस्सन्देह शिक्षा के उद्देश्य के लिये यह महत्वपूर्ण उपक्रम है। किन्तु इस मामले में रुचि रखने वाले लोगों के साथ चर्चा करते हुए मैंने अनुभव किया है कि वे इस बात से असंतुष्ट हैं कि यह विधेयक अच्छी तरह नहीं बनाया गया है। इस सभा के प्रायः सभी दलों ने भी यह बात कही है कि इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। निस्सन्देह संयुक्त समिति ने इसमें बहुत कुछ सुधार किया है और दो बडे महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं, एक विश्वविद्यालयों के स्वायत्त शासन के बारे में और दूसरा आयोग को निदेश देने के बारे में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के बारे में। संबद्ध उपबंधों में संशोधन करके ये दो परिवर्तन किये गये हैं जो अत्यन्त आवश्यक हैं।

यह नहीं कहा जा सकता कि इस में कोई त्रुटि नहीं है किन्तु यह बात इस तथ्य पर निर्भर है कि सरकार और विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग इसे किस प्रकार कार्यान्वित करते हैं । मैं आशा करता हूं कि इस मामले में सरकार और आयोग ऐसे ढंग से काम करेंगे कि कुछ रहा सहा भ्रम भी जाता रहे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी का शिक्षा संबंधी पर्याप्त अनुभव होने के कारण उन के तर्क में शक्ति होती है । पुनःस्थापित रूप में विधेयक में संबद्ध कालिजों को सहायता देने के बारे में कोई उपबंध नहीं है । समिति ने इसमें अवश्य कुछ सुधार किया है । अब विधेयक के अनुसार कुछ चुने हुए कालिजों को विश्वविद्यालयों के द्वारा वित्तीय सहायता मिला करेगी । इस से भेदभाव को अवश्य स्थान मिलेगा । यह ठीक है कि समस्त ६०० कालिजों को सहायता देना संभव नहीं है । किन्तु निश्चय ही यह एक ऐसा मामला है जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । यदि हम उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पर विचार करें तो हम देखते हैं इनमें से अधिकांश इन सम्बद्ध कालिजों से आते हैं । संघटक कालिज शिक्षा प्रदान करनेमें प्रांत के अन्य कालिजों के समक्ष अपने आपको एक नमूने के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं किन्तु इस बात को अमान्य नहीं किया जा सकता कि विद्यार्थी वर्ग का अधिकांश भाग इन सम्बद्ध कालिजों में शिक्षा पाता है । इसलिये देशके वृहत्तर हितमें सम्बद्ध कालिजों के सुधार के लिये कुछ न करना एक आत्मघातक नीति होगी ।

इस सम्बन्ध में श्री एच० एन० मुकर्जी न कहा कि इन सम्बद्ध कालिजों (महाविद्यालयों) में से अधिकांश, वास्तव में अत्यंत सीमित साधनों से चल रहे हैं । अभी दो या तीन मास पूर्व मैं इस बात का हिसाब लगा रहा था कि नये कालिजों (महाविद्याल्यों) को खोलने में जनता द्वारा कितना वित्तीय योगदान दिया गया था और विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से कुल कितना धन प्राप्त हुआ था । मैं ने देखा कि जनता द्वारा दिया गया योगदान सरकारी योगदान से यदि अधिक नहीं तो लगभग उतना ही था । इस लिये यह स्पष्ट हो जायेगा कि यद्यपि कोई नया कालिज (महाविद्यालय) खोलने या उसके भवन निर्माण अथवा छात्रावास निर्माण आदि के लिये कभी कभी जनता से सहायता प्राप्त करना संभव है तथापि कालिज (महाविद्यालय) का चलाना अत्यंत कठिन होता है । मैं चाहता हूं कि सदन और सरकार इस बात पर गौर करेंकि जिस शिक्षक को मास के प्रथम सप्ताह में वेतन मिलेगा या नहीं इस बात की चिंता हों, वह किस प्रकार की शिक्षा देगा । कई कालिजों (महाविद्यालयों) में तो शिक्षकों को कभी कभी मास के तीसरे सप्ताह तक भी पूर्ण वेतन नहीं मिलता है । भविष्यनिधि के लिये उनके वेतन में से कुछ अंश काट लिया जाता है किन्तु उसे कहीं अन्यत्र खर्च कर दिया जाता है । यदा कदा भविष्यनिधि को राशि कालिजों (महाविद्यालयों का साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये व्यय करदी जाती है । जब इस तरह की स्थिति शिक्षा क्षेत्र में विद्यमान हो तब वे व्यक्ति, जो देश कल्याण में रुचि रखते है, इस बात को स्वीकार करेंगे कि शिक्षा की उचित प्रगति के लिये अपेक्षित वातावरण नहीं बन पाता है । इस समय जब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक पर विचार किया जा रहा है सरकार इस सम्बन्ध में कोई निश्चित बात निर्धारित न कर सके परन्तु हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि यदि हम उच्च शिक्षा के निर्धारित मान प्राप्त करना चाहते हैं तो सम्बद्ध कालिजों (महाविद्यालयों) को चलाने के लिये सरकार द्वारा पर्याप्त अनुदान दिये जाने कि अत्याधिक आवश्यकना है ।

आपने तथा सदन के अन्य सदस्यों ने यह देखा होगा कि आजकल प्रत्येक व्यक्ति एक शिक्षा विशेषज्ञ बन जाता है और जिसे भी सार्वजनिक सभा में बोलने का अवसर मिलता है वह यह कहता है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली बिलकुल ठीक नहीं है ।

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

किंतु आज तक इसके लिये कोई वैकल्पिक वास्तविक सुझाव नहीं दिया गया है। मेरे ख्याल में, कठिनाई है वह इस लिये नहीं है कि शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है वरन् इस लिये है कि हमारे शिक्षक संतुष्ट नहीं हैं हम उनसे अत्याधिक स्वार्थत्याग करने को कहते हैं। हम कहते हैं पुराने समय के ऋषियों को देखिये। वे जंगल में वानप्रस्थों की तरह रहते थे किन्तु शिक्षक ही क्यों बानप्रस्थ बनें अन्य व्यक्ति भी क्यों न बनें?

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मंत्रियों को सर्वप्रथम वानप्रस्थ बनना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मेरा भी यही विचार है। मंत्रियों को एक विशेष अवस्था के उपरांत वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये।

श्री एस० एस० मोरे : मंत्रालय को स्वंय वानप्रस्थ हो जाना चाहिये।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मेरा ख्याल है कि इस बात पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है। हमने शुरुआत अच्छी की है और इस लिये इस विधेयक के उपबन्ध से मैं नहीं असंतुष्ट हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि कहीं सरकार और इस सदन के सदस्य यह न सोच लें कि विधेयक पारित होते ही शिक्षा सम्बन्धी सभी बातें ठीक हो जायेंगी।

अभी हाल ही मैं आपने संभवतः स्वयं देखा होगा कि विद्यार्थियों के अनुशासन और चरित्र को लेकर कुछ कहा गया है। इस बात पर हमारा ध्यान अविलंब केन्द्रित हो यह तो ठीक ही है, किन्तु क्या माननीय सदस्य यह जानते हैं कि कालिज (महाविद्यालयों) में पढ़ने वाले छात्रों में से दस प्रतिशत विद्यार्थियों के छात्रावासों में रहने का प्रबन्ध करने का कोई उपबन्ध नहीं है। कालिज (माहविद्यालय) में चार घंटे में जो कुछ वे पढ़ते हैं उसे शेष बीस घंटों में भूल जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी सर्वथा स्वतंत्र और स्वच्छंद जीवन बनाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि जब कि कालिज (महाविद्यालय) और विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने की पूरी कोशिश करते हैं तब विद्यार्थी अन्य विचारों या अभिकरणों से चालित होते रहते हैं। कालिजों (महाविद्यालयों) के छात्रों के खेल कूद के लिये खेल के मैदान तक उपलब्ध नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि एकाएकी ही इन बातों के लिये उपबन्ध करना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये अत्याधिक कठिन होगा। इन सभी बातों पर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिये। "विद्यार्थियों को कक्षाओं में या क्रीडा स्थलों पर व्यस्त रखिये" यह हमारा ध्यय होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : राजनीति।

श्री श्यामनन्दन सहाय : जब मैं पिछली बार इंग्लैंड में था तब मैं ने छात्रावासों में ही रहने का निश्चय किया था, जिससे कि मुझे विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत करने का मौका मिल सके। वहां के छात्रों को राजनीति की अपेक्षा खेलकूद में अधिक दिलचस्पी है और इतनी अधिक है कि उन्हें राजनीति की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता है। यहां की स्थिति भिन्न है। क्रीडास्थल पर्याप्त नहीं है। वहां प्रत्येक कालिज (महाविद्यालय) द्वारा एक सप्ताह में शिक्षा संबन्धी दो-तीन चलचित्र दिखाये जाते हैं। फलस्वरूप विद्यार्थी को प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा मिलती रहती है और पूरे समय उसके चरित्र निर्माण का कार्य जारी रहता है। यहां हम चार घंटे प्रयत्न करते हैं और जो कुछ प्राप्त होता है वह शेष बीस घंटों में नष्ट हो जाता है। इसलिये मेरे विचार में इस विषय पर सरकार द्वारा बहुत ही संजीदगी से विचार किये जाने आवश्यकता है।

जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रचना और गठन के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाई है। विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न प्रकार के विश्व-विद्यालयों, प्रादेशिक भाषाओं को विभिन्न कठिनाईयों इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और हमारे सामने जो उद्देश्य हैं उन्हें देखते हुए इस समय उपकुलपतियों के चुनाव मात्र से ही सम्भवतः वह सभी पूरे नहीं हो सकेंगे। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह स्मरण रखना होगा कि विभिन्न प्रदेशों के उपकुलपति, विभिन्न विश्वविद्यालयों की विभिन्न आवश्यकताओं के सम्बन्ध में प्रथम प्रक्रम में ही इस आयोग में स्थान प्राप्त कर सकें। मुझे इस में सन्देह नहीं है कि यदि नामनिर्देशन व्यवस्था का स्थान चुनाव व्यवस्था ले ले तो इस से अच्छी बात दुसरी न होगी परन्तु विषय पर, प्रवर समिति प्रक्रम पर विचार करते हुए, मैंने स्वयं अनुभव किया था कि सम्भवतः इसमें कठिनाई हो क्योंकि देश के क भाग से व्यक्तियों का एक दल सम्भवतः आ जाए और दुसरे भागों को हो सकता है प्रतिनिधित्व ही प्राप्त न हो सके। यह प्रश्न उपकुलपतियों की अपेक्षा देश के विभिन्न प्रदेशों से अधिक सम्बन्धित है। प्रारम्भिक अवस्था में यह आवश्यक है कि आयोग में देश के सभी भागों का प्रति-निधित्व हो। इसलिये हमें सभी को अवसर देना चाहिये।

मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सदस्यों की संख्या अधिक हो, मेरे विचार में, वर्तमान परिस्थितियों में सत्रह सदस्यों की समिति लाभदायक न होगी और सदस्यों की संख्या नौ होनी चाहिए। परन्तु यह जरूरी नहीं है कि सरकारी प्रतिनिधियों की जिस संख्या का सुझाव दिया गया है वह उतनी ही हो। उसमें अवश्य ही कमी की जा सकती है।

इस भय और कठिनाई को दूर करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विद्या सम्बन्धी विषयों में या दूसरे विषयों में कुछ सिद्धान्त निश्चित न कर दे अथवा विश्वविद्यालयों से कुछ एक ऐसी बातों की मांग न करे जो उचित न हों यह व्यवस्था भी की गई थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन विषयों पर विश्वविद्यालयों और दूसरी सम्बन्धित संस्थाओं के परामर्ष के साथ कार्यवाही करेगा। इसलिये यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस सम्बन्ध पर पूर्णतः अनुसरण करेगा तो मेरे विचार में अभी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये निरीक्षण शक्ति सम्बन्धी उपबन्ध में भी संशोधन किया गया है, जब विश्व विद्यालय अपने व्यवहार द्वारा यह दिखादेंगे कि रुपये का लाभकारी उपयोग किया गया है बल्कि जिस उद्देश्य के लिये रकम थी उस से भी अच्छे ढंग में उसका उपयोग हुआ है तो बाद में किसी समय यह उपबन्ध हटाया भी जा सकता है।

जैसा की आप जानते हैं एक शास्ति-खंड भी था जिसे अब हटा दिगा गया है।

हम ने नीति सम्बन्धी प्रश्नों के साथ "राष्ट्रीय प्रयोजनो से सम्बन्धित" शब्द जोड दिए हैं। प्रधान मंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग में भारत सरकार के दूसरे जिम्मेदार पदाधिकारियों के हाल के बयानों से मेरे विचार में अब इस बात का भली प्रकार फसला हो गया है कि प्रादेशिक भाषाओं को निश्चय ही बढ़ावा दिया जाना चाहिये चाहे विशाल देश के नागरिकों को एक दूसरे से कार्य व्यवहार के माध्यम के रूप में हिन्दी भी सिखाई जाए। इसलिये समय के साथ साथ ही प्रादेशिक भाषाओं का भय दूर हो जाएगा। जो लोग हिन्दी पक्षपाती हैं उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है और अब यह बात जल्दी ही स्पष्ट हो जायेगी कि प्रादेशिक भाषाओं का भी विकास किया जाना चाहिये। अलबत्ता संयुक्त समिति के लिए विशेष रूप से यह निर्धारित करना कठिन था कि आयोग प्रादेशिक भाषाओं के

[श्यामनन्दन सहाय]

विकास के लिये आर्थिक योग भी दे । जैसा कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है राज्य सरकारों को भी जिम्मेदारी में कुछ हाथ बटाना चाहिए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कुछ दूसरी बातों पर अपना ध्यान अधिक केन्द्रित करना चाहिये ।

इस प्रक्रम पर यही कहा जा सकता है कि हमें आशा है कि संयुक्त समिति ने जिस प्रकार विधेयक में संशोधन किया है—और सम्भवतः इस सदन ने उस में जो संशोधन किये हैं—उसे संयुक्त समिति की भावनाओं और इस सदन की इच्छाओं के अनुसार ही लागू किया जाएगा ।

एक बात मैं प्रमापीकरण के विषय में भी कहना चाहता हूं । यह आवश्यक नहीं है कि प्रमापीकरण का अर्थ किसी विषय में कन्याकुमारी से ले कर हिमालय तक एक विशेष प्रमाप से हो । विभिन्न प्रदेशों और विभिन्न विषयों के लिये विभिन्न प्रमापों पर ही मापीकरण आधारित होगा । परन्तु मुझे इस में सन्देह है कि श्री मुकर्जी जैसे विख्यात शिक्षा शास्त्री भी इस बात पर सहमत होंगे कि बहुत से विषयों में प्रमापोकरण आवश्यक है । जैसे कि कई विश्वविद्यालयों में एम० ए० की परिक्षा में द्वितीय श्रेणी के लिये ५० अथवा ५५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं और कई विश्वविद्यालयों में ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाता है । जब कहीं आवेदन पत्र मांगे जाते हैं तो ४५ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, उस जगह जहां द्वितीय श्रेणी के लिये ५५ प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है, वहां उसकी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी बन जाती है । इसलिए इस प्रकार के विषयों में प्रमापीकरण की निश्चय ही आवश्यकता है । परन्तु मैं श्री एच० एन० मुकर्जी से पूर्णतः सहमत हूं कि यदि शिक्षा का प्रमापीकरण कठोरता के साथ किया जाएगा तो वह वास्तव में हानिकारक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय-सीमा के सम्बन्ध में सदन की इच्छा पूछना भूल गया था । मेरे सामने जो पत्र है उस में विधेयक के लिए दस घन्टे का समय दिया गया है परन्तु कार्य मंत्रणा समिति ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इसे उसके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया । समिति की बैठक आज होगी और वह समय निश्चत करेगी । संयुक्त समिति में इस सदन से लगभग ३० और दूसरे सदन से लगभग १५ सदस्य थे इसलिए दूसरे सदस्यों की बात सुनने के बाद उन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायगा जो संयुक्त समिति के सदस्य थे ।

मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को १५ मिनट और कुछ परिस्थितियों में २० मिनट का समय दूंगा ।

श्रीमती इला पाल चौधरी (नवद्वीप) : १९४५ में अलीगढ़, बनारस और देहली इन तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान समिति की रचना की गई थी । १९४६–४७ में इसकी सदस्यता बढ़ा दी गई और इसके कार्य क्षेत्र में सभी विश्वविद्यालय आ गए । अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, जिसका हम स्वागत करते हैं ।

सरकार को इस बात का निर्णय अवश्य ही करना चाहिये कि वह शिक्षा के लिए प्रति वर्ष कितनी रकम आय-व्ययक में रखेगी । शिक्षा पर ही भविषय में हमारे सभी उपक्रम आधारित होने चाहिय, इसलिए मुझे विश्वास है कि आय-व्ययक में इसे पर्याप्त मात्रा में रकम दिए जाने के लिए उदारता से काम लिया जायगा ।

विधेयक के सम्बन्ध में मुझे एक या दो बातें कहनी हैं । मैं विरोधी पक्ष की एक माननीय सदस्य को इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि सम्बद्ध कालिजों को अवश्य ही इन अनुदानों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आना चाहिये क्योंकि ऐसे कालिजों में छात्रों की अधिकतर संख्या

शिक्षा प्राप्त करती है इसलिए उन्हें कुछ न कुछ सहायता मिलनी ही चाहिए। इन कालिजों ने अब तक बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में अपना काम चलाया है। हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे देश में ९०० से अधिक सम्बद्ध कालिज हैं। हो सकता है यह अनुदान उनके लिए काफी न हों। परन्तु यह भी देखना चाहिए कि सभी कालिजों को अनुदान की आवश्यकता भी नहीं हो सकती। अतः योजनाबद्ध प्रणाली से कार्य किया जाये तो उनकी ठीक सहायता हो सकती है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब भारत की शिक्षा प्रणाली पर विचार करे तो निम्नलिखित तीन बातों पर विशेष बल दे और उन के लिये धन प्राप्त करे। प्रथम यह कि अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाये ताकि शिष्यों और शिक्षकों का अनुपात बढ़ाया जा सके। द्वितीय यह कि विद्यार्थियों के हित और स्वास्थ्य के लिये विशेष राशी निश्चित कर दी जाये। विद्यार्थियों की वित्तीय सहायता के लिये भारत में तो बहुत कम काम किया जा रहा, है जबकि अन्य देशों में बहुत कुछ किया जा रहा है। ब्रिटेन में ७३ प्रतिशत विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है, परन्तु भारत में केवल १० प्रतिशत विद्यार्थियों को सहायता दी जाती है।

फिर तृतीय बात जिस पर मैं बल देना चाहती हूं यह है कि भारत में व्यावसायिक कालिजों और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये, और इनमें शिल्पिक शिक्षा दी जानी चाहिये। आज लोगों के दृष्टिकोण में महान् अन्तर आ चुका है। आज व्यापार केवल व्यवसाय के लिये नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण के लिये किया जाना चाहिये। ये सभी शिल्पिक विद्यार्थी भारतीय उद्योगों में लग जायेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रादेशिक भाषाओं पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यह बड़े हर्ष की बात है। परन्तु हमें संस्कृत को भी एक महान् स्थान प्रदान करना है, क्योंकि हमारी सम्पूर्ण भारतीय थाती उसी में तो निहित है।

आयोग को ग्राम्य विश्वविद्यालयों पर भी विशेष बल देना चाहिये। यदि हम राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिये हमें ग्रामों में रहने वाली भारत की ८५ प्रतिशत जनता का उत्थान करना होगा। और इसी लिये ग्राम्य विश्वविद्यालयों की महान् आवश्यकता है।

शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को अधिक से अधिक विकसित करना। ऐसी शिक्षा तो नालन्दा और टक्षशिला विश्वविद्यालयों में ही दी जाती थी, और उन्हीं की कृपा से भारत सारे विश्व में प्रसिद्ध था। मुझे आशा है कि आयोग भी इसी प्रकार की शिक्षा पर बल देगा। जोकि विद्यार्थियों को निरन्तर अग्रगामी होने के लिये प्रोत्साहन दे।

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात का बड़ा दुःख है कि जब यह बिल पहली मर्तबा हाउस में पेश किया गया था तो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री इस भवन के अन्दर उपस्थित नहीं थे और न उन्होंने इसे पेश ही किया, और जब कल यह बिल संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ फिर हाउस में पेश किया गया तब भी हमारे शिक्षा मंत्री महोदय यहां पर मौजूद नहीं थे। और, मैं समझता हूं कि यह बिल बहुत अहम है और इस तरह हमारे शिक्षा मंत्री महोदय का न आना और उस पर चल रही डिबेट में न बैठना, इसकी अहमियत को कम कर देता है।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : बहुत ठीक।

श्री एस० सी० सिंघल : "दी युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन बिल", इस नाम से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि इसका नाम तो कुछ है और इसके कर्त्तव्य कुछ और हैं।

[श्री एस० सी० सिंघल]

बिल की धारा १२ में, इस के कुछ काम बतलाये गये हैं । इसमें बतलाया गया है कि:

> "आयोग का यह आम कर्त्तव्य होगा कि वह, विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित अन्य संस्थाओं से परामर्श करके, विश्वविद्यालय की शिक्षा की तरक्की और सहयोजना के लिये और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा समन्वेषण के स्तरों को निश्चित करने तथा बनाये रखने के लिये सभी उचित कदम उठाये . . . . ।"

इस बिल का कर्त्तव्य यह है कि जो कमिशन बनेगा वह युनिवर्सिटीज के लिए रुपये की ग्रान्ट जरूर देगा और वह उन चीज़ों को पढ़ाने और युनिवर्सिटीज़ को चलाने के लिए रुपये की सहायता देगा, लेकिन इस बिल से यह भ्रम हो जाता है कि युनिवर्सिटीज़ को जो रुपया केन्द्रीय सरकार से या प्रान्तीय सरकारों से मिलता है वह बन्द हो जायगा और कमिशन रुपया दिया करेगा । सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस बिल का नाम बदल कर अगर ठीक तरह से लाया जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा ।

खण्ड २ में प्रवर समिति ने संशोधन किया है और मेरी समझ में सही संशोधन किया है लेकिन उसमें कुछ कमी रहने दी गई है । पहले तो जो बिल पेश किया गया था, उसमें कांस्टीटुएंट कालिजेज़ के लाभ के लिए ही यह कमिशन काम कर सकता था । लेकिन, अब कमिशन की पावर को अधिक बढ़ा दिया गया है और अब युनिवर्सिटीज़ से जो कालिजेज़ एफलिएटेड हैं उनके लिए भी कमिशन काम कर सकता है । उसमें जो शर्त्त रक्खी है वह यह है कि युनिवर्सिटी अगर्चे सिफारिश करे तभी कमिशन को अधिकार होगा कि उनमें अपना काम करे । लेकिन, मेरा कहना यह है कि सबके साथ एक सा बर्ताव होना चाहिए, चाहे वह कांस्टीटुएंट कालिज हो चाहे एफलिएटेड कालिज, उनमें भेदभाव नहीं बर्ता जाना चाहिए । आजकल हर एक युनिवर्सिटी में पार्टीबंदी है और इसका नतीजा यह होगा कि युनिवरसिटी में जो पार्टी पावर में है, वह उन्हीं कालिजेज़ की सिफारिश करेगी जो उनके मुआफिक हैं, और जो कालिजेज़ उनकी पार्टीबंदी में नहीं हैं उनके लिए वह कभी सिफारिश नहीं करेगी और उन कालिजेज़ को इस कमिशन से कोई फायदा नहीं हो सकेगा ।

बिल की धारा ५ में यह बतलाया गया है कि कमिशन में ९ सदस्य दुआ करेंगे, जिनको सरकार मुकर्रर करेगी । मेरी उससे सहमति नहीं है । मैं चाहता हूं कि इसके कम्पोजीशन में कुछ तबदीली होनी चाहिए और एक सदस्य कम से कम इसका चुन कर आना चाहिए । इसमें आगे लिखा हुआ है कि इसके तीन सदस्य युनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स में से हुआ करेंगे, लेकिन मेरी समझ में जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनमें शिक्षा के बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती। मैं चाहता हूं कि जो रिसर्च के प्रोफेसर हैं उनको कमिशन की सदस्यता के वासते चुनना चाहिए । और दूसरे, मैं यह भी समझता हूं कि आजकल जो शिक्षा दी जा रही है वह ज्यादा काम की नहीं है और उस शिक्षा में टेकनिकल शिक्षा का सर्वथा अभाव पाया जाता है । आज जब हम देश को इंडस्ट्रियलाइज करने जा रहे हैं, अपने देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने जा रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हमारे नवयुवकों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने का माकूल इन्तजाम हो, और कमिशन का एक सदस्य इंडस्ट्रियलिस्ट हो । उस युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमिशन में हमें ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हों, ताकि वह उसकी शिक्षा दिलवाने का इन्तजाम कर सकें ।

इसके अतिरिक्त, इसमें यह भी दिया

हुआ है कि कमिशन के चेअरमैन को कुछ तनख्वाह मिलेगी । लेकिन, इस के बारे में रिपोर्ट चुप है कि चेअरमैन होल टाईम वर्कर होगा या पार्ट टाईम । चेअरमैन का काम बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा है, और चेयरमैन ऐसा होना चाहिय जो होल टाईम वर्कर हो; उसको पार्ट टाईम नहीं होना चाहिये ।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा २० में इस प्रकार लिखा है :—

> "कमेटी का मत है कि केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिये जाने वाले अपने निर्देशनों को राष्ट्रीय उद्देश्यों से सम्बन्धित नीति के प्रश्नों तक ही सीमित रखे । "

मैं मानता हूं कि संयुक्त प्रवर समिति न इसको कुछ साफ किया है, लेकिन यह काफी नहीं है और सरकार को चाहिये कि शिक्षा के लिए कुछ उद्देश्य रक्खे और जब तक शिक्षा के लिए सरकार कोई उद्देश्य नहीं रक्खेगी तब तक शिक्षा का काम ठीक तरह से नहीं चलेगा । "नेशनल परपजेज" यह बहुत बडा शब्द है और सरकार को इस वाइड टर्म को डिफाइन कर देना चाहिये, ताकि हमारे नवयुवक जो स्कूल और कालिजों से पढ़ कर निकलते हैं वे ऐसी उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके निकलें जो उनके लिए, समाज के लिए और देश के लिए उपयोगी सिद्ध हो, ताकि हम जिस तरह के समाज का संगठन इस देश में स्थापित करना चाहते हैं उसको कायम करने में सफल हो सकें ।

समाज के संगठन के बारे में भारतीय संविधान के डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स की धारा ३८ में यह दिया हुआ है :—

> 'राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर के लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा ।'

हम एक ऐसे ही समाज की कल्पना कर रहे हैं । हम एक ऐसा ही समाज बनाना चाहते हैं और इसके लिए जरूरी है कि आपको शिक्षा के आबजेक्टिव्स् रक्खने चाहियें कि हमारे विद्यार्थी इसी तरह की शिक्षा प्राप्त करें, ताकि जिस तरह का समाज-संगठन हम इस देश में कायम करना चाहते हैं, वह बना सकें । आज हमारे बच्चों को जो शिक्षा मिल रही है वह न तो उनके लिए उपयोगी है और न देश के लिए उपयोगी है । आज विद्यार्थी पढ़ कर निकलते हैं और बेकार इधर से उधर मारे मारे फिरते हैं । और, गलत ढंग की शिक्षा के कारण ही हमारे देश में बेकारी की समस्या ने उग्र रूप धारण कर रक्खा है । इसलिये, यह चीज साफ कर देनी चाहिय । खाली "नेशनल परपजेज" यह शब्द काफी नहीं है, इसको और साफ किया जाना चाहिये ।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया है कि आज इस देश में जो बहुत से बोगस कालिजेज खुले हुए हैं और जो रुपया ले कर डिग्रीज़ दे दिया करते हैं, वे ऐसा न कर सकें और मैं समझता हूं कि इसको बंद करने का सुझाव देकर कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है । हम जानते हैं कि यहां पर कुछ हिन्दी के कालिजेज़ बोगस तौर पर खुले हुए हैं और वे केवल नाम के कालिज हैं । वे १०० या २०० रुपये ले कर डिग्री दे दिया करते हैं और उन डिग्रीयों को लेकर लोग दक्षिण में जाते हैं और उन के आधार पर बड़ी-बड़ी नौकरियां हासिल कर लेते हैं । मैं समझता हूं कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि ऐसी बोगस डिग्रीयां देना फौरन बन्द की जायें । प्रवर-समिति के कुछ सदस्यों ने यह हल्ला मचाया है कि युनिवर्सिटी कमिशन बन जायेगा तो युनिवर्सिटी की स्वायत्तता खत्म हो जायेगी । मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । मैं देखता हूं कि युनिवर्सिटी की स्वायत्तता से देश का कोई फायदा नहीं हो

[श्री एस० सी० सिंघल]

रहा है । हमारे विद्यार्थियों में इन्डिसिप्लिन बढ़ रही है । हमेशा शिकायत आया करती है कि विद्यार्थी उपद्रव मचा रहे हैं, झगड़ मोल ले रहे हैं और लोगों को मारते-पीटते हैं अभी छः महीने हुए, पटना के मामले में कितनी शिकायतें आई थीं । वहां सब से बुरी बात यह हुई कि हमारा नैशनल फ्लैग फाड़ा गया और उस में आग लगाई गई, और इतना झगड़ा फ़साद किया गया । तो स्वायत्तता के नाम से यह चीजें हम पसन्द नहीं कर सकते । हम ने देखा कि पार साल लखनऊ में एक हफ्ते के लिये बिल्कुल ला ऐंड आर्डर नहीं रहा, लड़कों का राज्य हो गया, वे जिस को चाहते थे पीटते थे, परेशान करते थे और रोक लेते थे । स्वायत्तता के नाम से यह चीजें बर्दाश्त करना सब से बुरी बात है । मैं अलीगढ़ का जिक्र करता हूं, वहां यहां तक हो रहा है कि एग्जामिनेशन्स होते हैं, लड़के नकल करते हैं लेकिन इनविजिलेटर्स की हिम्मत नहीं कि लड़कों को पकड़ सकें । तीन साल हुए, कुछ लड़के बी० ए० के थे । वे नकल करते हुए पाये गये । एक आदमी ने हिम्मत की और उस ने प्रिंसिपल से कहा । प्रिंसिपल को हिम्मत करनी पड़ी । उसने एक लड़के को निकाल दिया । जिस वक्त प्रिंसिपल घर पर पहुंचता है, यंग मैन था, दस लड़के उस पर कूद पड़ते हैं और इतना मारते हैं कि वह मर जाता है । आखिरी एग्जामिनेशन्स में मैं क्या देखता हूं कि एक लड़का टेन्थ क्लास का था । उस ने आकर प्रिंसिपल से कहा कि मेरे हाथ में चोट लग रही है और मैं इम्तिहान में हाथ से लिख नहीं सकता हूं, मुझे कोई रायटर मिल जाये । प्रिंसिपल जानता था कि लड़का झूठ बोल रहा है, इसलिये उस ने उस की अर्जी नामंजूर कर दी । नतीजा यह हुआ कि दस-बारह लड़के प्रिंसिपल पर टूट पड़े और उस को बुरी तरह से मारा । अगर कुछ लड़के बचाने न आ जाते तो शायद वह मर जाता । स्वायत्तता के नाम से इस तरह का इन्डिसिप्लिन पैदा करवाना और उस को बर्दाश्त करना मैं बुरा समझता हूं, और यह चीज देश के लिये हानिकारक है ।

दूसरी चीज यह है कि आज कल एजूकेशन बहुत मंहगी हो गई है । मैं समझता हूं कि बहुत थोड़े बड़े आदमी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । छोटे आदमियों को शिक्षा प्राप्त करने का ज्यादा मौका नहीं है । कमिशन का यह काम होना चाहिये कि शिक्षा जितनी सस्ती हो सके उस को उतनी सस्ती बनाने के उपाय सुझाये । दूसरे जो लोग अपने दामों से नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिये सरकार को खुद कुछ इन्तजाम करना चाहिये ताकि बगैर रुपये के या गरीबी की वजह से कोई भी देश का आदमी अशिक्षित न रह सके ।

एक और बात भी है । यूनिवर्सिटीज में जो विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं और डिगरियां लेते हैं वह फर्स्ट, सेकेन्ड और थर्ड क्लास की डिगरियां पाते हैं । आजकल जहां पर भी किसी की मांग है वहां फर्स्ट क्लास की मांग है । अगर कोई किसी टैक्नीकल लाइन में जाता है तो फर्स्ट क्लास या और किसी लाइन में भी जाता है तो भी फर्स्ट क्लास होना चाहिये । फर्स्ट क्लास को लेने के बाद अगर कोई जगह बच जाती है तो सेकेन्ड क्लास लिया जाता है । बाकी थर्ड क्लास के लोगों को कोई जगह नहीं मिलती है । तो या तो थर्ड क्लास को तोड़ ही दिया जाये, और अगर उस को रखना है तो फिर थर्ड क्लास वालों के लिये भी कोई तरीका होना चाहिये, जिस में वह अपनी आजीविका प्राप्त कर सकें ।

कमेटी ने एक सिफारिश की है रीजनल लैंग्वेजेज को डेवलेप करने के लिये । इन बातों को देख कर मुझे डर लगता है कि अगर रीजनल लैंगवेजेज को भी रक्खा गया तो फौरेन रीजन्स के लड़कों के साथ एकता रखना कठिन है । देश भर में अनेकता बढ़ती जायेगी और जो गुलामी पहले थी वह फिर आ सकती है । एकता किस प्रकार से रह सकती है । वह एक भाषा से हो सकती है । मैं नहीं कहता कि आप हिन्दी भाषा को ही मानिये । कोई भी भाषा आप ले लीजिये ।

चाहे साऊथ इंडिया की या नार्थ इंडिया की, चाहे अंग्रेजी ही रखिये । लेकिन, देश में एक भाषा होनी चाहिये । पहले भी भारत में पढ़े लिखों की एक भाषा संस्कृत थी । उस के कारण देश एकता में बंधा हुआ था । लेकिन, जितनी ही भाषाएं बढ़ती जायेंगी और उन का डेवलेपमेंट बढ़ता जायेगा उतनी ही देश की एकता खत्म होती जायेगी । इसलिये आज रीजनल लैंग्वेजेज पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये । और, सरकार को रीजनल लैंग्वेजेज को पढ़ाने से सम्बन्ध नहीं होना चाहिये । अगर लोग पढ़ना चाहें तो अपने पैसे से पढ़ें । रीजनल लैंग्वेज के बारे में सरकार को खामोश ही रहना चाहिये ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी बातों पर गौर करेगी ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर): मैं ने अभी कई स्पीचें सुनीं इस युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के उपर, और इस बिल को भी पढ़ा । मैं सोचता हूं कि यह बिल समय के कुछ बाद आ रहा है, इसको कुछ समय पेश्तर लाया गया होता तो अच्छा होता ।

आजकल युनिवर्सिटी एजुकेशन प्राप्त कर के जो विद्यार्थी निकलते हैं उनसे हम सब लोगों का थोड़ा बहुत सम्पर्क होता ही है और हम जानते हैं कि आज परीक्षाओं का और शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है । इस के बारे में कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं है । इस लिये, यह तो दुरुस्त है कि जब शिक्षाविदों की जो विशेष संस्था है वह वाजिबी काम नहीं कर सकतीं है और देश को तथा समाज को जिस शिक्षा की आवश्यकता है और जितने दर्जे की शिक्षा की आवश्यकता है वह नहीं दे सकती है, तो सरकार का काम है कि वह इसमें हस्तक्षेप करे । अगर सरकार ऐसा नहीं करती, तो वह अपने कर्त्तव्य से च्युत होती है । इस लिये, मैं समझता हूं कि यह युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन बिल ला कर सरकार ने बिल्कुल वाजिब काम किया है ।

युनिवर्सिटी की स्वायत्तता को हम समझते हैं । युनिवर्सिटी की स्वायत्तता का मतलब यह होना चाहिये कि शिक्षा के काम में देश की सरकार अथवा कोई पार्टी विशेष अपने राजनैतिक प्रोग्राम को या अपने राजनैतिक विचारों को जबर्दस्ती युनिवर्सिटी पर न लादे, और युनिवर्सिटी के मिलने वाली जो सहायता है और जो उस के हक हैं उन हकों को कोई न मारे । सिर्फ इतना ही मतलब युनिवर्सिटी की स्वायत्तता का होना चाहिये । लेकिन, स्वायत्तता के नाम पर अगर कोई विशेषज्ञ लोग यह चाहें कि उन को अपनीं मनमानी घर जानी करने दी जाय और इस के लिये उन को रोका न जाये, तो यह बात बिल्कुल गैरवाजिब है ।

युनिवर्सिटी की स्वयत्तता के नाम पर आज हिन्दुस्तान की विश्वविद्यालयी शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है और यदि इस विषय में हम लोगों ने या हमारी सरकार ने ज्यादा ढिलाई की तो इस का परिणाम अच्छा नहीं होगा । इस लिये, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं ।

इस बिल के सम्बन्ध में अभी जो स्पीचेज हुई हैं उन को मैं ने ध्यान से सुना, तो मुझे मालूम हुआ कि वह केवल शिक्षा कैसी होनी चाहिये इसी पर लेक्चर है । बिल में क्या लिखा हुआ है, बिल में युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन के क्या-क्या फंक्शन्स हैं और किस तरह से वह बनाया जायेगा या क्या उस का काम होगा, इस बात के बारे में ज्यादातर विचार नहीं किया गया । मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस विषय में जो बिल पहले पेश हुआ था सेलेक्ट कमेटी में उस के जाने पर उस में बहुत कुछ सुधार हो गया है । स्टैन्डर्ड को मेनटेन करने और कोआर्डिनेशन करने का मतलब मैं यह समझता हूं कि मान लीजिये इलाहाबाद युनिवर्सिटी में परमाणु-शक्ति के सम्बन्ध में कोई परीक्षण हो रहा है या किसी किस्म की हायर स्टडी का इन्तजाम है और किसी

[श्री के० सी० सोंधिया]

दूसरी युनिवर्सिटी में भी उसी किस्म का काम हो रहा हो तो युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन का काम होगा कि वह दूसरी युनिवर्सिटी को इस बात की सलाह दे कि भाई, चूंकि इलाहाबाद युनिवर्सिटी में ज्यादा ऊंचे दर्जे का काम हो रहा है इस लिये तुम अपने विद्यार्थियों को वहां ले जाओ। उनको वहां भेज दो। इसी तरह से हर युनिवर्सिटी के खास-खास कामों में और युनिवर्सिटीयां भाग लें और अपने-अपने सपेशल डिपार्टमेंट रखें, यही मैं समझता हूं कि कोओर्डीनेशन का मतलब होगा। लेकिन, मुझे इसके बारे में शक है कि यह सरकार या यह कमिशन सच्चे मानों में इस कोओर्डीनेशन को कायम कर सकेंगे। यह मैं इस लिये कह रहा हूं क्योंकि मैं देखता हूं कि सरकार के कामों में और मिनिस्टर्ज़ के कामों में ही कोओर्डीनेशन नहीं है, तो यहां पर कोओर्डीनेशन कैसे हो सकता है। मेरे ख्याल में और भी मिनिस्ट्रीज़ कई दूसरी संस्थाओं को रिसर्च के काम के लिये इंडस्ट्री के कामों में जो रुपया देंगी वह अलग से देंगी। इसके अलावा, यदि आप देखें तो आप को पता चलेगा कि जो एजुकेशन मिनिस्टरी है वह भी कई संस्थाओं को अलग से रुपया देगी। इसके पास इस काम के लिये अलग से ग्रांट होगी। हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जो कमिशन हम बनाने जा रहे हैं सिर्फ उसी के जिम्मे यह सारा काम होगा। यह बात नहीं है। शिक्षा विभाग अपने पास से और बहुत सी संस्थाओं को जैसे जामा मिलिया है और दक्षिण की ओर कई संस्थायें हैं, उनको देने के लिये अपने पास पैसा अलग से रख लेगा। इस लिये यह सोचना कि यह कमिशन ही सब को रुपया देगा ठीक नहीं है।

इस के अलावा, एक दूसरी चीज़ भी है। यह बिल जो कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब के नाम पर उनके पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी साहब ने रखा है इसके अधीन केन्द्र के जो बनाये हुए चार विश्वविद्यालय हैं उनका मेनटेनेंस ग्रांट का और डिवेलेपमेंट के वास्ते पैसा लेने का पहला हक़ होगा। उनको पहले रुपया दिया जायेगा और बाकी की जो यूनिवर्सिटयां हैं, उनको खास-खास कामों के वास्ते कुछ रुपया दे दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिये कि यह जो बिल है इस में इस किस्म का भेदभाव बरता गया है। इसके बाद, यह कमिशन जिन यूनिवर्सिटयों को रुपया-पैसा देगा, उनके फाइनेंसिस वगैरह की जांच भी यही करेगा। इस में यह हक भी इसको दिया गया है कि वह इंस्पेकशन भी कर सकेगा। अब यह इंस्पेकशन कैसा होगा, इसका अंदाज़ मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि एजुकेशन मिनिस्टरी के पास या उस कमिशन के पास जो अब बनने जा रहा है, कोई ऐसे विशेषज्ञ तो नहीं होगें जो बाहर से आए हों और इस काम के लिये खास तौर पर रखे गये हों। इन्हीं लोगों में कुछ लोग खड़े कर दिये जायेंगे और उन्हें कह दिया जायेगा कि वे जा कर इंस्पेकशन करें। इंस्पेकशन करने के बाद, कमिशन कुछ हिदायतें देगा और अगर वह हिदायतें मानी नहीं जायेंगी तो फिर उस विश्वविद्यालय को पेसा देना बन्द कर दिया जायगा।

इस बिल में एक चीज़ और है और वह यह कि उसके नौ सदस्य होंगे। इस के बारे में अभी हमारे मुकर्जी साहब ने कहा कि यह नम्बर बहुत थोड़ा है। यह कम से कम १७ होना चाहिये। दूसरे साहिबान ने भी यही राय ज़ाहिर की है कि इस कमिशन के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। लेकिन, मैं उन से यह पूछना चाहता हूं कि आखिर में यह कमिशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी होगा न कि एक डिसकशन करने वाली बाडी। यदि एडमिनिस्ट्रेटिव बाडी में सदस्यों की संख्या को ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो कुछ होता नहीं और सारे का सारा वक्त वाद विवाद

में ही चला जाता है । मैं समझता हूं कि नौ सदस्यों का ही रखा जाना वाजिब है । लेकिन, इस में एक बात है और वह यह है कि इस में लिखा हुआ है कि जो वाइस चांसलर्ज़ लिये जायेंगे उनकी संख्या तीन से कम नहीं होगी । यानी सरकार अगर चाहे तो वह उनकी संख्या पांच भी कर सकती है और अगर पांच कर दी जाए और उस में वह दो अफसर जो कि गवर्नमेंट को रिप्रिजेंट करेंगे उनको मिला दिया जाए, तो यह संख्या सात हो जाती है, और फिर बाक़ी जो सदस्य लिये जाने हैं वह केवल दो ही रह जाते हैं । इस लिये अगर हम चाहते हैं कि शिक्षित जनता के मत का कुछ असर यूनिवर्सिटियों के ऊपर पड़े और उनकी राय को भी देखा जाए, तो में समझता हूं कि उनकी संख्या जो कि एजुकेशनिस्ट चुने जाने हैं, चार से कम नहीं होनी चाहिये । इस चीज को देखते हुए, मैं ने एक एमेंडमेंट रखा है जिसका मकसद यह है कि आप जो वाइस चांसलर्स रखें उनकी संख्या तीन से ज्यादा नहीं होनी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया गया और पांच वाइस चांसलर्स रख लिये गये और दो अफसर रख लिए गए तो इससे साधारण जनता को और शिक्षित जनता को शिक्षा के बारे में सोचने की जो प्रेरणा मिलती है वह नहीं मिलेगी । इसलिए, यह जरूरी है कि कमिशन उनके विचारों को जान सके और इसका एक तरीका यह है कि वाइस चांसलर्स की संख्या को तीन से अधिक न किया जाए ।

इसके अलावा, आपने धारा १२ (ग) में इम्प्रूवमेंट आफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लफ्जों को रखा है । आगे चल कर, यह कहा गया है कि कमिशन यूनिवर्सिटी के फाइनेंसिस को भी इन्स्पेक्ट कर सकता है । तो यहां पर यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ ही अगर फाइनेंसिस का शब्द भी रख लिया जाए, यानी-यूनिवर्सिटी एजुकेशन और फाइनेंसिस, इन दोनों के बारे में यह कमिशन जांच कर सकता है और सुधारने के लिये सिफारिश कर सकता है तो मैं समझता हूं कि यह ठीक ही बात होगी । यहां...

डा० एम० एम० दास : विश्वविद्यालयों के वित्तों की जांच को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । इसलिये सर्वप्रथम मद यही है ।

श्री के० सी० सोधिया : जांच तो की ही जायेगी, और उसके उपरान्त धन वितरित किया जायेगा । परन्तु प्रश्न यह है कि इसके बारे में आयोग ने सिफ़ारिश कहां की है ? आप किस सिफ़ारिश पर विचार विमर्श करेंगे । आयोग ने बोगस डिग्रियों के सम्बन्ध में अवश्य उल्लेख किया है, और उसके बारे में एक खण्ड भी रखा गया है । मैं उससे पूर्णरूपेण सहमत हूं ।

श्री एस० एस० मोरे : आज के युग में, जब कि हम एक समाजवादी समाज की स्थापना की ओर अग्रसर हो रहे हैं, शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है । शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिये ब्रिटिश काल में १८५४ से लेकर प्रयत्न किये जा रहे हैं और कई प्रकार के सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं । अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा । इस विधेयक का उद्देश्य तो निस्सन्देह महान और गौरवशाली है, और आज के युग के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

खण्ड १२ तथा १३ में दिये हुए कार्य ऐसे हैं जिनका राज्यों की ओर से विरोध होगा क्योंकि शिक्षा प्रमुख रूप से तो एक राज्य विषय है, और उसमें हस्तक्षेप वे सहन न कर सकेंगे ।

विश्वविद्यालय भी इसका समर्थन न करेंगे क्योंकि वे भी अपनी स्वायत सत्ता मे किसी का हस्तक्षेप सहन नहीं करते । आप कर सकते हैं कि आयोग का तो सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु आयोग खण्ड १२ में अपनी सिफारिश के द्वारा इसे राज्य शासन के

[श्री एस० एस० मोरे]

अधीन कर दिया है । आयोग के सदस्यों की संख्या के बारे में मूल विधेयक में तो यह लिखा था कि यह संख्या ९ से अधिक न हो, और संयुक्त समिति ने इस संख्या को ९ ही निश्चित कर दिया है । श्री एच० एन० मुकर्जी का यह कहना है कि इसे १७ कर दिया जाये । परन्तु मैं इसे ९ से अधिक बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं । परन्तु अब प्रश्न यह है कि इस आयोग के सदस्यों को नियुक्त कैसे किया जायेगा । नामनिर्देशित करने की प्रणाली को तो मैं वैसे तो अनुचित नहीं समझता, परन्तु फिर भी मैं यह चाहता हूं कि इस कार्य के लिये निर्वाचन का ही सहारा लिया जाये और शिक्षाशास्त्रियों को चुनाव लड़ने में कोई भी संकोच नहीं करना चाहिये ।

इस में यह बताया गया है कि नौ के नौ सदस्य सरकार के द्वारा ही नियुक्त किये जायें । मैं इसका समर्थन नहीं करता । हम सरकार की ठीक या ग़लत बात को चुप चाप क्यों मान लें । जब तक इन व्यक्तियों को स्वतन्त्रता नहीं दी जाती तब तक उन से यह आशा करना असंभव है कि वे देश के प्रति और शिक्षा के प्रति अपना उत्तरदायित्व उचित प्रकार से निभा सकेंगे । इसलिये सरकार से मेरा यह निवेदन है कि वह नियुक्त करने की इस प्रणाली को बदल दे ।

नियुक्ति के इस रूप के अतिरिक्त खंड २० भी सरकार को नीति बनाने के मामले में प्राथमिकता देगा । यहां कहा गया है : "राष्ट्रीय प्रयोजनों से सम्बन्धित" । उपाध्यक्ष महोदय, एक वकील के रूप में मैं आप से यह बताने की प्रार्थना करता हूं कि क्या ("राष्ट्रीय प्रयोजनों") का अर्थ ठीक ठीक बताया जा सकता है ? राष्ट्रीय प्रयोजन क्या है ? इसके कारण सारा मार्ग झगड़ों से भर जायेगा और जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार के बीच "राष्ट्रीय प्रयोजन" के बारे में मतभेद होगा तो ऐसे झगड़ों में खंड २० के उपखंड (२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार की इच्छा या आदेश विनिश्चयात्मक होगा ।

डा० एम० एम० दास : मैं माननीय सदस्य का ध्यान १९४८ के राधाकृष्णन् (विश्वविद्यालय शिक्षा) आयोग के प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि "राष्ट्रीय प्रयोजन" का क्या अर्थ है ।

श्री एस० एस० मोरे : एक वकील के रूप में मैं महसूस करता हूं कि उन्होंने जो भी कहा है उसके बावजूद भी जब "राष्ट्रीय" शब्द के निर्वचन का प्रश्न उठेगा तब केन्द्रीय सरकार के लिए भी कोई ऐसी निश्चित सीमायें निर्धारित करना, जिनमें इन प्रयोजनों को रखा जा सके, अत्यधिक कठिन होगा । अतः मेरा निवेदन यह है कि इन शब्दों के स्थान पर और अधिक उपयुक्त शब्द रखे जायें । इसके अतिरिक्त, इन उद्देश्यों में आयोग के सदस्य की कालावधि छः वर्ष रखी गई है और सरकार ने सदस्य को हटाने का अधिकार छोड़ दिया है । यदि आप नामनिर्देशन रखना चाहते हैं तो सरकार को हटाने का अधिकार अवश्य प्राप्त होना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास : क्या हम माननीय सदस्य की बात का यह अर्थ लगायें कि वह चाहते हैं कि सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्य सरकार की दया पर निर्भर रहें और सरकार को अपनी इच्छानुसार उन्हें सेवा से हटाने का प्राधिकार हो ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि माननीय सभासचिव यह कहना चाहते हैं कि सदस्य सरकार की दयादृष्टि पर नहीं रहते हैं, तो मैं उनका निर्वाचन स्वीकार करने को तैयार हूं । परन्तु मेरा केवल यह निवेदन है कि अन्य संविधियों से भी हटाने का अधिकार हटा दिया जाये ताकि संबद्ध सदस्यों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त हो सके । जहां तक छः वर्ष

के काल का प्रश्न है, मेरा ख्याल है कि यह कम कर दिया जाये । एकदम ही सदस्य को छः वर्ष के लिए रखना अनावश्यक है ।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : श्रीमान्, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि आप के पश्चात् जो व्यक्ति पीठासीन होंगे उन्हें भी वक्ताओं की उस नामावली के अनुसार चलना पड़ेगा जो आपके पास है, अथवा कोई भी सदस्य जो खड़ा होगा और पीठासीन व्यक्ति की दृष्टि में आ जायेगा बोलने का अधिकारी होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्य प्रश्न नहीं है; परन्तु फिर भी कुछ भ्रमों का स्पष्टीकरण करना मेरे लिए आवश्यक है । पीठासीन होने वाला कोई भी व्यक्ति अपने से पहिले पीठासीन व्यक्ति के किसी भी निदेश से बाध्य नहीं होता । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि यदि मैं इस स्थान पर बैठा रहूं तो चर्चा के आधार को बनाये रखने के लिए मैं कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ उन लोगों में से जिन्होंने संयुक्त समिति में विचार प्रकट किये हैं, और कुछ उन लोगों में से जो संयुक्त समिति में नहीं थे, सदस्यों को पुकारूंगा । इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य सदस्यों को भी, कुछ अन्य बातों का ध्यान रखते हुए, बोलने का अवसर दूंगा । यदि कोई सदस्य कहते हैं कि इस चर्चा के लिए उन्होंने विशेष तैयारी की है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु प्रत्येक सदस्य को नहीं पुकारा जा सकता । परन्तु ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी सदस्य को बोलने के लिए न पुकारा जाये ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं ने यह प्रश्न इस कारण पूछा था कि प्रत्येक बार जब भी इस ओर से हम पीठासीन व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठते हैं तो हमें कहा जाता है कि उन्हें एक नामावली दी गई है और वह उससे बाध्य हैं । दूसरा कारण यह था कि प्रत्येक बार यह होता है कि पीठासीन व्यक्ति बायीं ओर से पुकारना आरम्भ करते हैं और दायीं ओर के आगे आकर पुकारना बंद कर देते हैं । इससे आगे वह कभी नहीं देखते और हम नहीं जानते कि इस ओर बैठने वाले सदस्यगण बोलने के अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य न तो खड़े ही हुए हैं और न ही उन्होंने कोई पर्ची भेजी है। यदि माननीय सदस्य एक बार भी खड़े हुए होते तो मैं उनका नाम अवश्य लिख लेता । आप मेरी दायीं ओर बैठे हैं । मैं इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूं । सदस्यगण यह बात महसूस करेंगे कि कभी कभी विरोधी दल के सदस्यों को अधिक अवसर मिलते हैं क्योंकि दूसरी ओर की अपेक्षा उनकी संख्या थोड़ी है । मुझे विश्वास है कि नियतसमय में उन सारे माननीय सदस्यों को, जिन्होंने बोलने की इच्छा प्रकट की है, बोलने का अवसर मिलेगा ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

श्री एस० एस० मोरे : मैं देखता हूं कि विधेयक में ग्राम विश्वविद्यालयों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है । नगरवासियों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के सारे अवसर प्राप्त होते हैं और परिणाम यह होता है कि हमारी कार्यवाहियों पर नगरीय छाप रहती है । मैं महसूस करता हूं कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों का अधमोचन अवश्य करना चाहिए और इसका सर्वश्रेष्ठ उपाय एक उचित ग्राम विश्वविद्यालय का विकास करना है । ग्राम विश्वविद्यालय अध्ययन का पाठ्यक्रम बनायेगा जो ग्रामीण भावना और प्रथा के अनुकूल होगा और इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक, वैज्ञानिक रूप देने में भी सफल होगा ।

मेरा दूसरा तर्क यह है कि अनुदान बांटना आयोग का उद्देश्य न हो । आयोग इस बात का भी ध्यान रखे कि उसके प्रयत्न

[श्री एस० एस० मोरे]

के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे और शिक्षा संबंधी व्यय में कमी हो। शिक्षा, और विशेषत: उच्च शिक्षा धनाढ्य वर्गों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये।

आर्थिक समता लाने के लिये शिक्षा की समता लाना अवश्यक है। आज शिक्षा पर कुछ धनी व्यक्तियों का एकाधिपत्य है, जो कि विश्वविद्यालयों की खर्चीली शिक्षा अपने बच्चों को दे सकते हैं। परिणाम यह होता है कि मध्यम वर्ग के लोग अथवा ग्रामीण लोग अशिक्षित ही रह जाते हैं, और इस प्रकार शासकों का एक वर्ग अथवा एक जाति बन जाती है जिसके फलस्वरूप विषमता पैदा हो जाती है। देश की समृद्धि और विकास के लिये हमें अधिकाधिक निर्माण करना है जिसके लिये हमें टेकनिकल विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। इन्हें अधिकाधिक संख्या में प्राप्त करने के लिये हमें टेकनिकल शिक्षा को सस्ती बनाना पड़ेगा।

यदि हमारे प्रशासक वस्तुत: समाजवादी प्रकार के समाज की स्थापना करने के लिये सन्नद्ध हैं तो उन्हें यह चाहिये कि वे टेकनिकल शिक्षा को यथासम्भव अनिवार्य और नि:शुल्क बना दें। मैं एक प्रार्थना और करूंगा कि इस आयोग के सदस्य लाभप्रद पदों पर काम करने वाले व्यक्ति समझे जायें और उन्हें संसद् की सदस्यता से अनर्हित कर दिया जाय जिससे कि संसद् के सदस्य इस बात का स्पष्टीकरण कर सकें कि वे इस संसद् के सदस्य रह कर जनता की सेवा करना चाहते हैं अथवा आयोग के सदस्य रह कर शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहते हैं।

मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन सभी प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ होगा जो कि इस समय हमारे समक्ष हैं अथवा भविष्य में हमारे समक्ष लाये जायेंगे।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से ही शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यक्ति को सुसंस्कृत माना जाता है। किन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा समाज की निचली श्रेणियों तक नहीं पहुंच सकी है; परिणाम यह हुआ कि समाज का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अंग अशिक्षित ही रह गया है। अत: हमें शिक्षा की नीति में ऐसा परिवर्तन करना चाहिये कि शिक्षा समाज की प्रत्येक श्रेणी तथा प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो सके। हमारे संविधान में भी इसका विधान है। यह विधेयक विश्वविद्यालयों की शिक्षा से सम्बन्ध रखता है। इसके उद्देश्यों को विस्तृत कर दिया गया है। अब इसका उद्देश्य अध्यापन तथा परीक्षा का प्रमाप निर्धारण ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय शिक्षा तथा शोध कार्य का विस्तार भी है। इस समय हमारे देश में ३० विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से लगभग सभी विश्वविद्यालय नगरों में हैं, जबकि भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग गांवों में रहता है। विश्वविद्यालय आयोग ने अपने प्रतिवेदन के अन्तिम अध्याय में ग्रामीण विश्वविद्यालयों पर जोर डाला है।

ग्रामीण शिक्षा इस प्रकार की हो कि उससे ग्रामीणों को आगे चल कर अपना काम करने में सहायता मिले। वे खेती तथा ग्रामीण उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ सीख सकें। इस विषय में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने डैनमार्क के जन विद्यालयों का उदाहरण दिया है, जिन्होंने कुछ ही वर्षों में आश्चर्यजनक कार्य किया और उन्हीं के कार्य के फलस्वरूप डेनमार्क की इतनी प्रगति हुई। यदि गांव के लोगों को वही शिक्षा दी जाय तो वह उनके लिये सस्ती, उपयोगी तथा लाभदायक होगी। जिससे वे अपने कार्य को सुचारु तथा उचित ढंग से करने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आज कल यह होता है कि गांवों के लड़के कुछ पढ़-लिख जाने के पश्चात् खेतों में कार्य करना अपनी हेठी समझते हैं और वह किसी काम के नहीं

रह जाते हैं। इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हो तो इसे खंड १२ में स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर देना चाहिये। इससे एक अच्छी बात यह होगी कि बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति जो समुचित विकास न होने के कारण अज्ञात रहते हैं, सामने आ जायेंगे।

वैज्ञानिक गवेषणा पर भी उचित ध्यान देना चाहिये तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा वायुयान इंजीनियरिंग, अणु विज्ञान तथा इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादि की उच्चतम शिक्षा सुलभ बनाई जानी चाहिये जिससे कि हमारे देशवासी इन विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकें।

इस उद्देश्य के लिये विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में इजर्टन समिति ने यह सुझाव दिया था कि इन प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क रहना चाहिये तथा विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाले विद्यार्थियों को इन प्रयोगशालाओं में कार्य करने की सुविधायें होनी चाहियें। आयोग को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये तथा जब भी देश तथा आयोग के हित में उचित हो सुझाव देने चाहियें।

साथ ही प्राचीन संस्कृति के सम्बन्ध में गवेषणा कार्य करना चाहिये। हमारे पास साहित्य तथा ज्ञान का अगाध आगार था जिसे हममें में से बहुत से लोग नही जानते हैं। मैक्स मूलर ने लिखा है कि भाषा विज्ञान के सिद्धान्तों का जहां तक संबंध है २५०० पूर्व यास्थ ने अपनी पुस्तक 'निरुक्त' में जो कुछ कहा था, हम ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। व्याकरण और अन्य विज्ञानों के बड़े-से-बड़े पंडित हमारे यहां मौजूद हैं। इसका हमें लाभ उठाना चाहिये। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इस देश की संस्कृति और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सदा ही संस्कृत का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अपनी पैतृक संस्कृति का परिरक्षण करने के लिये यह आवश्यक है कि हम उसे समझें और आने वाली संतानों को सौंपें। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस की ओर ध्यान देगा और संस्कृत साहित्य के पठन-पाठन तथा गवेषणा को प्रोत्साहन देगा।

दूसरी महत्वपूर्ण बात विभिन्न विश्वविद्यालयों की शिक्षा का प्रमापीकरण और एकीकरण करना है। हम जानना यह चाहते हैं कि क्या सब विश्वविद्यालयों में विद्या का प्रमाप एक ही है। आज कितने ही विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। यदि वे अपनी अपनी अलग राहों पर चल रहे हैं और शिक्षा के सम्बन्ध में उन का स्तर एक जैसा नहीं है तो हम अंधकार में भटकते रहेंगे।

उच्च शिक्षा ही नहीं, प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में भी स्तर की एकता का होना बहुत आवश्यक है। कुछ राज्यों में दसवीं कक्षा पास करने वाले मैट्रीकुलेट हो जाते हैं जब कि अन्य राज्यों में पाठ्यक्रम ग्यारह वर्ष का है जिसका परिणाम यह है कि एक राज्य में एक व्यक्ति १४ वर्ष की आयु में मैट्रीकुलेशन पास कर लेता है जब कि दूसरे राज्य में उस की आयु १६ वर्ष हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप १६ वर्ष की आयु में परीक्षा पास करने वालों को प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी शिकायतें भी बार बार आ रही हैं कि परीक्षा फलों में मेल जोल या प्रभाव से भी कुछ प्रभाव पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिये और इस की जांच होनी चाहिये।

इस आयोग के पास अपनी निधि होगी और एक बार जब इस निधि का आवंटन हो जाये तो उच्च शिक्षा के लिये उसका प्रयोग करने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये। इस में न तो कोई हस्तक्षेप किया जाना चाहिये और न किसी प्रकार से उन पर दबाव डाला जाना चाहिये।

[श्री आल्तेकर]

आयोग की रचना से मुझे पूरा संतोष है। यद्यपि यह निर्वाचित नहीं होगा फिर भी इस में बड़े ही योग्य व्यक्ति होंगे और ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि विश्वविद्यालयों में उपकुलपति का काम कर रहे हैं।

सब से अधिक आवश्यकता धन की है। राधाकृष्णन् आयोग ने बताया है कि इस देश में विश्वविद्यालय की शिक्षा पर कठिनाई से नौ करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। उनका सुझाव है कि उचित शिक्षा देने के लिये कम-से-कम २१·४ करोड़ रुपये का खर्च किया जाना चाहिये। राधाकृष्णन् आयोग ने यह भी कहा है कि सरकार का अनुमान ६० प्रतिशत होना चाहिये।

एक और बात राधाकृष्णन् आयोग ने यह कही है कि विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का होना भी आवश्यक है। हमें इस की ओर भी ध्यान देना है। आयोग को चाहिये कि वह सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलावे कि विश्वविद्यालयों के लिये निधि की व्यवस्था करने की आवश्यकता बहुत अधिक है।

सभापति महोदय : श्री चेट्टियार।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : (तिरुपुर) : उच्च शिक्षा से संबंधित होने के कारण यह विधेयक वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है।

इस विधेयक के रखे जाने बाद, इस सम्बन्ध में विशेष रूप से देश में एक चर्चा छिड़ गई है कि कहां तक विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता होनी चाहिये और कहां तक सरकार विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण कर सकती है। वास्तव में, यह विषय सरकार और विश्वविद्यालय के बीच में स्पर्धा का इतना नहीं जितना इस महान् कार्य के पूरा करने में परस्पर सहयोग करने का है। इस सम्बन्ध में न तो नियम हमारी सहायता कर सकते हैं और न विधि ही बनाई जा सकती है। संयुक्त प्रवर समिति के पास विधेयक के भेजे जाने के पहले यदि लोगों को किसी प्रकार का अंदेशा था तो अब उसके लिये भी कोई स्थान नहीं रहा है क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति ने सभी के विचारों पर ध्यान देने के बाद बहुत से प्रतिबंध हटा दिये हैं जो कि पहले लगाये गये थे।

स्तर ऊंचा करने का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन की व्यवस्था करना और उपकरणों की व्यवस्था कर के स्तर को ऊंचा करना एक तरीक़ा है। डा० साहा ने भी अपने भाषण में इस पर ज़ोर दिया है। यद्यपि शिक्षा का विषय राज्यों के अधीन है फिर भी भारत सरकार ने यह बात देख ली है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की उन्नति बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिये उस ने विश्वविद्यालयों को बड़ी बड़ी राशियों के अनुदाद दिये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उपकरणों के अतिरिक्त सेवीवर्ग की भी बहुत आवश्यकता है और अनेक कारणों से हमारे देश में शिक्षा का क्षेत्र अच्छे-से-अच्छे व्यक्तियों को आकर्षित नहीं कर पाता है। आज विद्यार्थियों में अनुशासन की आवश्यकता बहुत अधिक है। इस का कारण यही है कि देश के अच्छे-से-अच्छे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में नहीं आते हैं। मैं आशा करता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विषय पर अवश्य कोई ऐसा सुझाव प्रस्तुत करेगा जिसके फलस्वरूप देश के योग्यतम पुरुष और स्त्रियां विश्वविद्यालय सेवाओं की ओर आकर्षित हों। यह ठीक है कि धन की आवश्यकता है। उपकरण की आवश्यकता है परन्तु इन सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है कि स्कूलों और कालिजों में हमारे देश के युवकों और युवतियों का पथ-प्रदर्शन करने के लिये उचित प्रकार के व्यक्ति हों।

स्तर के गिरने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इस विषय की जांच करने से मुझे पता चला है कि इस का सम्बन्ध हमारे

कालिजों के शिक्षा के माध्यम से बहुत अधिक है। अपने देश की भाषाओं को हम ने शिक्षा का माध्यम बना दिया है, परन्तु विश्व-विद्यालयों में अब भी पढ़ाई अधिकांशतः अंग्रेजी के माध्यम द्वारा होती है जिस का परिणाम है कि जब विद्यार्थी पहले पहल अंग्रेजी में व्याख्यान सुनते ह तो उन की समझ में कुछ नहीं आता। मैं आशा करता हूं कि जिन के हाथ में शिक्षा का सुधार करने का काम है वे इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे। इस विकार को दूर करने से निश्चय ही स्तर के ऊंचा करने में बहुत बड़ा योग दिया जा सकता है। यह काम ऐसा है जिस के लिये बहुत तैयारी की आवश्यकता है और जो एक दिन में नहीं किया जा सकता। इसलिये जितनी जल्दी हम इस काम के करने की तैयारी करें उतना ही हमारे लिये अच्छा होगा।

इस पृष्ठभूमि में संयुक्त समिति ने इस विषय पर विचार किया था। एक संशोधन भी रखा गया है जिसका अभिप्राय इस आयोग के प्रभारियों को यह स्मरण कराना है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के विकास का सब से अच्छा तरीका प्रादेशिक भाषाओं को विकसित करना है।

मैं दूसरी बात इस महान देश की संस्कृति और ज्ञान के बारे में कहूंगा। संस्कृति और ज्ञान का विकास तभी सम्भव है, जब अपने देश की भाषाओं का विकास किया जाये। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी यह एक उद्देश्य होगा।

आपको ज्ञात होगा कि संसार में तीन प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। प्रथम प्रकार के विश्वविद्यालय पूर्णतः स्वतन्त्र हैं, दूसरे प्रकार के पूर्णतः सरकार के अधीन हैं और तीसरे प्रकार के विश्वविद्यालय अमरीका के हैं, जो पूर्णतः राज्यों पर निर्भर हैं और संघ सरकार को उनसे कोई सरोकार नहीं। किन्तु तीनों प्रकार के विश्वविद्यालय इस पर जोर देते हैं कि विश्वविद्यालयों के विकास के लिये और वस्तुतः विद्या और ज्ञान के विकास के लिये स्वतन्त्रता अत्यन्त महत्वपर्ण है।

हम ने विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रणाली को चुना है। किन्तु ब्रिटिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अपने देश के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कुछ विशेष भिन्नतायें हैं।

इंग्लैंड में कोई भी उपकुलपति विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नहीं हो सकता यह शायद इसलिये है कि अनुदान देते समय वह पूर्णतः निष्पक्ष रह सके। दूसरे, इंग्लैंड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा मंत्रालय के बजाय कोषागार के नियंत्रण में रहता है, जिसका उद्देश्य शायद यह है कि शिक्षा मंत्री अपने छोटे छोटे सिद्धान्तों को आयोग पर लागू न कर सकें। तीसरे, इंग्लैंड में विश्वविद्यालय इसके लिये स्वतंत्र हैं कि वे अनुदान शर्तसहित अथवा बिना शर्त के स्वीकार करें। वस्तुतः इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को जनमत के आधार पर ही चलना पड़ता है।

इंग्लैंड में विश्वविद्यालयों को राशि अनुदान दे दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्राधिकारी पहले से ही पांच या छः साल की योजनायें प्रस्तुत करते हैं। योजनाओं की स्वीकृति पर उनको चालू वर्ष के लिये ही अनुदान नहीं मिलता है, अपितु उनको यह भी विश्वास हो जाता है कि अगले वर्षों में उनको बिना किसी रुकावट के पैसा मिलता रहेगा और वे बिना किसी परेशानी के अपनी योजनायें चला सकेंगे।

कुछ बातों में हम ब्रिटिश प्रणाली के खिलाफ गये हैं। विधेयक के खण्ड ५ में कहा गया है कि आयोग के लिये केन्द्रीय सरकार नौ व्यक्तियों का नामनिर्देशन करेगी। कुछ व्यक्तियों ने इसके लिये चुनाव करने का भी सुझाव दिया है। किन्तु मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और मुझे प्रसन्नता है कि कम-से-कम इस

[श्री टी० एस० ए० चेट्टियार]

विद्यासम्बन्धी निकाय को हम ने चुनाव की पद्धति से बचा रखा है ।

इसके अतिरिक्त आयोग में विश्वविद्यालयों के तीन उपकुलपति और केन्द्रीय सरकार के दो पदाधिकारी रखे जायेंगे । यह भी उपबन्ध किया गया है कि आयोग में प्रसिद्ध शिक्षाविद् रखे जायें । इस प्रकार, सरकार को इस बात का अवसर दिया गया है कि वह इस निकाय में विशेष अनुभवी व्यक्तियों का नाम निर्देशन कर सके । मुझे विश्वास है कि इस सम्बन्ध में हम ने काफी सुधार किया है ।

अब मैं कुछ अन्य खण्डों का निर्देशन करूंगा । खण्ड २(च) के बारे में काफी कहा जा चुका है और मैं इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक नहीं कहूंगा । प्रथमतः, विधेयक का क्षेत्र केवल सम्बद्ध (अंगभूत) कालिजों तक ही सीमित रखा गया था । क्योंकि अपने देश में अंगभूत (सम्बद्ध) कालेजों की संख्या कम है, अतः संयुक्त समिति ने इस विधेयक को सम्बद्ध कालेजों पर भी लागू करने का विचार किया । इस पर शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि निधि इतनी नहीं है कि सारे कालिजों को धन दिया जा सके, अतः एक विशेष प्रकार के कालिजों को ही सहायता देनी चाहिये । इसके पश्चात् यह सुझाव दिया गया कि इस विधेयक को स्नातकोत्तर कालिजों तक ही सीमित रखा जाये । मैंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन रखा है और मैं आशा करता हूं कि पहले पहल सरकार इसको सारे स्नातकोत्तर कालिजों पर ही लागू करेगी ।

अब मैं खण्ड १२ का उल्लेख करता हूं । खण्ड १२ में आयोग के अधिकारों और कर्तव्यों की परिभाषा दी गई है । मैं इस खण्ड म एक संशोधन द्वारा यह उपबन्ध करना चाहता हूं कि सारी भारतीय भाषाओं के विकास के लिये विश्वविद्यालयों को आर्थिक सहायता देने के लिये आयोग को अधिकार दिया जाये । मैं किसी विशेष भाषा के लिये नहीं कहता । सभी हमारे देश की भाषायें हैं और सभी भाषाओं के विकास पर ही हमारे देश की उन्नति निर्भर है ।

अब मैं खण्ड २० का उल्लेख करता हूं । इस विषय पर संयुक्त समिति को काफी परेशानी उठानी पड़ी है कि क्या भारत सरकार राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में निदेश दे सकती है । कुछ विश्वविद्यालयों ने कहा है कि कोई भी सरकार उनको कोई निदेश नहीं दे सकती है । मेरे विचार में यह परमावश्यक है कि भारत सरकार को यह बताने का अधिकार हो कि कौन सी बात राष्ट्रीय महत्व की है, किन्तु साथ-ही-साथ सरकार को इतना आश्वासन अवश्य देना चाहिये कि राष्ट्रीय कार्यों का संकुचित अर्थ नहीं लगाया जायेगा । जब विधेयक पर खंडशः चर्चा होगी, तो मैं इस विषय का विस्तारपूर्वक विवेचन करूंगा ।

मुझे केवल एक विषय के सम्बन्ध में और कहना है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य २० मिनट ले चुके हैं और मैं और अधिक समय नहीं दे सकता ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं अधिक समय नहीं लूंगा । जब खण्डशः चर्चा होगी, तब मैं उस विषय में कहूंगा ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम) : मैं विश्वविद्यालय अनुदान विधेयक का स्वागत करता हूं । आज से ६ वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की थी । मैं संयुक्त समिति का सदस्य था पर मैं उसकी बैठकों में भाग न ले सका क्योंकि मैं बाहर था । मैं केवल उसी संशोधन का प्रस्ताव करूंगा जिसकी मैंने पूर्व सूचना दी है ।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की कार्य प्रणाली की ठीक प्रकार से छानबीन की जानी चाहिए । यदि आप सावधानीपूर्वक विधेयक को देखेंगे तो आप देखेंगे कि आयोग का सभापति ही पूरे समय काम करने वाला व्यक्ति होगा; शेष सदस्य थोड़े समय काम करने वाले हैं । इनमें कुछ सदस्य विश्वविद्यालयों के उपकुलपति होंगे और कुछ शिक्षा विशारद होंगे । उनकी बैठक दो या तीन महीने में महत्वपूर्ण विषयों का निश्चय करने के लिए हुआ करेगी ।

हम जानते हैं कि ऐसे मामलों में आमतौर से यही होता है कि जो कुछ भी सभापति द्वारा पेश किया जाता है, वही मान लिया जाता है, क्योंकि दूसरे सदस्यों के पास उन पर गौर करने के लिये समय ही नहीं होता । यह इसीलिये कि वे पूरा समय देने वाले सदस्य नहीं, और सिर्फ सभापति ही उसमें पूरा समय देता है । लेकिन, संयुक्त समिति ने तो सभापति को भी पूरा समय देने वाला सदस्य नहीं रखा है । यह और भी बुरा है । अब सारा प्रबन्ध कार्यालय के द्वारा होगा । इसीलिये मैं खण्ड ५ का एक संशोधन पेश कर रहा हूं । खण्ड ५ में कहा गया है कि आयोग में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ९ सदस्य होंगे, जिनमें से विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों में से तीन, सरकारी अधिकारियों में से दो, और प्रसिद्ध शिक्षाविदों में से बाक़ी सदस्य चुने जायेंगे । इनमें से, सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त किसी भी अन्य सदस्य को सरकार आयोग का सभापति बना देगी । इससे स्पष्ट है कि विज्ञान और अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) और भैषज विद्या जैसे विषयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालयों में शिक्षा-दान की परिस्थितियों का अध्ययन करने का उत्तरदायित्व आयोग के किसी एक जिम्मेदार सदस्य पर नहीं, पूरे कार्यालय पर ही होगा । इससे कुछ भी नहीं होगा । इसीलिये, मैं ने सभापति सहित पूरा समय देने वाले पांच सदस्यों की कार्यकारिणी समिति बनाने का संशोधन पेश किया है । विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों के विभागों में चार मुख्य हैं--कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग और भैषज विद्या । सभापति के अतिरिक्त, पूरा समय देने वाले अन्य चार सदस्य अलग-अलग रूप से इन चारों के विशेषज्ञ होंगे । वे सभी विश्वविद्यालयों में होने वाली पढ़ाई की स्थितियों और स्तरों का अध्ययन करें और अनुदान आयोग के समक्ष अपने प्रतिवेदनों में आवश्यक उपायों के सुझाव देंगे । इस विधेयक में इसका उपबन्ध नहीं । इसके बिना, सरकार द्वारा आयोग को दी हुई सारी धन-राशि फिजूलखर्ची में चली जायेगी । मैं ने, कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त, कम-से-कम ९ और अधिक-से-अधिक १५ सदस्यों की एक परामर्शदात्री परिषद् का सुझाव भी रखा है । उनकी नियुक्ति विधेयक में दी गई विधि के अनुसार ही होती । नीति का निर्धारण करने वाली इस परिषद् की बैठकें हर तीसरे या छठे महीने हुआ करेगी, जिनमें कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय किये जायेंगे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश करने वाले राधाकृष्णन आयोग का वास्तविक अभिप्राय यही था । उसमें पृष्ठ ४०८ पर कहा गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञों से बना हुआ आयोग होगा, और वह सरकार द्वारा निर्धारित कुल अनुदान की सीमा में रह कर विश्वविद्यालयों को अनुदान भी निश्चित कर सकेगा । उसमें पृष्ठ ४१० पर कहा गया था कि आयोग में पूरा समय देने वाले तीन सदस्य होने चाहिये । वहीं यह भी कहा गया था कि देश की विशालता को देखते हुए उनकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती थी । मेरा संशोधन भी इसी प्रकार का है ।

इंगलैंड में भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पहले तो केवल सभापति को ही पूरा समय देने वाला सदस्य बनाया गया था, लेकिन बाद में उसमें पूरा समय देने वाले

[श्री मेघनाद साहा]

चार-पांच सदस्य नियुक्त करने पड़े थे। और, यह काम पूरा समय देने वाले ऐसे सदस्य ही कर सकते हैं, जिनके पास उनके साथ काम करने वाले कुछ कर्मचारी हों और जो अपना पूरा ध्यान इन्हीं समस्याओं पर दें कि विभिन्न विश्वविद्यालयों की आवश्यकतायें क्या-क्या हैं, उनमें कौन से पाठ्यक्रम रखे जायें और किन विभागों को अधिक सहायता दी जाये, आदि। इस विधेयक के अनुसार जो उपकुलपति और विभिन्न स्थानों के कुछ शिक्षाविद् रखे जायेंगे वे इसमें पूरा समय नहीं दे सकेंगे। इस लिहाज से, यह विधेयक काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। फिर, कुलपति लोग अपने-अपने विश्वविद्यालयों के लिये अधिक अनुदान पाने की कोशिशें करेंगे। असल में, कार्यावलि तैयार करने वाले और उसे आयोग के समक्ष पेश करने वाले लोग पूरा समय देने वाले सदस्य होने चाहिये।

मुझे इस बात का कतई कोई भय नहीं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बनने से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी आयेगी। बीस वर्ष पहले इंगलैंड के ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों को भी यही डर था। आज उनके आय-व्ययक का ७० प्रतिशत अनुदान आयोग से मिलता है, लेकिन इस से उनकी स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वे भी इस बात पर ज़ोर देते हैं कि आयोग में पूरा समय देने वाले अपने विषयों के विशेषज्ञ ही कार्यावलि तैयार करें। वहां का अनुदान आयोग विभिन्न विषयों का गहराई से अध्ययन करने के बाद ही पूरे राष्ट्र के हित में ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठयक्रम निश्चित करता है। वे सदा पूरे देश के हित को सामने रख कर चलते हैं।

सभा का अधिक समय न लेकर, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें परस्पर लम्बी बहसों और विभिन्न देशों के अनुदान आयोगों के विधानों के अध्ययन के आधार पर ही की गई थीं। और, हम छः वर्षों से इस विधेयक की राह देख रहे थे। इसलिये, यदि इस विधेयक को कारगर बनाना है तो शिक्षा-मंत्री को मेरा संशोधन मान लेना चाहिये। इस के बिना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के काम में बड़ी-बड़ी खामियां रह जायेंगी।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : क्या मैं जान सकता हूं कि इंगलैंड के आयोग में कितने उपकुलपति शामिल हैं ?

सभापति महोदय : श्री चेट्टियार ने बताया है कि उसमें एक भी उपकुलपति नहीं है। उन्हें आयोग में शामिल होने पर अपने पद से स्तीफा देना पड़ता है।

श्री जयपाल सिंह (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : क्या माननीय सदस्य इस से भी सहमत हैं कि उपकुलपति को भी पूरा समय देना चाहिये ? तब आयोग के सभी सदस्य पूरा समय देने वाले क्यों न हों ?

श्री मेघनाद साहा : मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में आने वाले सभी उपकुलपति अपने पदों से स्तीफा देकर ही इसमें शामिल हों।

श्री जयपाल सिंह : क्या विश्वविद्यालयों में उपकुलपति पूरा समय देने वाले होते हैं ?

सभापति महोदय : हां।

श्री बंसीलाल : जिस रूप में यह बिल जाइंट सिलेक्ट कमेटी से इस सभा में आया है उसकी उपयोगिता से कोई भी इंकार नहीं कर सकता। मेरा इस बारे में केवल यही निवेदन है कि जिस मेहनत के साथ यह बिल तैयार किया गया है उतना ध्यान इसके व्यावहारिक पहलू की ओर नहीं दिया गया है। जब तक किसी बिल का जनता में और सम्बन्धित क्षेत्रों में स्वागत नहीं होता, तब तक उसकी कामयाबी में शक रहता है। इस बिल के बारे में जो कुछ इस सभा में हो रहा

है उसको यूनीवर्सिटियां बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रही हैं । मेरा ऐसा ख्याल है कि इस बिल पर विचार करते समय दो कठिनाइयां सामने आती हैं । एक तो यह है कि कमीशन का कंट्रोल किस प्रकार का होगा और किस तरह से वह बनायी जायेगी और दूसरी यह कि उसके फंड्स कैसे एकत्र होंगे । स्पष्ट है कि जब तक फंड्स नहीं होंगे तब तक कमीशन का कोई मकसद ही नहीं हो सकता । फंड्स के बारे में, यह व्यवस्था की गयी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें कंट्रीब्यूशन देंगी । मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि कमीशन के बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि उसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी हो । इस कमीशन में ९ आदमी होंगे, तीन वाइस चांसलर, दो सरकारी मुलाजिम और पांच विशेषज्ञ । लेकिन, जब तक इस कमीशन में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक इसमें स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आयेगा और इसका नतीजा यह होगा कि बहुत सी यूनीवर्सिटीज जिनको इस कमीशन के बनने से फायदा होना चाहिए उनको फायदा नहीं होगा । जहां तक इसके कम्पोजीशन का ताल्लुक है, जैसा अभी मेरे एक मित्र ने कहा, इसमें तीन वाइस चांसलर होंगे और इन वाइस चांसलरों की पसन्दगी भी सरकार के हाथ में होंगी । यह अच्छा होता कि जहां तक वाइस चांसलरो का ताल्लुक है हमारी विभिन्न यूनीवर्सिटियों को और उनके वाइस चांसलरों को यह मौका दिया जाता कि वे अपने नुमायन्दे चुन कर भेजते क्योंकि हर एक यूनीवर्सिटी की अपनी अपनी अहमियत होती है और हर एक अलग-अलग विषयों में दिचलस्पी लेती है । कुछ यूनीवर्सिटीज सेंट्रल यूनीवर्सिटीज़ हैं और कुछ स्टेट्स की यूनीवर्सिटीज़ हैं और इन यूनीवर्सिटीज का पैसा किसी खास मद में खर्च होता है । केवल तीन वाइस चांसलर जो कि गवर्नमेंट की पसन्द पर इस कमीशन पर बैठेंगे वे बाकी यूनीवर्सिटीज़ की इच्छाओं और महत्वाकांक्षों को पूरा नहीं कर सकेंगे ।

जहां तक सैक्शन १६ का ताल्लुक है, फंड्स का, इस कमीशन का मकसद यह है कि जो पैसा कमीशन के पास हो उसको वह यूनीवर्सिटीज में बांट दे । इस पैसे को बांटने में, अगर इस कमीशन का कम्पोजीशन ठीक नहीं हुआ तो, सरकार के सामने बहुत कठिनाइयां आयेंगी । जिस तरह से इस कमीशन का कम्पोजीशन है उसको तो कमीशन कहना ही ग़लत होगा । यह तो एक प्रकार का एडवाइजरी बाडी है, जिसको कि गवर्नमेंट बना रही है । मुझे इस सभा को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि एक जमाना था, जो कि बहुत दूर का नहीं है, जब कि इस देश में शिक्षा पर सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता था । शिक्षा बिल्कुल स्वतन्त्र थी । जब से हमारे देश में विदेशी शासन आया, तब से धीरे-धीरे शिक्षा पर काफी नियंत्रण होता गया । आज यूनीवर्सिटीज़ के बारे में हमारे लोगों का जो मत है वह स्पष्ट है । आज हमारे देश के लोगों को जो आशायें इन यूनीवर्सिटीज़ से हैं वे पूरी नहीं हो रही हैं । और यह स्वाभाविक है कि जब कोई मामला यूनीवर्सिटीज़ के बारे में इस सभा में आता है तो लोगों को उसके बारे में बड़ी दिलचस्पी होती है ।

मुझे सभा को यह भी बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि जहां तक हमारी यूनीवर्सिटी-शिक्षा का ताल्लुक़ है उसके बारे में हमारे देश के बड़े-बड़े शिक्षा शास्त्रियों ने, पंडितों ने, नेताओं ने और हमारे राष्ट्रपति जी ने अनेकों बार यह कहा है कि इस शिक्षा में संशोधन होना चाहिए। जहां तक इस बिल का ताल्लुक़ है, यह बिल पास होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है । इसको बनाने में, हमारे बहुत से शिक्षा विशेषज्ञों का हाथ रहा है । लेकिन, मैं इतना कहना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटीज़ की शिक्षा के सुधार के बारे में जितनी दिलचस्पी की आशा की जाती थी उतनी इस बिल से प्रकट नहीं होती है । उसके लिए इस बिल में उतना स्कोप नहीं है जितनी कि इससे आशा की जाती थी । इस

[श्री बंशीलाल]

बिल को बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। अच्छा होता यदि इस में इस विषय की भी कुछ बात होती। इसका सिर्फ इतना सा मकसद है कि कमीशन के पास जो पैसा हो उसको वह यूनीवर्सिटीज में बांट दे। तो, मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को इस कमीशन के कम्पोजीशन के बारे में अवश्य ही पुनर्विचार करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इसमें स्टेट्स का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि स्टेट्स को इसमें दिलचस्पी हो। कमीशन स्टेट्स को केवल राय दे सकती है कि वे इस कमीशन को फंड्स दें। ऐसा कोई कानून नहीं है कि स्टेट्स को पैसा देने के लिए मजबूर किया जा सके। हमारी यूनीवर्सिटीज़ आटोनोमस बाडीज़ हैं। जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा कि कमीशन जो उनको पैसा देगा तो यूनीवर्सिटीज़ यह देखेंगी कि उनको कितना पैसा मिलता है और किस हद तक उनकी आटोनोमी में फर्क पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कमीशन के कम्पोजीशन के प्रश्न पर और उसके फंड्स को कंसालीडेट करने के प्रश्न पर सरकार को खास तौर से ध्यान देना चाहिये।

मैं एक बात की ओर और भी ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है सैक्शन ३। सेक्शन २ एफ० में यूनीवर्सिटी की परिभाषा दी हुई है और सैक्शन ३ में सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वह चाहें तो किसी और संस्था को भी यूनीवर्सिटी की परिभाषा में ले सकती है। इसमें दिया है: "यूनीवर्सिटी के इलावा उच्च शिक्षा की कोई भी संस्था....।" लेकिन, इस बिल में कहीं भी हायर एजूकेशन की परिभाषा नहीं की गयी है। अभी मेरे मित्र चेट्टियार साहब ने इस बात को बताया कि हायर एजूकेशन की परिभाषा न की जाय और उसको खुला रखा जाय ताकि जैसा मौका हो गवर्नमेंट उसके अनुसार कार्य कर सके। लेकिन, जब हम किसी संस्था के रिकागनीशन के लिए कानून बना रहे हैं तो इस बात की स्पष्ट तौर से परिभाषा दी जानी चाहिए कि हायर एजूकेशन क्या है, ताकि मालूम हो कि बिल बनाने वालों का हायर एजूकेशन से क्या मंशा है। अगर यह नहीं किया जायगा तो सरकार के सामने बहुत सी दिक्कतें आयेंगी। अनेकों स्थानों संस्थाओं के आवेदन पत्र आवेंगे और उनके बारे में निर्णय करना कठिन होगा। यह ठीक है कि इस बिल में आगे एक धारा में यह कहा गया है कि वे संस्थायें ऐसी हों जो कि नेशनल परपज़ को सर्व करती हों। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर कह देना चाहता हूं कि यदि सरकार चाहती है कि यह बिल क़ानून बनने के बाद सफल हो, तो उसको सम्बन्धित लोगों में, आम जनता में और यूनीवर्सिटीज़ में ज्यादा से ज्यादा कानफिडेंस पैदा करना चाहिए, क्योंकि इसी पर इसकी सफलता निर्भर करती है।

जब तक वह नहीं होगा तब तक अनेकों कमीशन केवल बन कर रह जाते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा यह पहला प्रयास है और साथ ही इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हमारी यूनीवर्सिटीज़ की अनेकों कठिनाइयां हैं, आर्थिक कठिनाइयां भी स्पष्ट हैं। वे यूनीवर्सिटियां जो स्टेट्स में काम करती हैं, उनकी कठिनाइयां तो और भी बढ़ी हैं और बिना फंड्स के उनका जो प्रोग्राम होता है, उसको वे चालू नहीं कर पाती हैं। आशा है कि इस कमीशन के क़ायम होने से उनकी कुछ कठिनाइयां हल होंगी और साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशलाइज़ करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट निकलते हैं और उनको काम नहीं मिलता है और बेकारी फैलने से देश में अशान्ति पैदा होती है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ भी पैसा इस कमीशन के ज़रिए से यूनि-

वर्सिटीज़ को दिया जाय, उसमें विशेष ध्यान इस बात पर रक्खा जाय कि हर एक यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में मौजूद है वह अलग-अलग क्षेत्र में विशेषज्ञ बने, ताकि हमारे देश में जो टेकनिकल एजूकेशन की कमी है, वह पूरी हो सके, चाहे मेडिसिन को ले लीजिये, और चाहे किसी और प्रकार की एजूकेशन को ले लीजिये, ग्रान्ट्स देते समय, कमीशन को इस बात का विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि वे यूनिवर्सिटियां इस कमी को पूरा करती हैं कि नहीं, यह कमीशन को मेरा सुझाव है। यह आगे की बात है। इस सम्बध में, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कमीशन के कम्पोजीशन पर सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्पष्ट है कि तीन वाइसचांसलर्स सरकार की पसन्द के होंगे, वाइसचांसलर स्टेट्स से भी आते हैं और कई स्टेट्स ऐसी हैं कि जहां केवल एक यूनिवर्सिटी है। यू० पी० आदि में कई यूनिवर्सिटियां काम करती हैं। एक स्टेट में जहां केवल एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की अपनी दिक्कतें हैं। तीन वाइसचांसलर दो गवर्नमेंट के कर्मचारी और चार-पांच विशेषज्ञ, इस प्रकार का कम्पोजीशन मेरा ऐसा ख़याल है कि जिस आशा को लेकर यह कमीशन कायम किया गया है, वह आशा सफल नहीं होगी और मेरा ख़याल है कि जिस मंशा से सेलेक्ट कमेटी ने इतनी मेहनत करके इस बिल को रक्खा है वह भी पूरी नहीं होगी। आख़िर जैसा एक मित्र ने कहा कि कहा कि ख़ाली एक बिल को पेश हो जाने से या उसका कानून बन जाना काफी नहीं है, देखना तो यह है कि उस क़ानून के बारे में जनता का उत्साह किस प्रकार का होगा, सम्बन्धित लोगों का उत्साह होगा और कितनी हद तक सम्बन्धित लोग उस क़ानून को सफल बनाने में सहयोग देंगे इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। बस यही चन्द एक शब्द मुझे इस बारे में कहने थे।

श्री टेकचन्द (अम्बाला शिमला) : मैं इस विधेयक की कुछ ही बातों का समर्थन करता हूं। यह इसलिये कि यह समस्या इतनी पेचीदा है कि इस प्रकार का आयोग उसे सुलझाने में असमर्थ रहेगा।

मेरा विचार है कि इस आयोग के हाथ में और अधिक सत्ता देनी चाहिये जिससे कि वह बुराइयों को दूर करके उचित शिक्षा के लिये उचित योजनाओं को चालू करने में समर्थ हो सके। इस विधेयक के अन्तर्गत बनने वाले आयोग को वह सत्ता नहीं दी गई है। विदेशों के विश्वविद्यालयों की तुलना में, हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है, और दिन प्रतिदिन नीचा ही होता चला जा रहा है। यह इसलिये नहीं कि हमारे यहां की बुद्धि का स्तर नीचा है, या हम पेचीदा समस्याओं को सुलझा नहीं सकते। यह इसलिये है कि हमारे यहां के शिक्षक बिल्कुल "गये बीते" हैं। हमारे यहां उचित प्रकार के शिक्षक हैं ही नहीं। हमारे यहीं के शिक्षक इस योग्य नहीं कि उन्हें शिक्षण संस्थाओं के पास भी फटकने दिया जाये। उचित प्रकार की शिक्षा के प्रचार के लिये यह जाना जरूरी है कि बुराई की जड़ विश्वविद्यालययों में है, या उनके शिक्षकों में।

मैं विश्वविद्यालयों की स्वायतता और स्वतन्त्रता बनाये रखने का क़ायल नहीं हूं। कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय या ऐसी सीनेट नहीं है, जहां भद्दे क़िस्म की गुटबन्दियां षड्यन्त्र पदों के लिये झगड़े न होते हों और अपने किये हुए संग्रहों को पाठ्य पुस्तकें बनवाने के लिये छीना झपटी का बाज़ार गर्म न होता हो।

ऐसी भयंकर चीजें चल रही हैं जो कि शैक्षणिक संस्थाओं के निकट नहीं होनी चाहिए, मैं चाहता हूं कि इस आयोग को उन्हें समाप्त करने की शक्ति प्राप्त हो।

अस्तु, इस विधेयक से मुझे जो असन्तोष है इस बात का नहीं है कि उसमें क्या क्या है

[श्री टेकचन्द]

वरन् इस बात का है कि उसमें क्या कमी है। इससे हमारी शैक्षणिक संस्थाओं की समस्त बुराइयां दूर नहीं की जा सकतीं।

किसी भी विषय को ले लीजिए। एक बार मैंने एक भारतीय विश्वविद्यालय के संस्कृत के पाठ्यक्रम की तुलना आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से की तो मुझे ज्ञात हुआ कि आक्सफोर्ड का पाठ्यक्रम अधिक व्यापक एवं उच्च स्तर का है। हमारे विश्व-विद्यालयों में प्रायः हर विषय का स्तर ऊपरी है। ऐसी स्थिति में प्रश्न यह है कि हमें न केवल नए विषयों के सम्बन्ध में सोचना है वरन् विश्व-विद्यालयों में अध्यापन के स्तर को भी ऊंचा उठाना है। विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इतनी समस्यायें हैं कि उनका निर्देश भर किया जा सकता है।

जहां तक अनुशासन का सम्बन्ध है, हमारे विश्वविद्यालय नितान्त असफल रहे हैं--वे विश्वविद्यालय भी जिनके प्रबन्धकर्त्ता बड़े बड़े महारथी हैं। पश्चिमी देशों के किसी भी विश्वविद्यालय में हड़ताल आदि की कोई घटना का मुझे स्मरण नहीं जबकि हमारे कालिजों विश्वविद्यालयों में ऐसी घटनायें नित्य प्रति होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में हमें अध्यापक वर्ग में दृढ़ चरित्र के व्यक्ति रखने होंगे जो विद्यार्थियों के समक्ष उदाहरण उपस्थित कर सकें। इसलिए यदि आयोग में एक ही प्रकार के व्यक्ति रख दिए जायेंगे तो मुझे भय है कि वह उस थोड़े सी आशा को भी पूरा नहीं कर सकेगा जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है।

आयोग की रचना के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि क्या उसमें ऐसी योग्यता के व्यक्ति रखे गए हैं जो राष्ट्र का उचित पथ-प्रदर्शन कर सकें। आप विधेयक में एक पूर्ण-कालिक सभापति का प्रावधान कर रहे हैं।

मैं यह नहीं चाहता कि इस आयोग की रचना संयुक्त स्कन्ध समवाय के संचालकों के समान हो जो समय समय पर वार्तालाप करने के लिए एकत्र होते हैं। यदि आप सोचते हैं कि नौ की संख्या अधिक है तो आप संख्या कम कर सकते हैं परन्तु आपको चाहिए कि ऐसे व्यक्ति नियुक्त करें जो शिक्षा के क्षेत्र में रत्न तुल्य हों और अपने कार्य में पूरा समय लगा सकें। यह ऐसा कार्य नहीं है जो कभी-कभी मिलकर बैठने से किया जा सके। यह पूर्णकालिका कार्य है जिसके लिए चाहे आप कम ही व्यक्ति रखें किन्तु वे योग्य होने चाहिएं जो इस विषय पर सम्पूर्ण ध्यान लगा सकें। अस्तु, मेरे विचार से इस आयोग में पूर्वकालिक व्यक्ति रखे जाने चाहिएं।

विधेयक में हमारी प्रादेशिक भाषाओं ही की उपेक्षा नहीं की गई है वरन् विदेशी भाषाओं के अध्ययन की उपेक्षा भी की गई है। यदि आप जर्मन या फ्रेंच को निकाल देते हैं तो कोई बात नहीं। यदि योग्य अध्यापक नहीं मिलते तो आप इन भाषाओं को न पढ़ायें। परन्तु यह आपत्तिजनक बात है कि आप ऐसे व्यक्तियों को इन्टर, बी० ए० आदि की उपाधि दे दें जो इन भाषाओं के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते।

मैं और एक विषय के सम्बन्ध में इस सभा का ध्यान आकर्षित करूंगा। हाल ही में इंगलैंड में एसक्विथ आयोग ने आक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धतियों के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं। उसने कुछ विषयों के अध्यापन पर विशेष ज़ोर दिया था चूंकि वे नए विषय हैं जैसे आस्त्रक्षेपिकी, ऋतुविज्ञान, विमान उड्डयन, ध्वनिमूलान्वेषण ह्रस्व तरंग अध्ययन, अरेखीय सभीकार, प्रतिकारी यन्त्रशास्त्र, भैषजिक-उपकरण, अणु शक्ति, क्ष-रश्मि, भौतिक शास्त्र, आदि जिन्हें हमारे विश्वविद्यालयों में प्रायः कोई जानता तक नहीं है। ग्रामीण विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में इन विषयों की सिफारिश की गई है मिट्टी सुधार यन्त्रशास्त्र, जल नियन्त्रण शास्त्र, खाद्य विधायन, ग्रामीण कलायें तथा

कलाकौशल, खनिज विधायन आदि । ये नए विषय हैं किन्तु महत्वपूर्ण हैं । अस्तु कुछ विद्यालयों में उनके अध्यापन का श्रीगणेश किया जाना चाहिए ।

विधेयक के कतिपय पहलुओं के सम्बन्ध में मैं खण्ड १२ का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा । इस खण्ड के प्रावधान अस्पष्ट एवं अपर्याप्त हैं । उदाहरणार्थ खण्ड १२ (ग) में कहा गया है कि आयोग विश्वविद्यालयों को कुछ बातों पर परामर्श देगा । फिर उपखण्ड (६) में आयोग को सूचना इकट्ठा करने की शक्ति दी गई है । परन्तु वह उसका प्रचार तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह मांगी न जाय क्योंकि उपखण्ड की भाषा इस प्रकार है कि "उस सूचना को वह तब उपलब्ध करेगा जब वह मांगी जाय ।" अर्थात्, वह सूचना इकट्ठा तो करेगा किन्तु उसका प्रचार नहीं करेगा ।

फिर, जो शक्तियां आयोग को दी गई हैं वे सारतः कुछ भी नहीं । आयोग अपनी सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत नहीं करा सकेगा क्योंकि उसका रूप सलाहकारी मात्र है । मैं चाहता हूं कि आयोग को सर्वांगीण शक्तियां प्राप्त होनी चाहिये तभी वह प्रभावपूर्ण हो सकेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । यद्यपि यह एक छोटा-सा कदम उठाया गया है किन्तु यह प्रगति की ओर है । मैं शिक्षा मंत्रालय से पूछना चाहता हूं कि वह भारतवासियों की समस्त शिक्षा अपने हाथ में क्यों नहीं लेता ? नाममात्र के लिए शिक्षा को राज्य सरकारों के हाथ में क्यों छोड़ दिया गया है जबकि वास्तव में संचालन वह स्वयं करता है ? यदि आप शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन देखें तो आप अनेक समितियों के नाम पायेंगे जैसे बेसिक शिक्षा समिति, ग्रामीण शिक्षा परिषद्, प्रौद्योगिक शिक्षा समिति, आदि, आदि । ये सब किस लिए हैं ? जब राज्य सरकारों को आपके परामर्श की आवश्यकता है और आप अप्रत्यक्ष रूप से इतना नियंत्रण करते हैं तो शिक्षा का समस्त प्रबन्ध स्वयं अपने हाथ में ही क्यों नहीं ले लेते ?

मैंने अनेक देशों के इतिहास पढ़े हैं । उनसे ज्ञात होता है कि किसी भी देश के भाग्य निर्माण में शिक्षा का प्रथम स्थान होता है । जिस समय हिटलर इंगलैंड पर बम बरसा रहा था उस समय भी वहां (बटलर) शिक्षा अधिनियम पास किया गया । परन्तु हमारी क्या स्थिति है ? हम शिक्षा के साथ खिलवाड़ मात्र कर रहे हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक हमारे सामने है । ये विश्वविद्यालय क्या हैं ? कुछ विश्वविद्यालय तो केन्द्र के प्रत्यक्ष नियन्त्रण में हैं, जिन्हें मैं "प्रियपात्र" कहूंगा । फिर लखनऊ तथा इलाहाबाद जैसे एकात्मक विश्वविद्यालय हैं ? शेष समस्त विश्वविद्यालय सम्बद्ध हैं । उन विश्वविद्यालयों को इस विधेयक से क्या आशा हो सकती है ? अधिकांश धन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को चला जायगा; शेष अंगीभूत (एकात्मक) विश्वविद्यालयों को और जो बच जायगा वह भिखारियों को दिए गए दान की तरह सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को दे दिया जायगा । यही होने जा रहा है । सभापति महोदय । आप भी पंजाब राज्य के हैं । हमें उस राज्य से आने का मान प्राप्त है । वहां पर कई ऐसे कालिज हैं जो घाटे पर चल रहे हैं ये निजी संस्थायें हमारे विश्वविद्यालयों की आधार हैं और उनके पास धन नहीं है । इस विधेयक में सम्बद्ध कालिजों के विषय में कोई उपबन्ध नहीं है । अन्ततोगत्वा, इन सम्बद्ध कालिजों की संख्या सबसे अधिक है इस विधेयक से बहुसंख्यक कालिजों को जो विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं कोई आशा दिखाई नहीं देती ।

अब मैं अध्यापकों के विषय पर कुछ कहूंगा । निःसन्देह, कोई व्यक्ति अध्यापकों के विषय में कुछ भी कह सकता है । यह संसद् विचार करने का स्थान है ; आप अध्यापकों

[श्री डी० सी० शर्मा]

पर जितने आरोप चाहें लगा सकते हैं। मैं विश्वविद्यालयों में और दूसरे अध्यापकों के सम्पर्क में रहा हूं। शिक्षा मंत्रालय में कुछ व्यक्ति अध्यापकों की समस्याओं के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। परन्तु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक को पारित करके आप विश्वविद्यालय के अध्यापकों और सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों को क्या आशा दे रहे हैं?

लोग विद्यार्थियों में अनुशासन न होने के सम्बन्ध में बातें करते हैं। यदि आधी दर्जन विद्यार्थी अच्छी तरह बर्ताव न करें तो इस का अर्थ यह नहीं कि सब विद्यार्थी बुरे हैं।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

आप सब विद्यार्थियों को एक ही नाम से नहीं पुकार सकते। यदि कुछ व्यक्ति जेल में हैं तो हम यह नहीं कहते कि सब भारतवासी अपराधी हैं।। यदि कुछ विद्यार्थी हमारे अनुशासन स्तर तक नहीं आते तो इसका अर्थ यह नहीं कि सब विद्यार्थी गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। जब आप विद्यार्थियों पर आरोप लगाते हैं कि उनमें अनुशासन नहीं है, जब आप अनुशासन के कारणों पर विचार करने के लिए अध्ययन गोष्ठियां कर रहे हैं, क्या आपने कभी इस अनानुशासन के कारण का पता लगाया है? मेरे माननीय मित्र श्री श्यामनन्दन ने जो भारत के एक विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध उपकुलपति हैं, आप को बताया है कि विद्यार्थियों के लिए क्रीड़ास्थल नहीं है। परन्तु उन्हें यह नहीं पता कि कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां क्रीड़ास्थलों की तो बात ही क्या, विद्यार्थी पुस्तकें और कापियें नहीं खरीद सकते। हम ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बातें करते हैं। ऑक्सफोर्ड में ऐसे विद्यार्थी हैं। जिन्हें सहायता दी जाती है। मुझे किसी ने बताया था कि ऑक्सफोर्ड में ८०प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें सहायता दी जाती है। उन्हें अपनी शिक्षा का जारी रखने के लिये सरकार की ओर से धन मिलता है। इस विधेयक में ऐसी किसी वस्तु के लिए कोई प्रावधान नहीं है। आप को इस विधेयक में यह उपबंध करना था कि हम विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों और दूसरी ऐसी संस्थाओं को अनुदान देंगे। कल मेरे माननीय मित्र डा० एम० एम० दास ने कहा कि हमने परामर्श समिति बना दिया है। मैं उससे सहमत हूं। अतः मैं कहता हूं कि इसे आयोग क्यों कहा जाए? इसलिये जब नियम बनाए जाएं तो सम्बद्ध कालिजों और विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखना रखना चाहिए और उनके लिए कुछ चाहिए।

कई व्यक्तियों ने प्रादेशिक भाषाओं के विषय में कहा है। हम सब इन भाषाओं की उन्नति चाहते हैं। कुछ व्यक्तियों ने संस्कृत के विषय भी बातचीत की है। श्री टेकचन्द जी ने कुछ नए विषयों के बारे में कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को केवल उन्हीं विषयों के लिए अनुदान नहीं देने चाहिये जो पहले ही हैं। इसको आधुनिक और भविष्य के भारत की आवश्यकताओं के अनुसार अनुदान देने चाहिएं। हमें विज्ञान के विषयों का भी अध्ययन करना है। अनुदान बांटते समय इन विषयों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। मानवता विज्ञान भाषाओं और प्रादेशिक भाषाओं को जितना चाहें रुपया दीजिए, परन्तु इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अणुशक्ति युग में रहते हैं विज्ञान के कुछ परमावश्यक विभागोंका अध्ययन ही तो अणुशक्ति का आधार बनना है।

राष्ट्रीय उद्देश्यों पर बहुत कुछ कहा गया है। कई लोगों को राष्ट्रीय उद्देश्यों का अर्थ नहीं समझ में आता। राष्ट्रीय उद्देश्यों का अर्थ केवल एक ही है और वह यह है कि जहां कहीं प्रादेशिकता और राष्ट्रीय हितों में संघर्ष हो, वहां हमारे राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता मिलेगी।

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद): राष्ट्रीय हितों की आप क्या परिभाषा करते हैं

श्री डी० सी० शर्मा : अपने राष्ट्र के गुप्त ज्ञान की वृद्धि करना अपने राष्ट्र के गुप्त निर्णय को बढ़ाना और अपने राष्ट्र के विज्ञान की वृद्धि राष्ट्रीय उद्देश्य के अर्थ हैं ।

आयोग के बनने के बारे में मेरे एक मित्र ने अभी कहा है कि आयोग एक विभाग का काम होगा । इसके विषय में मुझे कोई सन्देह नहीं है । इसका सभापति समय-समय काम करने वाला नहीं होना चाहिए । उपकुलपति आएंगे और चले जाएंगे । प्राय: उनके लिए एक-दूसरे से मिलना बड़ा कठिन होगा । ये पांच पारंगत व्यक्ति जिनका नाम निर्देशन किया जाएगा, बीसियों और समितियों के सदस्य होंगे । इस आयोग में प्रगतिशील और सांस्कृतिक विचारों वाले व्यक्ति, जिन के हृदयों में राष्ट्रहितों के लिए विशेष स्थान है और जो जैसा कि श्री टेकचन्द ने कहा है, समग्र समय के लिए काम करने वाले हों, होने चाहिएं । इस आयोग में पूर्ण समय के लिए काम करने वाले कुछ व्यक्ति होने चाहिएं । इस आयोग की सहायता के लिए बहुत से व्यक्ति होने चाहिएं जिन्हें परामर्श संस्था कहा जा सकता है । योजना आयोग में विशेषज्ञों की बहुत सी तालिकाएं हैं । इसी तरह इस आयोग में भी औषधि, यन्त्रशास्त्र, मानवता विज्ञान प्रादेशिक भाषाओं, संस्कृत इत्यादि के विशेषज्ञों की तालिकाएं होनी चाहिएं ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर) : मैं बड़े हर्ष के साथ इस विधेयक का समर्थन करती हूं । इस विधेयक का उद्देश्य हमारी जनता को उचित ढंग की शिक्षा प्रदान करने में विश्वविद्यालयों की सहायता करना है ।

विश्वविद्यालयों को तीन लक्ष्यों की पूर्ति करनी होती है—ज्ञान प्रदान, गवेषणा और चरित्र निर्माण । मैं तीसरे लक्ष्य को अधिक महत्व देती हूं और इसलिये मैं अपने पूर्ववक्ता श्री टेकचन्द से सहमत हूं जिन्होंने हमारे शिक्षकों की योग्यता के बारे में शिकायत की है । अभी एक दिन डा० जाकिर हुसैन ने एक सम्मेलन के अध्यक्षपद से अध्यापकों को अधिक वेतन दिये जाने का आग्रह किया और यह भी कहा कि उनका उचित सम्मान किया जाना चाहिये । हम जानते हैं कि अभी विश्वविद्यालयों के सामने वित्तीय कठिनाइयां हैं जिनके कारण वे ऊंचे स्तर बनाये रखने में असमर्थ हैं । यदि हम उच्चतर स्तरों पर जोर देते हैं तो हमें इन संस्थाओं का समर्थन और पालन पोषण करना चाहिये । इनमें से कुछ संस्थाएं खासकर वे जो महिलाओं को लाभदायक भिन्न प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करती हैं, अभी भी अविकसित दशा में हैं और ऐसी संस्थाओं को सहायता की आवश्यकता होती है । मैं जानती हूं कि पंचवर्षीय योजना में में हमने महिलाओं के लिये अलग प्रकार की शिक्षा का कोई निश्चित निर्देश नहीं किया है किन्तु हर कोई आज देश की विशेष घटनाओं के संदर्भ में महिलाओं की शिक्षा की समस्या का महत्व और उसे सुलझाने के लिये विशेष उपायों को काम में लाने की आवश्यकता का महत्व भली भांति समझता है । यहां मैं पुन: श्री टेकचन्द का समर्थन करती हूं जबकि उन्होंने कहा कि अपने प्रतिवेदन में हमने कार्यक्रम चालू करने के बारे में कुछ नहीं कहा है । हमने आयोग के अनेक कार्यों का उल्लेख किया है किन्तु जैसा कि उन्होंने कहा एक कर्मचारीवर्ग होना चाहिये जो देश की परिस्थिति के उपयुक्त कार्यक्रम चालू करे ।

हमने खंड १२ (ग) में कहा है कि आयोग का एक कार्य यह होगा कि वह किसी भी विश्वविद्यालय को ऐसी शिक्षा में सुधार के सम्बन्ध में आवश्यक उपायों की सिफारिश करे और उस सिफारिश को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से की जाने वाली कार्यवाही के के बारे में विश्वविद्यालय को मंत्रणा दे । मंत्री महोदय से मेरी जोरदार अपील है कि कम-से-कम इस उद्देश्य के लिये हमें एक महिला को आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित करना चाहिये । खंड ५ के अधीन ९ सदस्य होंगे जिनमें

[श्रीमती जयश्री]

हम आशा कर हैं कि कम से कम एक महिला शिक्षा विज्ञ शामिल की जायगी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है यद्यपि पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा की समस्याएं एक सी हैं, फिर भी वर्तमान परिस्थितियों में महिलाओं के लिये भिन्न प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है ।

ऐसे कालेज और विश्वविद्याल बहुत कम हैं जो इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं । उदाहरणार्थ, दिल्ली में लेडी इर्विन कालेज है जहां लड़कियों को गृह-विज्ञान बाल पालन-पोषण गृह-प्रबन्ध तथा अन्य उपयोगी विषयों की शिक्षा दी जाती है । उसी प्रकार बड़ौदा विश्व विद्यालय एक गृह-विज्ञान संस्था है और बम्बई में विशेषकर महिलाओं के लिये नाथूभाई दामोदर विश्वविद्यालय है जो इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा है । किन्तु इन सभी कालेजों के साथ कठिनाई यह है कि उनके पास उपयुक्त सामग्री और योग्य अध्यापक नहीं है और अन्त में वित्त की कमी है । विभिन्न विषयों के लिये योग्य अध्यापकों को वेतन देने और स्थान उपबन्ध करने के लिये हमारे पास निधियों का अभाव है । इसीलिये माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि वे आयोग में कम से कम एक महिला सदस्य अवश्य रखें जो महिलाओं की समस्या को समझे और महिला संस्थाओं का निरीक्षण और उनका कार्य संचालन कर सकें अतः मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री इस समबन्ध में में रखे गये मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे । अन्त में मैं इस विधेयक का पूर्ण रुप से समर्थन करती हूं ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है । यद्यपि विधेयक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी जहां तक मैं समझ सकता हूं वह यह है कि ऐसे लोगों का एक समूह बनाया जाय जो विश्वविद्यालयों को मार्ग दर्शन करायें और उन्हें बताये कि सर्व प्रथम किन बातों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, आज किस ढ़ंग की शिक्षा आवश्यक है और विभिन्न कार्यों के लिये कितना धन उपलब्ध है । अतः मेरी समझ से इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में प्राथमिकताएं निर्धारित करना है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विश्वद्यिालयीन प्रशासन पूर्ण रूप से रूढ़िवादी है और वे सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तनों के अनुरूप शिक्षा के ढ़ंग और संगठन में उतना शीघ्र परिवर्तन नहीं करते । अतः यह सरकार का काम है कि यह उन का ध्यान इस ओर आकर्षित करे और उन्हें बताये कि देश को आज किन बातों की आवश्यकता है । कुछ राज्यों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये लक्ष्य निर्धारित करते समय आवश्यक कर्मचारिवर्ग के प्रशिक्षण के लिये कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किये । अतः उन्हें उस बारे में याद दिलाने की जरूरत है और यहीं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की की आवश्यकता उत्पन्न होती है ? मेरे विचार से उस आयोग के पीछे यही कल्पना है ।

इंगलैंड में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वहां के शिथा विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं होता ? खजाने के साह उस का प्रथक्षि व्यवहार होता है । उस के आयव्ययक पांच वर्ष कीं अवधि के लिये तैयार किये जाते हैं । जिस से विश्वविद्यालयों को भी पांच वर्ष की अवधि के लिये अपने कार्यक्रम बनाने का समय मिल जाता है । फिर वहां सरकारी लेखा-परीक्षा नहीं होतीं जैसे कि हमारे देश में उस के लिये व्यवस्था की गई है । उनके आयोग की रचना भी हम से भिन्न है । उन के आयोग में उपक्कुलपति नहीं होते; उस के अधिकतर सदस्य क्रियाशील अध्यापक होते हैं जो पूरे समय काम करते हैं । मैं नहीं समझ पाता कि थोड़े समय काम करने वाले व्यक्तियों को रखने के लिये क्यों कहा जाता है ।

के सदस्यों को बहुत काम करना होता है और पूरा उत्तरदायित्व संभालना होता है। मैं नहीं समझता कि अधिक कार्य कुशलता प्राप्त करने के लिये कुछ अधिक रुपये खर्च करने में क्यों कंजूसी की जाती है। हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में पूरे समय काम करने वाले व्यक्ति हों जो सम्पूर्ण समस्या का पूरा पूरा अध्ययन कर सकें। इंगलैंड में आयोग में लगभग १६ सदस्य हैं। श्री एच० एन० मुखर्जी यहां के आयोग में एक और सदस्य रखना चाहते थे। आप एक या दो अधिक सदस्य रख सकते हैं। किन्तु मुझे यह कहना है कि उन्हें एक निश्चित कार्य पूरा करना है। अतः थोड़े समय काम करने वाले लोग सारा काम पूरा नहीं कर सकते। यदि ऐसे लोग नियुक्त किये जायेंगे तो सारा काम नौकरशाही के हाथ में चला जायगा। यहां प्रत्येक विभाग में नौकरशाही का जोर है और वह वस्तुस्थिति में बदलफेर की ओर कोई ध्यान नहीं देती। हमें एक ओर शैक्षणिक आदर्श और दूसरी ओर वस्तुस्थिति को तीव्र आवश्यकताओं में एक प्रकार का समन्वय करना है।

चीन में ऐसा समन्वय कार्यान्वित किया गया है। मेरे विचार से वह हमारे लिये एक अच्छा आदर्श है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यहां निर्धारित करें कि सबसे शीघ्र आवश्यकता किस बाती की है, और किन-किन बातों को और किस प्रकार प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके लिये इस विषय में उसे पूरी शक्तियां मिलनी चाहियें। मैंने कई बार कहा है कि भारत में आयोजन आयोग को भी केवल सिफारिश करने की शक्तियां हैं, उसे अब तक पूरी पूरी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। यह बिल्कुल व्यर्थ सी बात है। अब वह समय आ चुका है और उन्हें पूर्ण शक्तियां प्राप्त होनी चाहियें और उन्हें पूरा-पूरा उत्तरदायित्व संभालना चाहिये।

मेरी शिकायत यह है कि न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन में नौकरशाही व्यवस्था है बल्कि जहां तक मुझे मालूम है, मंत्रालयों में और अधिक हद तक नौकरशाही व्यवस्था है। वे इस बात को नहीं समझ पाते कि वस्तुस्थिति समझने के उदारवादिता अत्यन्त आवश्यक हैं। मैं स्वतः शैक्षणिक आदर्श चाहता हूं किन्तु उसके लिये मैं देश की वर्तमान आवश्यकताओं की उपेक्षा करने के लिये तैयार नहीं हूं। हम देश की वास्तविक स्थिति की ओर ध्यान दें। हजारों नौजवानों को काम चाहिये। किन्तु हजारों नौजवानों को काम नहीं सिखाया जा रहा है। अगले तीन वर्षों में हजारों नवयुवक ग्रामीण और प्राविधिक नये ढंग की शिक्षा के लिये आवश्यक होंगे। आज कोई विश्वविद्यालय उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अतः हमें आयोग को यह बताना है कि वह उसके लिये रास्ते ढंढ निकाल जिसके लिये हम उसे धन देंगे। आज देश को निश्चित योजना की आवश्यकता है और मैं भी वही चाहता हूं। मैं पूरे समय का काम करने वाले सदस्यों से बने आयोग का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं निश्चित अवधि के अन्दर ठोस परिणाम दिखाने के लिये उन्हें उत्तरदायी बनाया जाना चाहिये। इस समस्या के सम्बन्ध में मेरा दृष्टिकोण यही है।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर):

शारदा शारदा- म्भोज वदना वदनाम्बुजे।
सर्वदा सर्वदाऽस्माकं सन्निधिं सन्निधिक्रियात् ॥

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्ध में यह विधेयक हमारे सामने उपस्थित है। मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि यह आयोग वही तो है नहीं जिस के लिये डा० राधाकृष्णन आयोग ने मांग की थी। उनका उद्देश्य जहां तक मेरे कुछ ध्यान में आता है और जहां तक मैं समझ पाया हूं यह था कि ऐसा आयोग बनाया जावे जो देश के अन्दर से चुने हुए शिक्षा विशेषज्ञ जो कि देश की पारिस्थितियों का अनुभव रखते हों, देश की शिक्षा के आदर्शों को अनुभव

[श्री नन्द लाल शर्मा]

करते हों, ताकि वह प्रत्येक विश्वविद्यालय के शिक्षा स्तर को उठाने का प्रयत्न कर सके और उस आयोग के पास पूर्ण बल हो, पूर्ण शक्ति हो ताकि वह सभी स्तरों को ऊंचा उठाने में प्रयत्नशील हो सके। जो भी भाषण यहां पर हुए हैं और जिस तरह के विचार यहां पर व्यक्त किए गए ह और जसा कि अभी हमारे जयसूर्य साहब कह भी चुके हैं उन से यही बात निकलती है कि समय समय पर और थोड़े काल के लिए केवल मीटिंग्ज़ एटेंड (बैठकों म उपस्थित होने) करने और एलांउस (भत्तों) अपनी जेब म डाल लेने वाले व्यक्ति कभी भी यह नहीं कर सकते हैं और देश की शिक्षा को एक ओर नहीं ले जा सकते हैं।

क्षमा करें, मैं देखता हूं कि यहां पर हमारे शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद उपस्थित नहीं है और उन्होंने अपने पार्लियामेंटरी (सभा) सचिव को हमारे सामने अवश्य ही खड़ा कर दिया है और.....

डा० सरशचन्द्र : डिप्टी मिनिस्टर (उपमंत्री) साहब भी तो हैं।

श्री नंद लाल शर्मा : म यह नहीं कहता कि वह नहीं है लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि बिल जिन को सौंप दिया गया है वह डा० एम० एम० दास हैं। मुझे स्मरण है कि जब हम उन से बात करते हैं तो वह यह उत्तर देते हैं कि संसद के सम्बन्ध में जो कार्रवाई होती है वही मैं कर देता हूं और और किसी कार्य से मेरा सम्बन्ध नहीं है। मैं इस लिए निवेदन कर रहा हूं कि यूनिर्सिवर्स्टी (विश्व-विद्यालय) अनुदान आयोग के सम्बन्ध म हम जो भी अपने विचार प्रकट करते हैं उन विचारों को कार्यरूप में परिणत करने का जो अधिकार रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन करने का या संशोधन करने का अधिकार रखते ह और यह कहने का कि मैं इन इन संशोधनों को स्वीकार कर सकता हूं और इन इन को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, उन्हीं को है।

अभी प्रोफेसर डी० सी० शर्मा साहब ने संकेत किया था और मैं इस संकेत में तथ्य भी देखता हूं और वह था कि केन्द्र चाहता है कि किसी प्रकार से प्रान्त इस विषय पर अपना अधिकार जमाय। इस अधिकार के जमाने के अतिरिक्त और कोई उद्देश्य मुझे नहीं दीखता। लाभ का अगर प्रश्न होता तब तो कितने ही प्रकार के सदस्य इस आयोग में लिए जा सकते थे और आयोग के जो अधिकार हैं, कर्त्तव्य हैं वह भी इस प्रकार के कर्त्तव्यों से भिन्न प्रकार के बनाये जा सकते थे, जिससे हमारे उद्देश्य को वास्तविक लाभ पहुंच सकता। अभी हमारे सामने यह विषय उपस्थित है कि वर्त्तमान युग के अन्दर जिन विषयों की आवश्यकता है वह हैं अणु बम, आणविक शिक्षा जो उत्पादन के कार्यों में हमारी उन्नति कर सके, उसके लिए उसका कैसे प्रयोग किया जाए, और वायुयानों के निर्माण के सम्बन्ध में या कुछ किया जाना चाहिये। मैं तो और कहता हूं कि हमारे जो मैडिकल (चिकित्सा) विषय हैं, जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें आप आयुर्वेदिकपद्धति का गला घोटे रहे हैं और लोगों के आंसू पोछने के लिए आप यह कहते हैं कि आयुर्वेदिक अनु-संधान शालायें खोली गई हैं, लेकिन वास्तव में आप आयुर्वेद के ऊपर एलोपेथी को लाद रहे हैं। आप आयुर्वेद के काम को ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देने का प्रयत्न कर रहे हैं जो इसके सिद्धान्तों को जानने वाले नहीं हैं; ऐसी परिस्थिति में.....

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

विधेयक का क्षेत्र सीमित है । शिक्षा पद्धति पर सामान्य चर्चा इसके क्षेत्र में नहीं आती ।

श्री नन्द लाल शर्मा : सभापति महोदय मुझे क्षमा करें । मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयुर्वेद को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

मेरा आयुर्वेद के सम्बन्ध में भाषण देने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जहां आप और कई तरह के अनुसंधान कार्यों को अपने हाथ में ले रहे हैं, आणविक शक्ति के सम्बन्ध में अनुसन्धान कर रहे हैं, वहां पर आपको आयुर्वेदिक अनुसन्धान को भी अपने हाथ में लेना चाहिये था और उस पर विचार करना चाहिये था ।

साथ साथ मेरा यह भी विश्वास है कि हमारे बड़े-बड़े नेता कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सौभाग्य से या दुर्भाग्य से विदेशों से अपनी राष्ट्र भक्ति सीखी है । यह तो ऐसी ही बात है कि जैसे कोई इंगलैंड का व्यक्ति यदि कहे कि 'इंगलैण्ड वायु पर शासन करता है, इंगलैंड लहरों पर शासन करता है' तो उनको भी ध्यान आता है कि हमें भी कहना चाहिये कि हम भी संसार के ऊपर शासन करेंगे । इसी प्रकार से यदि कोई रूस का नेता आकर हमको हिन्दी के प्रति प्रेम सिखावे, तभी हमें अपनी राष्ट्र भाषा के प्रति प्रेम करने का आभास होता है । परन्तु स्वयं हम राष्ट्रभाषा का गला घोंटने के लिए तैयार हैं । मेरा विश्वास है कि हिन्दी और संस्कृत पढ़ाने की पद्धति भारत की वास्तविक राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है जिसको कि नेशनल परपज सर्व (राष्ट्रीय उद्देश्य सिद्ध) करन वाली पद्धति के नाम से पुकारा जा सकता है । यदि आपको नेशनल परपज़ को सर्व (राष्ट्रीय उद्देश्य सिद्ध) करना है तो आपको पूर्णतः संस्कृत और हिन्दी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना पड़ेगा, लेकिन यदि ऐसी ही प्रगति रही तो १५ वर्ष में तो क्या आप अगले ५० वर्ष में भी हिन्दी को राष्ट्रभाषा के वास्तविक स्तर पर नहीं पहुंचा सकते ।

आयोग के बारे में जो कुछ कहा गया है वह पर्याप्त है । मैं नहीं चाहता कि उस सम्बन्ध में और कुछ कहूं । परन्तु मैं इतना चाहता हूं कि इस आयोग का कार्य केवल विश्वविद्यालयों के स्वातन्त्र्य में और कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करना मात्र ही न रहे। इसका यह कार्य हो कि वह उनको नये नये मार्ग खोजने के लिए प्रोत्साहित करता रहे और हिन्दी और संस्कृत को और दूसरे राष्ट्रीय विषयों की उन्नति करने में सहायक हो ।

एक बात मैं और देखता हूं । आपने नक्षत्र-शास्त्र में यानी एस्ट्रानामी में अपने विश्वविद्यालयों में बहुत उन्नति की है । परन्तु अपने एस्ट्रालाजी यानी ज्योतिष शास्त्र की तरफ ध्यान नहीं दिया है । आपके यहां इस विषय की कुछ वैधशालायें बनी हुई हैं । आप उनके बारे में कोई अनुसंधान करने की चेष्टा नहीं करते बल्कि उनको निकम्मा समझ कर फेंक देने की चेष्टा करते हैं । मैं समझता हूं कि यह राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी घातक चीज़ होगी । इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए ।

इसके साथ-साथ एक चीज़ और ध्यान देने की है । आप भी यह अनुभव करते होंगे कि यह देश बहुत काल से धनवान नहीं रहा है । इसमें कुछ एक धनाढ्य लोग ऐसे जरूर थे जिन्होंने धार्मिक अथवा पारमार्थिक बुद्धि से कुछ शिक्षण संस्थायें खोल रखी थीं, उनको चलाते थे और उनको पूर्ण बल प्रदान करते थे । आज जब हम समाजवादी ढांचा बना रहे हैं तो सारे का सारा व्यापार और सारी की सारी शक्तियां सरकार के हाथ में केन्द्रित होती जा रही हैं । यदि इसका अर्थ दलनीकरण नहीं है तो आपको संस्कृत शिक्षणालयों के लिए और हिन्दी शिक्षणालयों के लिए, जो कि आपकी शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का ब्रह्मचर्य आश्रमों द्वारा अनुसरण कर रही हैं, सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए । उनकी

[श्री नन्द लाल शर्मा]

और आपने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है । मैं ने इस विषय में दो एक बार शिक्षा मंत्रालय को प्रश्न भी भेजे पर कोई उत्तर नहीं मिला । आज आपकी यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिल (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक) के अनुसार उन संस्थाओं की, जो साठ-साठ और सौ-सौ वर्षों से अपने स्नातकों को उपाधियां वितरित करती आयी हैं, और जिनके स्नातक सारे राष्ट्र के सामने ही नहीं बल्कि विश्व के सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं और शास्त्रार्थ में किसी को भी परास्त कर सकते हैं, आप उपाधियों देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वे आपके चरण चुम्बन नहीं कर सकतीं और बार बार आपके पास भिक्षा नहीं मांग सकतीं । इसी लिए उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया है । ये संस्थायें पिछले साठ-साठ और सौ सौ सालों से चली आ रही हैं और अपनी गोल्डन जुविलियां (स्वर्ग जयन्तियां) मना चुकी हैं उनका आप गला घोट रहे हैं । आप इस बिल में एक प्राविजन रख कर राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को सर्वदा के लिए दबाना चाहते हैं । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति आज उन लोगों के हाथ में है जो कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के बारे में बहुत कम जानते हैं यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं जानते । मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति को जीवित रखना चाहते हैं तो इस ओर ध्यान विशेष रुप से दें और हिन्दी और संस्कृति की जो शिक्षा प्रणाली है उस की रक्षा करें और जो ऐसी संस्थायें हैं जिन्होंने वास्तव में इस दिशा में देश की सेवा की है उनकी मारने की चेष्टा न करें और हो सके तो उनकी सहायता दें ।

श्री बी० बी० गांधी (बम्बई नगर उत्तर) संयुक्त समिति ने विधेयक में काफी सुधार कर दिया है । ध्यान देने की बात है कि संयुक्त समिति ने जो भी परिवर्तन किये हैं वह सभी विश्वविद्यालयों के पक्ष में हैं । इन सुधारों से विश्वविद्यालय आयोग के अधिकार भी सीमित कर दिये गये हैं और उनको विश्वविद्यालयों के मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा । मूल विधेयक में संयुक्त समिति ने जो परिवर्तन किये हैं उन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है । इस प्रकार अब विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता और उनके सम्मान को काफी सुरक्षा मिल जायेगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों का संबन्ध एक विधान पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि उनके लिए एक उन्नत प्रकार की परम्परा का निर्माण होना चाहिये ।

मैं संयुक्त समिति द्वारा किये गये केवल दो सुधारों का वर्णन करूंगा । खण्ड २ (च) और खण्ड ५ के सम्बन्ध में खण्ड २ (च) विश्वविद्यालयों की परिभाषा से सम्बन्धित है । संयुक्त समिति की सिफारिश के अनुसार बहुत से बड़े बड़े सम्बन्धित विद्यालयों को आयोग से अनुदान मिलने लगेगा फिर भी ऐसे बहुत से विद्यालय हैं जिन्हें इसमे सम्मिलित नहीं किया गया है । सरकार को इन विद्यालयों का भी ध्यान रखना चाहिए ।

निश्चिय ही यह कहा जा सकता है कि आयोग के संसाधन बहुत अपर्याप्त हैं पर जैसा कि हमने देखा है कि गत वर्षों में उसके संसाधन बढ़ते रहे हैं हमे आशा है कि इसके संसाधन भविष्य में और भी बढ़ेंगे । १९५३-५४ में केन्द्रीय अनुदान १.२१ करोड़ रुपये था, अगले वर्ष १.७९ करोड़ रूपये था और १९५५-५६ में आशा है ५ करोड़ रुपये से ऊपर होगा । पर ५ करोड़ रुपया भी कुल आय के लग भग २० प्रतिशत है जब कि ब्रिटेन में वहां का अनुदान आयोग कुल

आय का ६४.५ प्रतिशत अनुदान के रूप में विश्वविद्यालयों को देता है । और हमें भी इसी आदर्श पर चलना चाहिए ।

आयोग के गठन के बारे में खण्ड ५ में वर्णन है । आपत्ति यह की गयी है कि यदि आयोग के सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ती होंगे या सरकारी पदाधिकारी होंगे तो वे स्वतंत्रतापूर्वक कार्य न कर पायेंगे और इस बात का डर है कि वे सरकार की इच्छा के अनुकूल ही काम करें ।

जहां तक सरकार द्वारा सदस्यों के नियुक्त करने की बात है मैं समझता हूँ उस प्रश्न पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है पर जहां तक इस बात का सम्बन्ध है उसमें कहा गया है कि आयोग में अधिक से अधिक ४ सरकारी पदाधिकारी हो सकेंगे । कम से कम उनकी संख्या दो हो सकती है और शेष दो सदस्यों को उनकी योग्यता या शिक्षा सम्बन्धी ख्याति के आधार पर नियुक्त किया जायेगा । आयोग का सभापति एक गैर सरकारी व्यक्ति होगा । यद्यपि वह पूरे समय काम करने वाला न होगा पर चूंकि वह सवैतनिक होगा अतः उसे पूरे समय काम करने वाला माना जाना चाहिए, फिर दूसरी सुरक्षा यह है कि एक बार नियुक्त होने के बाद किसी भी सदस्य को सरकार उसके ६ वर्ष के कार्यकाल के पूर्व हटा नहीं सकेगी । मूल विधेयक के खण्ड ६ में कहा गया है कि कोई भी सदस्य तब तक सदस्य रहेगा जब तक उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा हटाया न जाये पर संयुक्त समिति ने उस में सुधार कर दिया है कि वह तब तक सदस्य रहेगा जब तक कि वह उसके लिये अयोग्य सिद्ध न हो जाय ।

यह सोचना कि ऐसे महान् व्यक्तियों द्वारा गठित आयोग निष्पक्षता से न्याय नहीं करेगा, मनुष्यों की सद्भावना पर अविश्वास करना है ।

[इसके पश्चात लोक-सभा गुरुवार २४ नवम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थागित हुई ।]

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार २३ नवम्बर, १९५५]

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव	५८३५-४०
गृह-कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रख कर अध्यक्ष महोदय ने २१ नवम्बर, १९५५ को बम्बई में गोली कांड से उत्पन्न हुई स्थिति पर श्री ए० के० गोपालन तथा श्रीमती रेणु चक्रवर्ती द्वारा पूर्व सूचना दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर अपनी अनुमति रोक ली ।	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	५८४०
उनतालिसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया	
विधेयक पर विचार	५८४०-५९१६
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर विचार किया गया । विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त रही ।	